सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

उच्च शिक्षा के परिणामों की निष्पादन लेखापरीक्षा

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ

लखनऊ विश्वविद्यालय

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

उत्तर प्रदेश शासन
प्रतिवेदन संख्या 6, वर्ष 2022

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

उच्च शिक्षा के परिणामों की निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश शासन
प्रतिवेदन संख्या 6, वर्ष 2022

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	-	vii
कार्यकारी सार	-	ix
अध्याय – 1		
परिचय		
अध्याय का संक्षिप्त विवरण	-	1
परिचय	1.1	1
उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए संगठनात्मक ढांचा	1.2	2
परिणाम मापदंड	1.3	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.4	4
लेखापरीक्षा मानदंड	1.5	4
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र	1.6	4
लेखापरीक्षा पद्धति	1.7	5
प्रतिवेदन का ढाँचा	1.8	6
आभारोक्ति	1.9	6
अध्याय – 2		
उच्च शिक्षा के लिए समान और वहनीय उपलब्धता		
अध्याय का संक्षिप्त विवरण	-	7
परिचय	2.1	8
उच्च शिक्षा तक आसान पहुंच	2.2	8
उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन उच्च शिक्षण संस्थान	2.2.1	8
नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए नीतियां	2.2.2	9
उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों का वितरण	2.2.3	10
क्षेत्रीय सुलभता	2.2.4	10
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभता	2.2.4.1	11
चयनित विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों का वितरण	2.2.4.2	11
राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सुलभता	2.2.4.3	12
शैक्षणिक विकल्पों की विभिन्न शाखाओं तक सुलभता	2.2.4.4	14
सकल नामांकन अनुपात	2.2.5	15
सीट और आवेदन अनुपात	2.2.6	16
उच्च शिक्षा में समानता सुनिश्चित करना	2.3	17
वंचित समूहों का सकल नामांकन अनुपात	2.3.1	17
वंचित समूहों की सहायता के लिए संस्थागत तंत्र	2.3.2	18
समान अवसर प्रकोष्ठ और सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ	2.3.2.1	19
लैंगिक समानता संवर्धन कार्यक्रम और लैंगिक संवेदनशील सुविधाएं	2.3.3	20
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रवेश में आरक्षण	2.3.4	21

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
दिव्यांग छात्रों के लिए भौतिक अवसंरचना	2.3.5	22
शिक्षण अवसंरचना	2.4	23
सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सुविधाओं की उपलब्धता	2.4.1	23
अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता	2.4.2	24
छात्रावासों की उपलब्धता	2.4.2.1	26
छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण	2.4.2.2	26
बुनियादी ढांचे के लिये वित्त पोषण	2.4.3	27
वहनीय पहुँच	2.5	28
शुल्क संरचना में एकरूपता	2.5.1	28
छात्रवृत्ति	2.5.2	29
निष्कर्ष एवं अनुशंसा	-	31
अध्याय – 3		
उच्च शिक्षा की गुणवत्ता		
अध्याय का संक्षिप्त विवरण	-	33
परिचय	3.1	34
प्रभावी अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना	3.2	34
पाठ्यक्रम डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन	3.2.1	34
रोजगारपरकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पाठ्यक्रम	3.2.2	36
मूल्य–वर्धित पाठ्यक्रमों और नामांकित छात्रों की संख्या	3.2.3	37
फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप करने वाले छात्र	3.2.4	38
शैक्षणिक लचीलापन	3.2.5	39
नये पाठ्यक्रमों का आरम्भ किया जाना	3.2.5.1	39
च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम	3.2.5.2	40
प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाएँ	3.3	41
शिक्षण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग	3.3.1	41
शिक्षण में छात्र–केन्द्रित विधियों का उपयोग, पाठ्यक्रम का आच्छादन, धीमी गति से सीखने वालों का आकलन और मेंटर्स की नियुक्ति	3.3.2	42
छात्र–केन्द्रित विधियों का प्रयोग	3.3.2.1	42
पाठ्यक्रम सामग्री का आच्छादन	3.3.2.2	42
धीमी गति से सीखने वालों (स्लो लर्नर्स) का आकलन	3.3.2.3	43
छात्रों को परामर्श	3.3.2.4	43
संकाय की उपलब्धता और गुणवत्ता	3.4	43
शिक्षकों की उपलब्धता	3.4.1	44
शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता	3.4.1.1	44
नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक कर्मचारियों की उपलब्धता	3.4.1.2	45
संविदा पर नियुक्त शिक्षक	3.4.1.3	46

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण	3.4.1.4	47
न्यूनतम निर्धारित योग्यता वाले शिक्षकों की उपलब्धता	3.4.2	47
पीएचडी के साथ पूर्णकालिक शिक्षक	3.4.3	48
पूर्णकालिक शिक्षक जिन्होंने पुरस्कार, सम्मान, फेलोशिप प्राप्त किया	3.4.4	48
अन्य राज्यों के पूर्णकालिक शिक्षक	3.4.5	49
सम्मेलन/कार्यशाला में भाग लेने के लिए संकाय को वित्तीय सहायता	3.4.6	50
व्यावसायिक विकास/संकाय का प्रशिक्षण	3.5	50
परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली की मजबूती	3.6	51
प्रश्न पत्रों को तैयार करने की प्रणाली	3.6.1	52
परीक्षाओं में प्रश्नों की गुणवत्ता	3.6.2	52
प्रश्नपत्रों में विश्लेषणात्मक प्रश्नों की उपस्थिति	3.6.2.1	52
पाठ्यक्रम जिनमें खुली किताब परीक्षा की अनुमति थी	3.6.2.2	52
परीक्षाओं के स्वचालन की स्थिति	3.6.3	52
परीक्षा परिणाम घोषणा में विलम्ब	3.6.4	53
ग्रेडिंग प्रणाली	3.6.5	54
छात्रों की उपस्थिति	3.7	54
मूल्याँकन प्रक्रिया	3.8	54
केंद्रीकृत मूल्यांकन प्रणाली	3.8.1	55
उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन	3.8.2	55
सुधार परीक्षा	3.8.3	56
बैक पेपर परीक्षा	3.8.4	56
अनुसंधान के माध्यम से नए ज्ञान का सृजन करके समाज का बेहतरीकरण	3.9	57
अनुसंधान इनपुट	3.9.1	57
अनुसंधान के परिणाम	3.9.2	58
पेटेंट, परामर्श और अनुसंधान करने वाले शोधकर्ता	3.9.2.1	59
उच्च शिक्षण संस्थानों में किये जा रहे अनुसंधान में शिक्षकों का योगदान	3.9.2.2	59
सहयोगात्मक एवं विस्तार गतिविधियाँ	3.9.3	61
सहयोगात्मक गतिविधियाँः उद्योग–शिक्षा संबंध	3.9.3.1	61
उद्योग, समुदाय आदि के सहयोग से विस्तार गतिविधियाँ (एक्सटेंशन एक्टिविटीज) तथा छात्रों की सहभागिता	3.9.3.2	62
अनुसंधान हेतु अनुसंधान नीति एवं अनुश्रवण तंत्र की कमी	3.9.3.3	62
रोजगार एवं उच्च अध्ययन के लिए छात्रों का प्रगमन	3.10	63
नियुक्ति प्रकोष्ठ, रोजगार परामर्श प्रकोष्ठ और पुरातन छात्र संघ	3.10.1	63
नियुक्ति प्रकोष्ठ	3.10.1.1	63
रोजगार परामर्श प्रकोष्ठ	3.10.1.2	64
पुरातन छात्र संघ	3.10.1.3	65
उच्च अध्ययन में प्रगति	3.10.2	66

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करना	3.10.3	66
विश्वविद्यालय परीक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन	3.10.4	67
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	-	69
अध्याय – 4		
शासन और प्रबन्धन		
अध्याय का संक्षिप्त विवरण	-	71
परिचय	4.1	72
शासन	4.2	72
राज्य सरकार के स्तर पर शासन	4.2.1	72
राज्य स्तरीय शासन	4.2.2	73
राज्य उच्च शिक्षा परिषद्	4.2.2.1	73
राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ	4.2.2.2	74
संस्थागत स्तर पर शासन	4.2.3	74
विश्वविद्यालयों में शासी निकाय	4.2.3.1	75
कार्यकारी परिषद्	4.2.3.2	75
सभा	4.2.3.3	76
शैक्षणिक परिषद्	4.2.3.4	77
वित्त समिति	4.2.3.5	78
महाविद्यालय विकास परिषद	4.2.3.6	78
आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ	4.2.4	79
सम्बद्धता के माध्यम से शासन	4.3	81
विश्वविद्यालयों पर बोझ कम करना	4.4	85
शिक्षणेत्तर कर्मचारी	4.5	85
वित्तीय प्रबन्धन	4.6	86
राज्य बजट के अन्तर्गत निधि	4.6.1	86
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत निधि	4.6.2	87
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अवमुक्त निधि	4.6.3	87
राज्य सरकार द्वारा निधियाँ अवमुक्त करने में विलम्ब	4.6.4	87
विश्वविद्यालय संसाधन	4.6.5	88
सरकारी अनुदानों पर निर्भरता	4.6.6	89
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निधियों पर अर्जित ब्याज	4.6.7	89
वार्षिक लेखाओं का रखरखाव	4.6.8	90
असमायोजित अग्रिम भुगतान	4.6.9	91
वित्तीय प्रबन्धन को नियंत्रित करना	4.6.10	91
रोकड़ बही	4.6.10.1	91
आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा	4.7	92
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	-	92

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
परिशिष्टियाँ		
विवरण	परिशिष्ट	
उच्च शिक्षा के परिणामों की लेखापरीक्षा में परिणामों के मुख्य संकेतकों की सूची	1.1	95
उच्च शिक्षा के परिणामों की लेखापरीक्षा में इनपुट–परिणामों के संकेतकों की सूची	1.2	96
चयनित इकाईयां	1.3	99
भौगोलिक क्षेत्रवार जिलों के नाम	2.1	101
नमूना जांच किए गए शासकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा वसूला जाने वाला वार्षिक शुल्क (2014–20)	2.2	102
वर्ष 2019–20 में नमूना जाँच किये गये विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात	3.1	103
पी0एच0डी0 के साथ पूर्णकालिक शिक्षकों, पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों और अन्य राज्य के शिक्षकों की संख्या	3.2	104
व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षक	3.3	105
अनुसंधान गतिविधियों के लिये अनुदान की प्राप्ति और उसके उपयोग की स्थिति	3.4	106
अनुसंधान परियोजनाओं पर निष्फल व्यय	3.5	113
वर्ष 2019–20 के दौरान परीक्षा में छात्रों का प्रदर्शन	3.6	114
चेकलिस्ट आइटम और स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय जो चेकलिस्ट आइटम को पूरा नहीं कर रहे हैं	4.1	115
चेकलिस्ट आइटम और शासकीय महाविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय जो चेकलिस्ट आइटम को पूरा नहीं कर रहे हैं	4.2	116
नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों का विवरण	4.3	117
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा ज्ञात उसके बैंक खाते से कपटपूर्ण आहरण	4.4	118
संक्षेप की शब्दावली	-	119

प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक की अवधि में उच्च शिक्षा के परिणामों की निष्पादन लेखापरीक्षा जिसे वर्ष 2019–20 तक अद्यतन किया गया है, के परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2014–15 से 2019–20 तक की अवधि के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये तथ्यों के साथ ही साथ पहले के वर्षों में संज्ञान में आये किन्तु पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके तथा जहाँ आवश्यक था वहाँ वर्ष 2019–20 के बाद के तथ्य भी उल्लिखित किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी है।

कार्यकारी सार

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में मार्च 2020 में राज्य में 18 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय थे। राज्य में 170 शासकीय महाविद्यालय, 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं 6,682 स्ववित्त पोषित निजी महाविद्यालय इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध थे। वर्ष 2019–20 में 90.61 लाख विद्यार्थी इन महाविद्यालयों में नामांकित थे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2014–20 की अवधि में ₹ 13,848 करोड़ व्यय किया गया जो कि राज्य के कुल व्यय का 0.56 प्रतिशत (2015–16) तथा 0.76 प्रतिशत (2014–15) था। वर्ष 2014–20 के दौरान व्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.15 प्रतिशत से 0.19 प्रतिशत था।

उच्च शिक्षा के परिणामों की निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि 2014–19 को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2019–20 के दौरान सम्पादित की गयी थी तथा अगस्त 2021 में इसे वर्ष 2019–20 हेतु अद्यतन किया गया था। दो विश्वविद्यालय–महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 10 महाविद्यालय विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चयनित किये गये थे। राज्य में उच्च शिक्षा की पहुँच तथा समता के साथ उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का आंकलन किया गया था। अभिशासन तथा प्रबंधन के विषय जो कि सुधार हेतु इन सभी कारकों में महत्वपूर्ण हैं को भी आंकलित किया गया था। यह प्रतिवेदन ऐसे क्षेत्रों जिनमें प्रणालीगत संशोधनों तथा सुधार की आवश्यकता है, की पहचान करने का उद्देश्य रखता है।

वर्ष 2019–20 की अवधि में राज्य का सकल नामांकन अनुपात अखिल भारतीय औसत (27.10 प्रतिशत) के सापेक्ष कम (25.30 प्रतिशत) था। कोई भी राज्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय भारत के 100 सर्वोच्च उच्च शिक्षण संस्थानों में सम्मिलित नहीं था। वर्ष 2018–19 में राज्य के मात्र 8.47 प्रतिशत (498 उच्च शिक्षण संस्थान) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ग्रेडिंग से श्रेणीबद्व थे जो 2019–20 में और भी घटकर 2.60 प्रतिशत (183 उच्च शिक्षण संस्थान) रह गये। इनमें से केवल 29 उच्च शिक्षण संस्थानों (0.40 प्रतिशत) को 'ए' ग्रेडिंग से मान्यता प्राप्त थी।

उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या वर्ष 2016–17 से स्थिर थी। तदापि, स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की संख्या वर्ष 2016–17 में 5,377 से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 6,682 हो गयी थी। पांच जनपदों में कोई भी शासकीय महाविद्यालय नहीं था एवं दूसरे पांच जनपदों में पुरूष या सह–शिक्षा के शासकीय महाविद्यालय नहीं थे। अग्रेत्तर 20 जनपदों में कोई भी शासकीय या अशासकीय सहायता प्राप्त बालिका महाविद्यालय नहीं थे। नामांकन स्तर वर्ष 2015–16 में 94.88 लाख से वर्ष 2019–20 में 90.61 लाख की सतत गिरावट प्रदर्शित कर रहा था। प्रति महाविद्यालय औसत नामांकन घटकर 2015–16 में 1,830 विद्यार्थियों से 2019–20 में 1,261 विद्यार्थी रह गया था।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय खोलने की कोई स्पष्ट नीति राज्य के पास नहीं थी। तदापि, निजी प्रबंधनतंत्र द्वारा असेवित क्षेत्रों में ऐसे विकास खण्डों जिनमें एक भी महाविद्यालय नहीं थे को प्राथमिकता देने के मानदण्ड के साथ नये महाविद्यालयों को खोलने की एक योजना क्रियान्वित

की जा रही थी। वर्ष 2014–17 के दौरान 90 ऐसे महाविद्यालयों के अनुमोदन के विपरीत मार्च 2020 तक केवल 12 के द्वारा अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता प्राप्त की गयी थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों की सम्बद्धता) विनियम 2009 में विशिष्ट प्राविधान के बावजूद, नमूना जांच विश्वविद्यालयों (महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी एवं लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ) द्वारा उनसे सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों के शुल्क संरचना का अनुमोदन नहीं किया गया था। नमूना जाँच की गयी संस्थाओं की लेखापरीक्षा में देखा गया कि नियमित एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के वर्ष 2014–20 के दौरान छात्रों से लिये गये शुल्क में भारी मात्रा में अंतर था। राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी आदेश से निर्धारित शिक्षण शुल्क का अनुपालन नमूना जाँच की गयी बहुत सी उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2017–20 के दौरान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 73 से 80 प्रतिशत एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के 56 से 67 प्रतिशत विद्यार्थी समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त दशमोत्तर छात्रवृत्ति से लाभान्वित हुये थे।

वर्ष 2019–20 के दौरान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय में क्रमशः केवल 29 प्रतिशत एवं 17 प्रतिशत कक्षायें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सक्षम थीं। तदापि विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय छात्रों को ई–संसाधन तक पहुँच उपलब्ध कर रहे थे।

नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के दौरान शासन द्वारा पाठ्यक्रम का डिजाइन एवं विषय पर पर्याप्त कार्य किया गया तथा शैक्षणिक सत्र 2021–22 से चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली लागू की गयी है। वर्ष 2014–20 के दौरान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय में रोजगारपरकता पर केन्द्रित कार्यक्रमों का औसत प्रतिशत क्रमशः 21 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत था।

निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात 20:1 के विपरीत शासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2019–20 के दौरान 49:1 था। वर्ष 2014–20 के दौरान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में औसतन 19 प्रतिशत तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में औसतन 16 प्रतिशत शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया गया।

वर्ष 2014–15 से 2019–20 (वर्ष 2018–19 को छोड़कर) तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विभिन्न पाठ्यक्रमों के परिणाम 273 दिनों तक विलम्बित थे। मांगे जाने के बाद भी वर्ष 2014–17 के दौरान परिणामों की घोषणा से सम्बन्धित सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवायी गयी। जैसा कि लेखापरीक्षा में विश्लेषित किया गया वर्ष 2017–20 के दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय में परिणाम 175 दिनों तक विलम्बित थे।

वर्ष 2017–20 के दौरान, बहुत कम छात्रों (0.15 प्रतिशत) ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, तदापि, औसतन 90 प्रतिशत छात्रों के अंकों में पुनर्मूल्यांकन से वृद्धि हुई। अग्रेतर, वर्ष 2017–20 के दौरान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सुधार परीक्षा में औसतन 77 प्रतिशत प्रपत्रों में अंकों में वृद्धि हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय में, सुधार परीक्षा में सभी छात्रों (2,783) के अंकों में वृद्धि हुई।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय में अनुसंधान परियोजनायें 1,463 दिनों तक के विलम्ब से पूर्ण हुई। कुछ बिना किसी परियोजना परिणाम के अपरिपक्व बंद कर दी गयीं। नमूना जांच किये गये विश्वविद्यालयों में पेटेंट प्रदान किया जाना तथा परामर्श देना शून्य था।

वर्ष 2014–20 के दौरान विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से बाहर उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले अथवा उसी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्न करने वाले छात्रों के आंकड़े अनुरक्षित नहीं थे।

सदस्यों के पदों के खाली रहने तथा आवश्यक बैठकों की कमी के कारण विश्वविद्यालयों में शासी निकाय प्रभावी रूप से क्रियाशील नहीं थे। आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में (अप्रैल 2010) तथा लखनऊ विश्वविद्यालय (दिसम्बर 2016) में हुई थी। तदापि, महाविद्यालयों में आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन समिति के कार्यकलाप के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया था तथा स्थापना हेतु निर्णय शासन स्तर पर विचाराधीन था (जुलाई 2022)।

मार्च 2020 तक, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध क्रमशः 341 तथा 171 महाविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश के पांच जनपदों तथा लखनऊ जनपद में फैले हुए थे। नमूना जाँच किये गये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 28 स्व–वित्त पोषित महाविद्यालयों में से 18 सम्बद्धता के चार से 29 प्रतिशत मानक भी पूर्ण नहीं करते थे। सम्बद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया गया था। पर्याप्त अवसंरचना न रखने वाले महाविद्यालयों की अस्थाई सम्बद्धता को विस्तारित किया गया था। महाविद्यालयों को सम्बद्धता के मानक में छूट से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्रांश को सम्मिलित करते हुए राज्यांश राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को 1,636 दिनों के विलम्ब तक निर्गत किया गया था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय उनके द्वारा अर्जित राजस्व से अपने व्यय को पूर्ण करने में आत्म निर्भर नहीं थे तथा शासकीय अनुदान पर निर्भर थे।

अनुशंसा 1: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2030 तक लक्षित सकल नामांकन अनुपात 40 प्रतिशत प्राप्त करने हेतु, राज्य सरकार द्वारा उन जनपदों में, जहां कमी है, अधिक महाविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए।

अनुशंसा 2: सभी महाविद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में निर्धारित आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराना चाहिए तथा सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों में अवसंरचना एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता विश्वविद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अनुशंसा 3: उच्च शिक्षा को वहन करने योग्य बनाने हेतु निजी महाविद्यालयों के शुल्क ढांचा को राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए।

अनुशंसा 4: पाठ्यक्रमों का समय से संशोधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा रोजगारपरकता पर केन्द्रित पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अनुशंसा 5: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों को शासकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात को बनाये रखना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अनुशंसा 6: व्यक्तिगत एवं संस्थागत उत्कृष्टता हेतु शिक्षकों के कार्य में सुधार एवं सतत विकास हेतु, राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों द्वारा नियमित रूप से प्रासंगिक व्यवसायिक विकास

कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शिक्षक इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें।

अनुशंसा 7: परीक्षा प्रणाली तथा परिणाम घोषणा में विलम्ब का गहन अनुश्रवण किया जाय।

अनुशंसा 8: परियोजनाओं के गहन अनुश्रवण से विश्वविद्यालयों/राज्य सरकार द्वारा अनुसंधान की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित की जाय।

अनुशंसा 9: राज्य सरकार/विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्लेसमेंट प्रकोष्ठ तथा आजीविका परामर्शी प्रकोष्ठ समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं में गठित हों।

अनुशंसा 10: उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा उच्च अध्ययन तथा छात्रों के नौकरी प्राप्त करने से सम्बन्धित आंकड़ों के एकत्रीकरण तथा अनुरक्षण की मजबूत प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

अनुशंसा 11: राज्य एवं विश्वविद्यालयों के शासी निकायों में रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए।

अनुशंसा 12: विश्वविद्यालयों को सम्बद्धता प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए जिससे केवल सभी नियामक आवश्यकताओं का पालन करने वाले महाविद्यालयों को ही सम्बद्धता प्रदान किया जाना सुनिश्चित हो।

अध्याय–1

परिचय

अध्याय

1 परिचय

अध्याय का संक्षिप्त विवरण:

- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 में उच्च शिक्षा पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.16 प्रतिशत व्यय किया गया।

- वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य का सकल नामांकन अनुपात[1] अखिल भारतीय औसत (27.10 प्रतिशत) की तुलना में कम (25.30 प्रतिशत) था। यद्यपि, यह वर्ष 2014–15 के 25 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2019–20 में बढ़कर 25.30 प्रतिशत हो गया।

1.1 परिचय

उच्च शिक्षा स्थायी आजीविका और राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। गुणवत्तापरक शिक्षा नई खोजों, नए ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की नींव है जो व्यक्तिगत वृद्धि और समृद्धि के साथ–साथ राष्ट्र की वृद्धि और समृद्धि को भी गति प्रदान करती है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत रोजगार के लिये अधिक से अधिक अवसरों के सृजन से कहीं अधिक है।

मार्च 2020 तक, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में, राज्य में 18 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय[2] थे। राज्य में 170 शासकीय महाविद्यालय[3], 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय और 6,682 स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालय इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध थे। राज्य में 27 निजी विश्वविद्यालय भी थे। वर्ष 2019–20 के दौरान इन महाविद्यालयों में 90.61 लाख छात्रों का नामांकन हुआ था। उच्च शिक्षा विभाग ने 2019–20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.16 प्रतिशत व्यय किया।

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य का सकल नामांकन अनुपात अखिल भारतीय औसत (27.10 प्रतिशत) की तुलना में कम (25.30 प्रतिशत) था। यद्यपि, यह वर्ष 2014–15 के 25 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2019–20 में बढ़कर 25.30 प्रतिशत हो गया। कोई भी राज्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय भारत के शीर्ष 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं था। वर्ष 2018–19 में राज्य के मात्र 8.47 प्रतिशत (498) उच्च शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ग्रेडिंग से श्रेणीबद्व थे जो 2019–20 में और भी घटकर 2.60 प्रतिशत (183) रह गये। इनमें से केवल 29 उच्च शिक्षण संस्थानों (0.40 प्रतिशत) को 'ए' ग्रेडिंग से मान्यता प्राप्त थी।

उपरोक्त मामलों की जांच करने के लिए, राज्य में उच्च शिक्षा के परिणामों की निष्पादन लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया गया। इस लेखापरीक्षा में केवल कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग के सामान्य विषयों की विस्तृत जांच के साथ राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सम्मिलित किया गया।

---

[1] आयु को संज्ञान में लिए बिना शिक्षा के दिए गए स्तर में नामांकित छात्रों की संख्या x 100/उस आयु वर्ग की जनसंख्या जो आधिकारिक तौर पर शिक्षा के दिए गए स्तर से मेल खाती है।

[2] एक विश्वविद्यालय का अर्थ उच्च शिक्षा का एक बहु–विषयक संस्थान है जो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक जुड़ाव के साथ पूर्वस्नातक और स्नातक कार्यक्रम प्रदान करता है।

[3] डिग्री देने वाले कॉलेज को उच्च शिक्षा के एक बहु–विषयक संस्थान के रूप में संदर्भित किया जाता है जो पूर्वस्नातक और स्नातक डिग्री प्रदान करता है और मुख्य रूप से पूर्वस्नातक शिक्षण पर केंद्रित होता है, हालांकि इसे उस तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है और यह सामान्यतः एक विशिष्ट विश्वविद्यालय से छोटा होगा।

1.2 उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए संगठनात्मक ढांचा

राज्य सरकार के स्तर पर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग नीति निर्धारण के लिए उत्तरदायी हैं। योजना एवं समन्वय का कार्य अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को सौंपा गया है। निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों, जो उच्च शिक्षा के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण और निगरानी करते हैं, के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन, शासकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है।

राज्य में विश्वविद्यालयों की स्थापना उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अंतर्गत की गयी है। राज्य सरकार द्वारा नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और राज्य में सभी मौजूदा निजी विश्वविद्यालयों को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 को अधिनियमित किया गया है। सभी विश्वविद्यालयों को अपने संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और विनियमों का पालन करने की ज़रूरत है।

विश्वविद्यालय स्तर पर, कुलपति प्रमुख कार्यकारी और प्रशासनिक अधिकारी होता है। कुलपति को उपकुलपति, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और विभागाध्यक्षों आदि द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय है जो कानून बनाने और वार्षिक खातों पर संकल्प पारित करने के लिए जिम्मेदार है और विश्वविद्यालय के प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शैक्षिक परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय है जो शैक्षणिक मामलों को अंतिम रूप देता है। वित्त से संबंधित मामलों को वित्त समिति द्वारा देखा जाता है। इन स्थायी निकायों के अलावा, कुलपति को सलाह देने के लिए विश्वविद्यालय विशिष्ट कार्यों हेतु समितियों का गठन करता है, जैसे, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति, चयन समिति आदि।

महाविद्यालय स्तर पर, प्राचार्य सामान्य प्रशासन, शैक्षणिक कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन, छात्र कल्याण आदि के लिए उत्तरदायी है।

1.3 परिणाम मापदंड

भारत सरकार के बारहवीं पंचवर्षीय योजना के रणनीतिक ढांचे और परिणाम बजट वर्ष 2018–19 में उच्च शिक्षा में ध्यान देने योग्य चार मुख्य क्षेत्रों यथा पहुंच, समता, गुणवत्ता और अभिशासन की पहचान की गयी है। इन क्षेत्रों के परिणामों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है : (i) उच्च शिक्षा संस्थानों की उपलब्धता को विस्तारित करना (ii) उच्च शिक्षा तक पहुंच में वर्ग असमानताओं को कम करना, एवं (iii) सभी संस्थानों में शिक्षण और अनुसंधान में सुधार करना।

यद्यपि उच्च शिक्षा के मूल्यांकन के लिए निविष्टियों और उत्पाद (इनपुट और आउटपुट) की आसानी से पहचान करना संभव है, परिणामों की पहचान और उनका मापन एक पूर्णतया चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्र उच्च शिक्षा के प्राथमिक परिणाम के रूप में रोजगार से जुड़े उच्च अध्ययन की इच्छा रखते हैं। समाज चाहता है कि उच्च शिक्षा, अनुसंधान और प्रभावी शिक्षण/सीखने की प्रक्रियाओं के माध्यम से नए ज्ञान के निर्माण में योगदान करे। सरकार का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों के लिए आसान पहुंच के साथ एक उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा प्रणाली का सृजन करना है।

परिणामों के संबंध में उच्च शिक्षा प्रणाली के निष्पादन का आकलन करने के लिए, मुख्य परिणामों के संकेतकों ***(परिशिष्ट 1.1)*** के साथ–साथ इनपुट–आउटपुट संकेतकों ***(परिशिष्ट 1.2)*** को बारहवीं पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के आकलन संकेतकों के आधार पर सूत्रबद्ध किया गया था। इन संकेतकों ने परिणामों के मूल्यांकन के साथ–साथ इन परिणामों को

प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करने में मदद किया। परिणाम, उनके संबंधित इनपुट एवं आउटपुट **चार्ट 1.1** में प्रदर्शित हैं।

चार्ट 1.1: उच्च शिक्षा के परिणामों तथा उनसे सम्बन्धित इनपुट और आऊटपुट के बीच सम्बन्ध का आरेखीय निरूपण

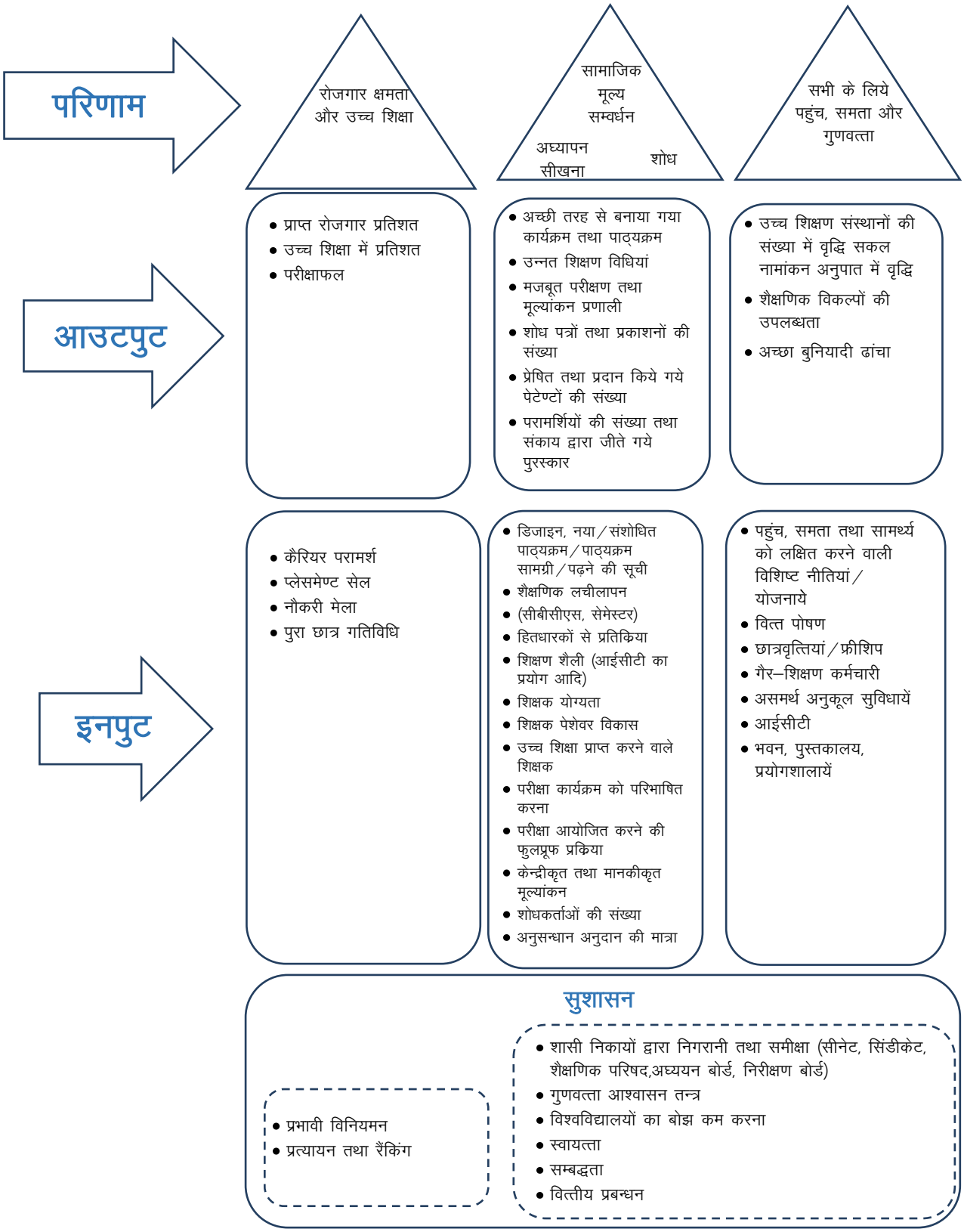

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के परिणामों की लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या

1. सभी के लिये उच्च शिक्षा के लिये समान तथा सस्ती पहुंच सुनिश्चित की गई;
2. प्रभावी शिक्षण, सीखने एवं परीक्षा प्रक्रियाओं तथा उच्च गुणवत्ता वाले शोध के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता की उच्च शिक्षा सुनिश्चित की गई;
3. उच्च शिक्षा की रोजगारपरकता और छात्रों की उच्च अध्ययन के लिये प्रगति
4. उच्च शिक्षा प्रणाली का प्रशासन तथा प्रबन्धन पर्याप्त, कुशल एवं प्रभावी था।

1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

उच्च शिक्षा के परिणामों की लेखापरीक्षा निम्नलिखित अभिलेखों से प्राप्त मानदंडों के अनुसार सम्पादित की गई थी;

- बारहवी पंचवर्षीय योजना;
- उच्च शिक्षा का समावेशी तथा गुणात्मक विस्तार–बारहवी पंचवर्षीय योजना(2012–17);
- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश/विनियम;
- राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) द्वारा जारी दिशानिर्देश तथा नियमावली;
- राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् द्वारा जारी आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ नियमावली ;
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क मैनुअल (एनआईआरएफ)
- नई शिक्षा नीति 2020;
- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी परिपत्र/आदेश आदि;
- चयनित विश्वविद्यालयों द्वारा जारी संविधियाँ, परिपत्र तथा दिशानिर्देश;
- चयनित विश्वविद्यालयों के सीनेट, शैक्षणिक परिषदों, कार्यकारी परिषदों, वित समितियों आदि की बैठकों का कार्यवृत्त; तथा,
- चयनित विश्वविद्यालयों के वार्षिक लेखे।

1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उनके सम्बद्ध महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा की पहुँच, समता, गुणवत्ता, छात्रों की प्रगति और अभिशासन के पहलुओं की जाँच करने के लिये 2014–15 से 2018–19 की अवधि को शामिल करते हुये नवम्बर 2019 से मार्च 2020 की अवधि में परिणामों की लेखापरीक्षा की गयी थी। वर्ष 2019–20 के लिये प्रतिवेदन को अद्यतन करने हेतु जुलाई से अगस्त 2021 में पुनः लेखापरीक्षा की गयी थी।

सामान्य वर्गो (कला, वाणिज्य तथा विज्ञान) में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले दो विश्वविद्यालयों को बिना प्रतिस्थापन पद्धति के सरल यादृच्छिक नमूनाकरण का उपयोग करके चुना गया था। चयनित विश्वविद्यालयों में एक (लखनऊ विश्वविद्यालय) का प्रमुख आच्छादन लखनऊ जिले का शहरी क्षेत्र था, जबकी अन्य चयनित विश्वविद्यालय (महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी) का प्रमुख आच्छादन पाँच जिलों (भदोही, चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा वाराणसी) के ग्रामीण क्षेत्रों में था, जो राज्य के मध्य एवं पूर्वी क्षेत्रों के दो विविध भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे।

मार्च 2019 तक दोनों चयनित विश्वविद्यालयों के अंतर्गत 23 शासकीय महाविद्यालय, 33 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय और 435 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय सम्बद्ध थे। लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों की विस्तृत जाँच के लिये बिना प्रतिस्थापन पद्धति के सरल यादृच्छिक नमूनाकरण का उपयोग करते हुये 10 शासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का चयन किया गया। स्ववित्तपोषित निजी महाविद्यालयों के लिये हमारे पास कोई लेखापरीक्षा अधिदेश नहीं था, इसलिये चयनित दो विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 40 ऐसे महाविद्यालयों को लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण के लिये चुना गया था ***(परिशिष्ट–1.3)***।

1.7 लेखापरीक्षा पद्धति

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य उच्च शिक्षा के परिणामों को प्राप्त करने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन एवं मूल्यांकन करना था। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे परिणामों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है, लेखापरीक्षा ने उन मानदण्डों का उपयोग किया जो नीति दस्तावेजों, उच्च शिक्षण संस्थानों के मान्यता और रैंकिंग की प्रक्रियाओं और उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों सहित उच्च शिक्षा डोमेन के विशेषज्ञों से इनपुट पर आधारित थे। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा अपनाये गये आंकलन संकेतकों का भी उपयोग किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इन मानदंडों के आधार पर डेटा अनुलग्नक, लेखापरीक्षा प्रश्नावली और छात्र सर्वेक्षण प्रारूप विकसित किया गया।

विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद और दो चयनित विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार के साथ एक प्रारम्भिक बैठक (15 नवम्बर 2019) आयोजित की गयी थी, जिसमें उच्च शिक्षा में परिणामों की लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा पद्धति एवं लेखापरीक्षा मानदण्ड के साथ ही राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रदत्त ग्रेडिंग पर चर्चा की गयी।

लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किये गये विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अभिलेखों/दस्तावेजों की जाँच, लेखापरीक्षा प्रश्नों/लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्राप्त उत्तरों और शिक्षण और अन्य बुनियादी ढांचे के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के माध्यम से आयोजित की गयी थी। प्रासंगिक दस्तावेजों, चर्चा पत्रों और स्थलों की तस्वीरों की प्रतियों के माध्यम से साक्ष्य एकत्र किये गये थे। शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिये छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण के माध्यम से छात्रों से फीडबैक भी प्राप्त किया गया था।

राज्य सरकार को मसौदा प्रतिवेदन अक्टूबर 2021 में जारी किया गया था और उनके उत्तर जुलाई 2022 में प्राप्त हुये थे। 15 जुलाई 2022 को विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के साथ समापन बैठक आयोजित की गयी थी। राज्य सरकार के उत्तर और विश्वविद्यालयों[4] द्वारा दिये गये उत्तरों को प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

[4] राज्य सरकार ने मसौदा प्रतिवेदन पर लखनऊ विश्वविद्यालय और महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के उत्तरों को जुलाई 2022 में अग्रेषित किया।

1.8 प्रतिवेदन का ढाँचा

इस प्रतिवेदन को उच्च शिक्षा के व्यापक परिणामों, जिनकी पहचान प्रमुख हितधारकों यथा छात्रों, समाज और सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गयी है, के आधार पर आकार दिया गया है।

प्रतिवेदन का अध्याय–1 विषय वस्तु के परिचय, उच्च शिक्षा संस्थानों के संगठनात्मक ढांचे, परिणाम मापदंडो, लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदण्डों, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा पद्धति के बारे में संक्षिप्त परिचय देता है। अध्याय–2 उच्च शिक्षा के लिये समान एवं सस्ती पहुँच से सम्बन्धित है। अध्याय–3 उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगारपरकता और छात्रों के उच्च अध्ययन के लिये प्रगति से सम्बन्धित है। अभिशासन और प्रबन्धन से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रतिवेदन के अध्याय–4 में चर्चा की गई है।

1.9 आभारोक्ति

हम उच्च शिक्षा के परिणामों की इस निष्पादन लेखापरीक्षा के सम्पादन में उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति/अधिकारियों और कर्मचारियों, चयनित शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं निजी महाविद्यालय द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आभार प्रकट करते है।

अध्याय–2

उच्च शिक्षा के लिए समान और वहनीय उपलब्धता

अध्याय

2 उच्च शिक्षा के लिए समान और वहनीय उपलब्धता

यह अध्याय उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा के लिए वहनीय और समान उपलब्धता पर चर्चा करता है। उच्च शिक्षण संस्थानों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्य तैयार किये गये थे।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1: क्या सभी के लिए उच्च शिक्षा की समान और वहनीय उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी?

अध्याय का संक्षिप्त विवरण:

- उ0प्र0 शासन ने उच्च शिक्षा सुविधाओं की कमी वाले इलाकों की पहचान करने के लिए भौगोलिक मानचित्रण नहीं किया था। राज्य के चार क्षेत्रों (पूर्व, पश्चिम, मध्य और बुंदेलखंड) में विश्वविद्यालयों का वितरण असमान था।
- उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और शासकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या 2016–17 से स्थिर थी। हालांकि, स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों की संख्या 2016–17 में 5,377 से बढ़कर 2019–20 में 6,682 हो गई।
- पांच जिलों में कोई शासकीय महाविद्यालय नहीं था और अन्य पांच जिलों में पुरुष या सह–शिक्षा शासकीय महाविद्यालय नहीं थे। इसके अलावा, 20 जिलों में न तो शासकीय और न ही अशासकीय सहायता प्राप्त बालिका महाविद्यालय थे।
- वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर था।
- नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध महाविद्यालयों में लैंगिक समानता प्रचार कार्यक्रम केवल छिटपुट रूप से आयोजित किए गए थे।
- नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध महाविद्यालयों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया, हालांकि, बड़ी संख्या में ईडब्ल्यूएस सीटें खाली रहीं।
- नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की कक्षाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) शिक्षण उपकरणों की उपलब्धता अवश्यकता से बहुत कम थी। हालांकि, विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों ने छात्रों को ई–संसाधनों तक पहुंच प्रदान की है। नमूना जांच किए गए कई महाविद्यालयों में विशेष रूप से निःशक्त छात्रों के लिए ढांचागत सुविधाओं की कमी थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों की सम्बद्धता) विनियम 2009 में प्रावधान के बावजूद, नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों ने निजी सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए शुल्क संरचना निर्धारित नहीं की थी। शुल्क संरचना की निगरानी के लिए किसी तंत्र के अभाव में, नमूना–जांच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में समान पाठ्यक्रमों के भीतर भी व्यापक भिन्नता थी।
- वर्ष 2017–20 के दौरान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 73 से 80 प्रतिशत छात्र और लखनऊ विश्वविद्यालय में 56 से 67 प्रतिशत छात्र राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति से लाभान्वित हुए।

2.1 परिचय

सितंबर 2015 में अपनाए गए सतत् विकास के लिए एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी –4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और 2030 तक सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

उन सभी को जो उच्च शिक्षा के पात्र और इच्छा रखते हैं, अधिक पहुंच के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा क्षेत्र की शिक्षा संस्थागत क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) ने उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को पहचाना और प्रतिक्रिया व्यक्त की। सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) का उपयोग अक्सर उच्च शिक्षा पहुंच को मापने के लिए किया जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिए। समानता में गरीबों और सामाजिक रूप से वंचित समूहों की उच्च शिक्षा तक उचित पहुंच सम्मिलित है।

यह अध्याय गुणवत्ता, प्रयासों और पहलों से समझौता किए बिना पहुंच और समानता बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली और तंत्र में पहुंच, समानता और सामर्थ्य के विभिन्न आयामों पर चर्चा करता है। पहुंच, और समानता की निविष्टियों, उत्पाद और परिणामों को नीचे दिए गए चित्र में संक्षेपित किया गया है

2.2 उच्च शिक्षा तक आसान पहुंच

एक सरकार के लिए उच्च शिक्षा के प्रमुख परिणामों में से एक अपनी विभिन्न नीतियों, योजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना का अनुच्छेद 21.105, मौजूदा बुनियादी ढांचे और भौतिक सुविधाओं के विस्तार, समेकन और बेहतर उपयोग के संसाधन मानचित्रण के माध्यम से उच्च पहुंच प्राप्त करने की ओर केंद्रित है। इसके अलावा, योजनाओं के लिए भारत सरकार का आउटपुट–परिणाम ढांचा अन्य बातों के साथ–साथ पहुंच बढ़ाने पर भी केंद्रित है।

2.2.1 उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन उच्च शिक्षण संस्थान

मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश में 75 जिले थे और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या और साक्षरता अनुपात क्रमशः 19.98 करोड़ और 67.68 प्रतिशत था। वर्ष 2014–20 के दौरान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा संस्थानों को छोड़कर, उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालयों (निजी विश्वविद्यालयों सहित) और महाविद्यालयों की संख्या **तालिका 2.1** में दी गई है:

तालिका 2.1: विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की संख्या और प्रति कॉलेज औसत नामांकन

वर्ष	विश्वविद्यालयों की संख्या			महाविद्यालयों की संख्या				कुल नामांकन (लाख में)	प्रति महाविद्यालय औसत नामांकन
	राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय	निजी विश्वविद्यालय	कुल	शासकीय महाविद्यालय	अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय	स्व वित्तपोषित महाविद्यालय	कुल		
2014-15	15	21	36	138	331	4,277	4,746	81.89	1,726
2015-16	16	22	38	166	331	4,689	5,186	94.88	1,830
2016-17	18	27	45	170	331	5,377	5,878	93.75	1,595
2017-18	18	27	45	170	331	6,192	6,693	92.76	1,386
2018-19	18	27	45	170	331	6,531	7,032	91.66	1,303
2019-20	18	27	45	170	331	6,682	7,183	90.61	1,261

(स्रोतः उच्च शिक्षा विभाग)

तालिका 2.1 से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (18) और निजी विश्वविद्यालयों (27) की संख्या 2016–17 से स्थिर थी। इसी तरह, शासकीय महाविद्यालयों (170) और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों (331) की संख्या में भी क्रमशः 2016–17 और 2014–15 से कोई बदलाव नहीं हुआ। इस प्रकार, अवधि (2016–20) के दौरान राज्य ने सामान्य धारा (राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और शासकीय महाविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों) के उच्च अध्ययन के शासकीय वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों के विस्तार की कल्पना नहीं की। इसके अलावा, महाविद्यालयों में छात्रों का नामांकन जो 2015–16 में 94.88 लाख था, साल दर साल घट रहा था और 2019–20 में घटकर 90.61 लाख हो गया।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि वर्तमान में राज्य में 19 राज्य विश्वविद्यालय, 01 डीम्ड विश्वविद्यालय, 01 मुक्त विश्वविद्यालय, 30 निजी विश्वविद्यालय, 172 शासकीय महाविद्यालय, 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय और 7,372 स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। आगे यह भी कहा गया कि स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों की स्थापना प्रति महाविद्यालय औसत नामांकन में कमी का कारण थी। समापन गोष्ठी (15 जुलाई 2022) में कहा गया था कि छात्रों ने इंजीनियरिंग/मेडिकल आदि जैसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया होगा।

2.2.2 नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए नीतियां

समावेशी और सुलभ उच्च शिक्षा प्रदान करने में राज्य की नीति की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने इस संबंध में नीति दस्तावेजों की मांग की। हमें सूचित किया गया (अगस्त 2021) कि राज्य में नए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय खोलने के संबंध में कोई व्यापक नीति मौजूद नहीं है। हालांकि, असेवित क्षेत्रों में निजी प्रबंधन द्वारा नए महाविद्यालय खोलने की योजना मई 1999 से लागू है। असेवित क्षेत्र तय करने वाले मानदंड नीचे दिए गए हैं:

1. जिन विकास खण्डों में कोई महाविद्यालय नहीं है, उन्हें नए महाविद्यालय खोलने के लिए प्राथमिकता दी जानी थी;
2. जिन विकास खण्डों में किसी विशेष स्ट्रीम का महाविद्यालय नहीं है, उन्हें उस विशेष स्ट्रीम के संबंध में असेवित माना जाता है;
3. सह–शिक्षा वाले महाविद्यालय वाले विकास खण्डों को बालिका महाविद्यालय के लिए असेवित माना जाता है; तथा
4. जिस विकास खण्ड में बालिका महाविद्यालय है, वह सह–शिक्षा महाविद्यालय के लिए असेवित माना जाता है।

योजनान्तर्गत स्व–वित्तपोषित कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय खोलने हेतु ₹ 30 लाख तथा विज्ञान महाविद्यालयों के लिए ₹ 40 लाख का सहायता अनुदान अनुमन्य था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उच्च शिक्षा विभाग के पास राज्य में असेवित क्षेत्र/विकास खण्डों से सम्बन्धित विवरण जहां महाविद्यालय नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे। विभाग ने कहा (अगस्त 2021) कि असेवित क्षेत्र/विकास खण्ड की पहचान के लिए कोई भौतिक सर्वेक्षण या भू–मानचित्रण नहीं किया गया था।

आगे संवीक्षा में पता चला कि विभाग ने 2014–17 के दौरान असेवित क्षेत्र में 90 महाविद्यालय खोलने के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया था। तथापि, इन नए महाविद्यालयों को असेवित क्षेत्र के सर्वेक्षण के बिना जिस आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस सन्दर्भ में विभाग ने बताया (अगस्त 2021) कि महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव समाचार पत्रों के विज्ञापन/विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आमंत्रित किये गये थे और प्रस्तावों की प्राप्ति के बाद विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2014–17 के दौरान ऐसे 90[1] महाविद्यालयों के अनुमोदन के विरूद्ध मार्च 2020 तक केवल 64 महाविद्यालयों का निर्माण पूर्ण हुआ था तथा सम्बद्धता केवल 12 महाविद्यालयों द्वारा प्राप्त की गई थी। अगस्त 2021 तक इन 90 महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत ₹ 23.90 करोड़ के कुल अनुदान में से मात्र ₹ 14.90 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि संवितरित सहायता अनुदान वास्तव में महाविद्यालयों के निर्माण के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया था, इसके अलावा यह धन के विचलन और दुर्विनियोजन के जोखिम से भी भरा था। अग्रेतर, आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने के कारण, ऐसे पांच महाविद्यालयों को दिए गए ₹ 50 लाख के अनुदान को वसूल कर शासकीय खाते में जमा कर दिया गया है। वर्ष 2017–18 से योजनान्तर्गत किसी भी नये महाविद्यालय के लिए कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया।

2.2.3 उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों का वितरण

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि मार्च 2020 तक राज्य में 170 शासकीय महाविद्यालय थे। जिसमें से 130 महाविद्यालय बालकों या सह–शिक्षा के लिए और 40 महाविद्यालय बालिकाओं के लिए थे। 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में से 267 महाविद्यालय सह–शिक्षा के लिए थे और 64 बालिकाओं के लिए थे।

आगे की जांच से पता चला कि राज्य के प्रत्येक जिले में या तो शासकीय महाविद्यालय या अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय या दोनों थे। हालांकि, 20 जिलों में शासकीय या अशासकीय सहायता प्राप्त बालिका महाविद्यालय नहीं थे। इसके अलावा, पांच जिलों (बहराइच, गोंडा, हापुड़, मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर) में कोई शासकीय महाविद्यालय नहीं था और अन्य पांच जिलों (आजमगढ़, बलिया, इटावा, फिरोजाबाद और मेरठ) में पुरुष या सह–शिक्षा वाले शासकीय महाविद्यालय नहीं थे। इस प्रकार, जिन जिलों में शासकीय महाविद्यालय उपलब्ध नहीं थे, वहां के छात्र पूरी तरह से अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालयों पर निर्भर थे।

चूंकि बालिकाओं के शासकीय महाविद्यालयों की उपलब्धता लैंगिक समानता लाने में योगदान करती है, इसलिए राज्य के विभिन्न जिलों में बालिकाओं के शासकीय महाविद्यालयों की अनुपलब्धता छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए समानता पर सवाल उठाती है।

2.2.4 क्षेत्रीय सुलभता

क्षेत्रीय सुलभता प्राप्त करने का तात्पर्य भौगोलिक और अन्य प्रतिबन्धों के बावजूद, राज्य के सभी क्षेत्रों में भावी छात्रों को पर्याप्त पहुंच प्रदान करना है।

[1] 2014-15 (51 महाविद्यालय), 2015-16 (16 महाविद्यालय) और 2016-17 (23 महाविद्यालय)।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के 'उच्च शिक्षा में समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर जारी प्रतिवेदन के प्रस्तर 2.2.2 (ई) के अनुसार, उच्च शिक्षण संस्थानों का विकास पूरे देश में एक समान नहीं है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में बताया गया कि शिक्षण संस्थानों के वितरण में उद्देश्य क्षेत्रीय और अनुशासनात्मक असंतुलन को ठीक करना होना चाहिए। अग्रेतर, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तर 21.207 में यह परिकल्पित है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं का भौगोलिक मानचित्रण उच्च शिक्षा सुविधाओं की कमी वाले स्थानों और बस्तियों की पहचान करने के लिए किया जाना चाहिए।

2.2.4.1 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभता

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालयों की अधिक उपलब्धता से सुलभता में वृद्धि होती है। राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2014–20 के दौरान महाविद्यालयों की उपलब्धता नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 2.2: उत्तर प्रदेश में शासकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों की संख्या

वर्ष	शासकीय महाविद्यालय			अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय			स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालय		
	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण
2014-15	138	41	97	331	209	122	4,277	855	3,422
2015-16	166	50	116	331	209	122	4,689	938	3,751
2016-17	170	51	119	331	209	122	5,377	1,075	4,302
2017-18	170	51	119	331	209	122	6,192	1,238	4,954
2018-19	170	51	119	331	209	122	6,531	1,306	5,225
2019-20	170	51	119	331	209	122	6,682	1,403	5,279

(स्रोत: उच्च शिक्षा विभाग)

उपरोक्त **तालिका 2.2** से यह देखा जा सकता है कि राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या क्रमशः 2016–17 और 2014–15 से स्थिर थी। यद्यपि, स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालयों की संख्या 56 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2014–15 में 4,277 से बढ़कर 2019–20 में 6,682 हो गई। इसी अवधि में स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालयों में शहरी क्षेत्रों में 64 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, वर्ष 2014–20 की अवधि के दौरान महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, जिसके कारण सुलभता में सुधार हुआ, पूरी तरह से स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि के कारण थी।

2.2.4.2 चयनित विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों का वितरण

नमूना जांच में लिए गये विश्वविद्यालयों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालयों का वितरण **चार्ट 2.1** और **तालिका 2.3** में दिया गया है।

चार्ट 2.1: महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महाविद्यालयों का वितरण

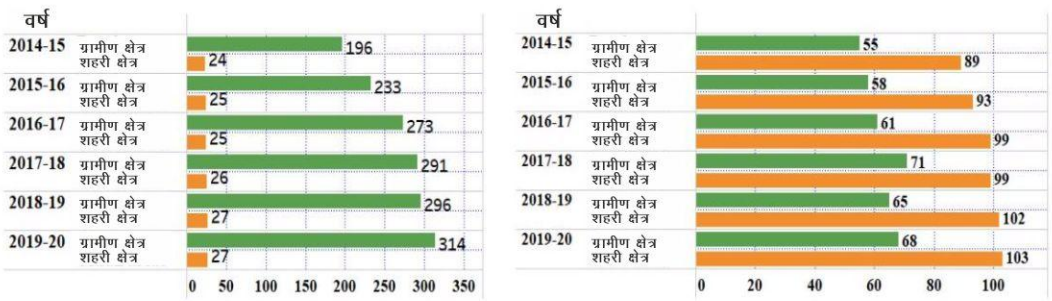

तालिका 2.3: महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों, कुल छात्र और प्रति महाविद्यालय औसत छात्रों की संख्या

वर्ष	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	कुल महाविद्यालय	कुल छात्र	प्रति महाविद्यालय औसत छात्र
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ					
2014-15	24	196	220	3,29,805	1,499
2015-16	25	233	258	3,77,651	1,464
2016-17	25	273	298	3,82,114	1,282
2017-18	26	291	317	3,30,938	1,044
2018-19	27	296	323	2,94,754	912
2019-20	27	314	341	2,59,754	761
लखनऊ विश्वविद्यालय					
2014-15	89	55	144	उपलब्ध नहीं कराया	उपलब्ध नहीं कराया
2015-16	93	58	151	उपलब्ध नहीं कराया	उपलब्ध नहीं कराया
2016-17	99	61	160	उपलब्ध नहीं कराया	उपलब्ध नहीं कराया
2017-18	99	71	170	1,05,861	623
2018-19	102	65	167	1,06,947	640
2019-20	103	68	171	1,16,888	684

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

तालिका 2.3 से स्पष्ट है कि वर्ष 2019–20 के दौरान महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के पांच[2] जिलों के 341 महाविद्यालयों में से 27 (8 प्रतिशत) महाविद्यालय शहरी क्षेत्रों में और 314 (92 प्रतिशत) महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध थे। अग्रेतर, वर्ष 2014–20 के दौरान शहरी क्षेत्रों में महाविद्यालयों की संख्या लगभग स्थिर रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फिर भी ये महाविद्यालय उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक छात्रों को आकर्षित करने में विफल रहे क्योंकि वर्ष 2016–17 के छात्रों की तुलना में कुल छात्रों की संख्या में सतत कमी (32 प्रतिशत) हो रही थी। प्रति महाविद्यालय छात्रों की औसत संख्या भी (49 प्रतिशत) घटकर वर्ष 2014–15 में 1,499 छात्रों से वर्ष 2019–20 में 761 हो गई।

मार्च 2020 तक, लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अधिकांश महाविद्यालय लखनऊ जनपद के शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित थे। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 171 महाविद्यालयों के वर्ष 2014–17 के दौरान के छात्रों की संख्या से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे जिसके कारण उस अवधि के आंकड़ों का लेखापरीक्षा में विश्लेषण नहीं किया जा सका। वर्ष 2017–20 के दौरान, शहरी क्षेत्र में महाविद्यालयों की संख्या थोड़ा बढ़कर 99 से 103 हो गई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 71 से घटकर 68 हो गई। हालांकि, उस अवधि के दौरान, महाविद्यालयों की कुल संख्या 170 से बढ़कर 171 हो गई और प्रति महाविद्यालय औसत छात्र 623 से बढ़कर 684 हो गया। इस प्रकार, लखनऊ विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा तक पहुंच पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ी बढ़ी है।

2.2.4.3 राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सुलभता

किसी क्षेत्र के भौगोलिक पहलू भी उच्च शिक्षा की आसानी से सुलभता को प्रभावित करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पैराग्राफ 21.207 में यह परिकल्पित है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं का भौगोलिक मानचित्रण उच्च शिक्षण संस्थाओं की कमी वाले स्थानों और बस्तियों की पहचान करने के लिए किया जाना था, उत्तर प्रदेश सरकार के पास न तो राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों के भौगोलिक मानचित्रण के लिए कोई नीति थी और न ही इसने उच्च शिक्षा सुविधाओं की कमी वाले स्थानों की संख्या की पहचान करने के लिए कोई भौगोलिक मानचित्रण किया और तद्नुसार राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों की कुल आवश्यकता का आकलन किया।

लेखापरीक्षा ने सामान्य स्ट्रीम में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों की क्षेत्रवार उपलब्धता का विश्लेषण किया। राज्य के चार भौगोलिक क्षेत्रों ***(परिशिष्ट 2.1)*** में 2014–20 के दौरान

[2] भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और वाराणसी।

शासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का वितरण **तालिका 2.4** में दिया गया है:

तालिका 2.4: उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों में शासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का वितरण

भौगोलिक क्षेत्र (जनपदों की संख्या)	शासकीय महाविद्यालयों की संख्या		अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या		कुल महाविद्यालयों की संख्या		जनसँख्या (18–23 वर्ष के आयुवर्ग के लिए जनगणना 2011) (प्रतिशत)
	2014 -15 (प्रतिशत)	2019 –20 (प्रतिशत)	2014 -15 (प्रतिशत)	2019 –20 (प्रतिशत)	2014 -15 (प्रतिशत)	2019 –20 (प्रतिशत)	
पूर्वी (28 जिले)	54 (39)	63 (37)	122 (37)	122 (37)	176 (38)	185 (37)	90,50,625 (38)
पश्चिमी (30 जिले)	52 (38)	65 (38)	132 (40)	132 (40)	184 (39)	197 (39)	93,15,529 (39)
मध्य (10 जिले)	18 (13)	24 (14)	64 (19)	64 (19)	82 (18)	88 (18)	42,57,453 (19)
बुन्देलखण्ड (7 जिले)	14 (10)	18 (11)	13 (4)	13 (4)	27 (6)	31 (6)	10,94,724 (5)
योग	**138**	**170**	**331**	**331**	**469**	**501**	**2,37,18,321**

(स्रोत: उच्च शिक्षा निदेशालय)

जैसा कि **तालिका 2.4** से स्पष्ट है, वर्ष 2019–20 में राज्य के चार क्षेत्रों में 18–23 वर्ष के आयु वर्ग के अंतर्गत जनसंख्या का क्षेत्रवार वितरण प्रतिशत की तुलना में महाविद्यालयों का वितरण लगभग सामान था। फिर भी, लेखापरीक्षा ने विश्वविद्यालयों की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन पाया। उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों का वर्ष 2019–20 तक क्षेत्रवार वितरण निम्नानुसार था:

तालिका 2.5: 2019–20 के दौरान उच्च शिक्षा विभाग में राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों का क्षेत्रीय वितरण

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम (जनपदों की संख्या)	राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या (प्रतिशत)	जनसंख्या[3] (प्रतिशत)
1.	**पूर्वी (28)**	9 (20)	90,50,625 (38)
2.	**पश्चिमी (30)**	26 (58)	93,15,529 (39)
3.	**मध्य (10)**	9 (20)	42,57,453 (19)
4.	**बुन्देलखण्ड (7)**	1 (2)	10,94,724 (5)
योग		**45**	**2,37,18,321**

(स्रोत: उच्च शिक्षा निदेशालय)

जैसा कि **तालिका 2.5** और **चार्ट 2.2** से स्पष्ट है, विभिन्न क्षेत्रों में राज्य विश्वविद्यालयों का प्रतिशत, उनकी 18–23 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या के अनुरूप नहीं था। 58 प्रतिशत विश्वविद्यालय पश्चिमी क्षेत्र, जो राज्य की उपरोक्त जनसंख्या का केवल 39 प्रतिशत ही समायोजित करता था, में वितरित थे। पूर्वी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों का प्रतिशत और इसमें रहने वाली

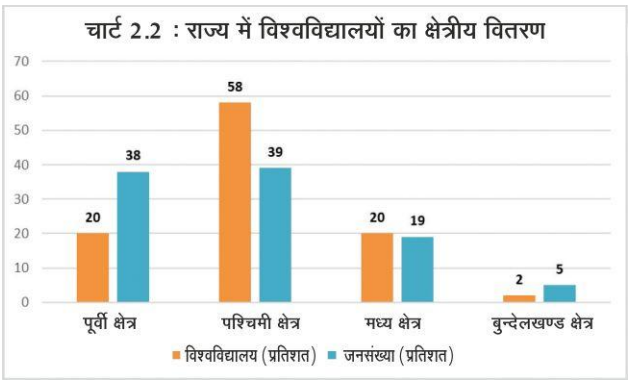

[3] 2011 की जनगणना के अनुसार (आयु वर्ग 18–23 वर्ष)।

जनसंख्या क्रमशः 20 प्रतिशत और 38 प्रतिशत थी। बुंदेलखंड क्षेत्र में यद्यपि ऐसी आबादी पांच प्रतिशत थी, लेकिन इस क्षेत्र में केवल दो प्रतिशत विश्वविद्यालय ही उपलब्ध थे। राज्य सरकार के पास राज्य के शहरी, ग्रामीण, आदिवासी और अल्प सेवित क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में कोई नीति नहीं थी।

2.2.4.4 शैक्षणिक विकल्पों की विभिन्न शाखाओं तक सुलभता

एक इच्छुक छात्र जो उच्च शिक्षा के माध्यम से अध्ययन करना चाहता है के लिये शिक्षण क्षेत्र के संदर्भ में शैक्षिक पसंद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सभी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले बहु–विषयक और संकर–विषयक शिक्षण और अनुसंधान को संभव और प्रोत्साहित करने के लिए नयी शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तर 10.11 में कहा गया है कि एकल विषयक उच्च शिक्षण संस्थाओं को समय के साथ समाप्त कर दिया जाएगा और सभी जीवंत बहु–विषयक संस्थान या जीवंत बहु–विषयक उच्च शिक्षण संस्थान समूहों के हिस्से बनने की ओर अग्रसर होंगें। **तालिका 2.6** और **चार्ट 2.3** राज्य में वर्ष 2014–20 की अवधि के दौरान महाविद्यालयों की संकाय–वार स्थिति प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.6: उत्तर प्रदेश में महाविद्यालयों की संकाय–वार संख्या

वर्ष	शासकीय महाविद्यालय				अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय				स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय			
	महाविद्यालयों की संख्या	कला	विज्ञान	वाणिज्य	महा विद्यालयों की संख्या	कला	विज्ञान	वाणिज्य	महा विद्यालयों की संख्या	कला	विज्ञान	वाणिज्य
2014-15	138	138	19	12	331	305	99	79	4,,277	4,277	2,010	642
2015-16	166	166	23	16	331	308	99	79	4,689	4,689	2,204	703
2016-17	170	170	24	17	331	305	99	79	5,377	5,377	2,527	807
2017-18	170	170	24	17	331	305	99	79	6,192	6,192	2,910	929
2018-19	170	170	24	19	331	305	99	79	6,531	6,531	3,070	980
2019-20	170	170	24	19	331	318	99	83	6,682	6,682	3,141	1,069

(स्रोतः उच्च शिक्षा निदेशालय)

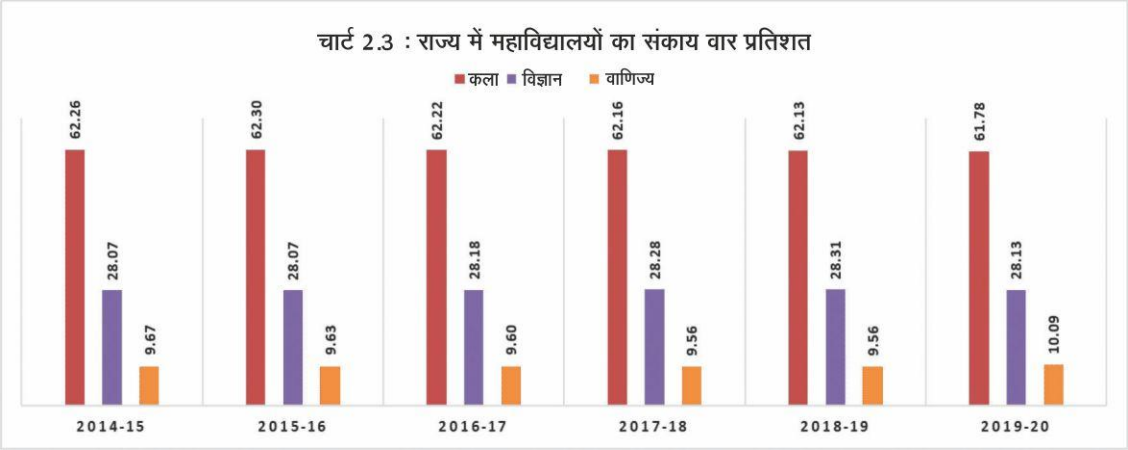

तालिका 2.6 और **चार्ट 2.3** से देखा जा सकता है कि सभी शासकीय और स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों में कला संकाय उपलब्ध था। कुल मिलाकर वर्ष 2019–20 के दौरान विज्ञान और वाणिज्य संकाय क्रमशः 28 प्रतिशत और 10 प्रतिशत महाविद्यालयों में उपलब्ध था। अग्रेतर, विज्ञान और कला संकाय वाले शासकीय महाविद्यालयों की कुल संख्या वर्ष 2016–17 से स्थिर थी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के सन्दर्भ में वर्ष 2014–20 की अवधि के दौरान विज्ञान संकाय (99 महाविद्यालय) स्थिर रहा। नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों की संकाय–वार उपलब्धता **तालिका 2.7** और **चार्ट 2.4** में दी गई है।

तालिका 2.7: वर्ष 2019–20 के दौरान महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में संकाय उपलब्धता

जिला	कुल महाविद्यालयों की संख्या			शहरी क्षेत्र में महाविद्यालयों की संख्या			ग्रामीण क्षेत्र में महाविद्यालयों की संख्या		
	शहरी	ग्रामीण	योग	कला	वाणिज्य	विज्ञान	कला	वाणिज्य	विज्ञान
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी									
भदोही	1	24	25	1	0	0	24	6	9
चन्दौली	4	80	84	4	2	1	80	11	8
मिर्जापुर	5	78	83	5	2	2	78	16	22
सोनभद्र	2	40	42	2	1	1	40	12	14
वाराणसी	15	92	107	15	8	9	92	40	32
योग	27	314	341	27	13	13	314	85	85
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ									
लखनऊ	86	44	130	63	80	41	27	40	11

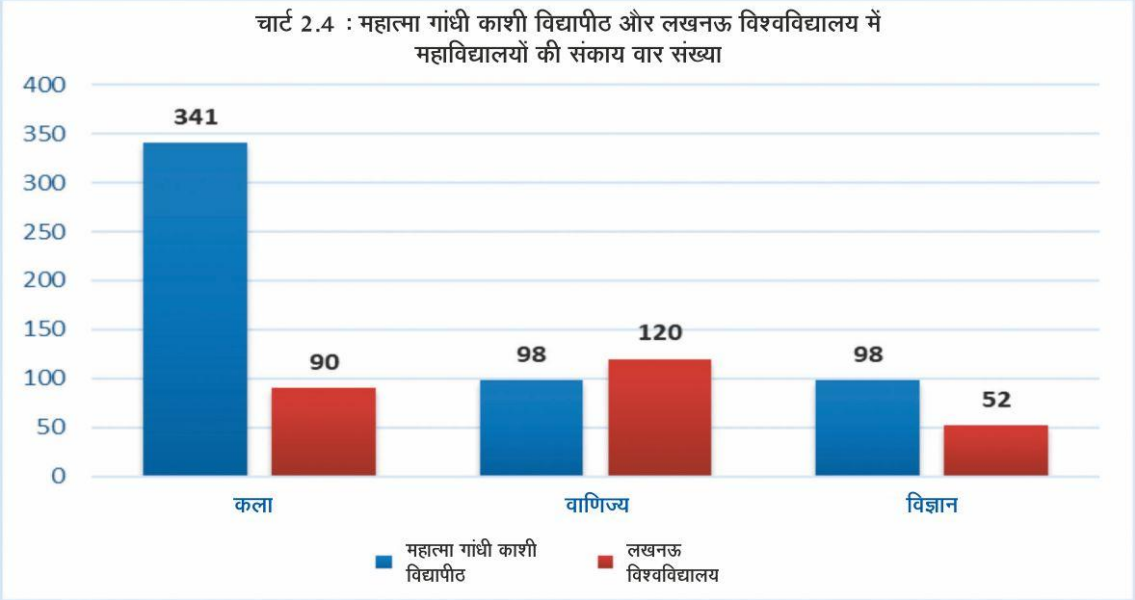

संकाय असंतुलन, जैसा कि **तालिका 2.7** और **चार्ट 2.4** में दिखाया गया है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवंत बहु–विषयक संस्थानों की उपलब्धता की कमी को दर्शाता है, जो महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय दोनों में छात्रों को विभिन्न संकायों के विकल्प का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

2.2.5 सकल नामांकन अनुपात

उच्च शिक्षा के सुलभता को मापने के लिए प्रायः सकल नामांकन अनुपात का उपयोग किया जाता है। 18–23 वर्ष के पात्र आयु वर्ग में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में उच्च शिक्षा (डिग्री और डिप्लोमा दोनों कार्यक्रमों) में कुल नामांकन को सकल नामांकन अनुपात कहते है। 2014–20 के दौरान अपने लक्ष्य के सापेक्ष सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि उच्च शिक्षा में परिणामों के संकेतकों में से एक है। ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रमांक 19)***।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 2016–17 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने वर्ष 2020 तक 30 प्रतिशत

सकल नामांकन अनुपात और 2030 तक 40 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य निर्धारित किया। सकल नामांकन अनुपात डेटा के संदर्भ में राज्य की उपलब्धि **तालिका 2.8** में दी गई है।

तालिका 2.8: सकल नामांकन अनुपात का डेटा

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भारत का सकल नामांकन अनुपात	24.30	24.50	25.20	25.80	26.30	27.10
उत्तर प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात	25.00	24.50	24.90	25.90	25.80	25.30
उत्तर प्रदेश की श्रेणी	18	19	19	19	20	21

(स्रोत: उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण प्रतिवेदन)

तालिका 2.8 से विदित होता है:

- राज्य सरकार ने 2020 तक 30 प्रतिशत के सकल नामांकन अनुपात के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं किया।
- उत्तर प्रदेश के सकल नामांकन अनुपात ने वर्ष 2014–15 से वर्ष 2019–20 के दौरान उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई, यह वर्ष 2014–20 के दौरान (वर्ष 2014–15 और 2017–18 को छोड़कर) अखिल भारतीय सकल नामांकन अनुपात से कम था।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सकल नामांकन अनुपात के मामले में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में वर्ष 2014–15 के 18वें स्थान से गिरकर वर्ष 2019–20 में 21वें स्थान पर पहुंच गया।

शासन द्वारा कहा गया (जुलाई 2022) कि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से राज्य में सकल नामांकन अनुपात में सुधार होगा।

2.2.6 सीट और आवेदन अनुपात

प्रत्येक कार्यक्रम में प्रवेश क्षमता का आंकलन करने के लिए प्रत्येक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध स्वीकृत सीटों का प्रतिशत संकेतक के रूप में लिया गया था। हमने नमूना जांच किये गये विश्वविद्यालयों में प्रथम वर्ष के स्नातक (बीए, बीएससी और बीकॉम) और परास्नातक (एमए, एमएससी और एम कॉम) पाठ्यक्रमों के आंकडे प्राप्त किये और सीट और आवेदन अनुपात की गणना की। नमूना जांच किये गये विश्वविद्यालयों में वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के दौरान इन पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या, प्राप्त आवेदनों की संख्या और आवेदन के लिए सीटों का अनुपात **तालिका 2.9** और **चार्ट 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.9: स्नातक और परास्नातक सामान्य संकायों के लिए सीट और आवेदन अनुपात

विश्वविद्यालय का नाम	2016–17			2017–18			2018–19			2019–20		
	स्वीकृत सीटें	आवेदन प्राप्त	सीट आवेदन अनुपात (प्रतिशत)	स्वीकृत सीटें	आवेदन प्राप्त	सीट आवेदन अनुपात (प्रतिशत)	स्वीकृत सीटें	आवेदन प्राप्त	सीट आवेदन अनुपात (प्रतिशत)	स्वीकृत सीटें	आवेदन प्राप्त	सीट आवेदन अनुपात (प्रतिशत)
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	3,002	23,923	0.13:1 (13)	3,002	22,392	0.13:1 (13)	3,002	23,383	0.13:1 (13)	3,479	24,437	0.14:1 (14)
लखनऊ विश्वविद्यालय	6,018	31,793	0.19:1 (19)	6,568	33,457	0.20:1 (20)	6,688	33,725	0.20:1 (20)	6,653	31,214	0.21:1 (21)

(स्रोत– महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

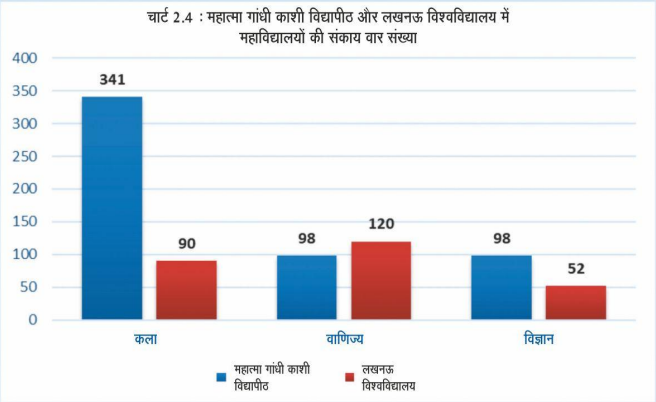

अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए छात्र को न्यूनतम एक सीट की आवश्यकता होती है। जैसा कि चार्ट 2.5 से स्पष्ट है, वर्ष 2016–2020 के दौरान महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में मात्र 13 से 14 प्रतिशत छात्रों के लिए सीटें उपलब्ध थी और एक छात्र के लिए 19 से 21 प्रतिशत सीटें लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उपलब्ध थीं। नमूना जांच किये गये दोनो विश्वविद्यालयों में वर्ष 2016–20 के दौरान सीट आवेदन अनुपात में वृद्धि नगण्य थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना के माध्यम से प्रति छात्र सीटों के वितरण में संतुलन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

2.3 उच्च शिक्षा में समानता सुनिश्चित करना

उच्च शिक्षा में समानता प्राप्त करना किसी भी उच्च शिक्षा प्रणाली का सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत उद्देश्य है। समाज के विभिन्न वर्गों, जैसे लिंग, जाति, सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन, दिव्यांगता और अन्य कमजोर वर्गों में समानता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तर 21.239 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्चस्व वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने और वंचित वर्गों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समग्र तरीके से समानता हेतु लागू विभिन्न योजनाओं को एक साथ मिलाकर उस पर ध्यान केन्द्रित करने वाले एक लक्षित दृष्टिकोण की परिकल्पना की गयी थी। इसके अलावा उच्च शिक्षा में समावेशी और गुणात्मक विस्तार पर प्रतिवेदन के प्रस्तर 2.2.2(अ) के अनुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा तक पहुंच में पुरूषों और महिलाओं के बीच के अंतर को पूरी तरह से समाप्त करना होगा।

निम्नलिखित प्रस्तरों में, वंचित समूह के सकल नामांकन अनुपात में वृद्वि से सम्बंधित पहलुओं और नमूना जांच की गयी संस्थाओं द्वारा किये गये प्रयासों के बारे में, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ को मजबूत करना, लिंग समानता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना आदि सम्मिलित है, पर चर्चा की गयी है।।

2.3.1 वंचित समूहों का सकल नामांकन अनुपात

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और महिलाओं को आम तौर पर हमारे समाज के वंचित वर्ग के रूप में माना जाता है और अनेक नीतियां और योजनाएं उच्च शिक्षा में उनके नामांकन को बढ़ाने का लक्ष्य रखती हैं। इन वर्गों के नामांकन में सुधार और इस तरह के सुधार के लिए लक्षित उपायों की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए श्रेणीवार सकल नामांकन अनुपात सबसे आम मापक है। इस सम्बंध में राज्य सरकार के प्रयासों का आंकलन करने के लिए वर्ष 2014–20 के दौरान अखिल भारतीय अनुपातों/लक्ष्यों के सम्बंध में श्रेणीवार सकल नामांकन अनुपात में वृद्वि का उपयोग उच्च शिक्षा में परिणामों के लिए संकेतक के रूप में किया गया है ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रमांक 20)***।

अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्संख्यकों और दिव्यांग श्रेणियों के सकल नामांकन अनुपात के सम्बंध में सूचनायें मांगे जाने पर भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। सम्पूर्ण आंकड़ों के अभाव में लेखापरीक्षा केवल शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग), भारत सरकार के अखिल भारतीय उच्च

शिक्षा सर्वेक्षण प्रतिवेदन से आंकड़ें लेते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला श्रेणियों के सकल नामांकन अनुपात और लिंग समानता सूचकांक[4] का विश्लेषण कर सकती थी। वर्ष 2014–15 से 2019–20 की अवधि के लिए अखिल भारतीय और उत्तर प्रदेश के आंकडे **तालिका 2.10** में दिये गये हैं।

तालिका 2.10: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के सकल नामांकन अनुपात और लिंग समानता सूचकांक

वर्ष	अनुसूचित जाति का सकल नामांकन अनुपात		अनुसूचित जनजाति का सकल नामांकन अनुपात		महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात		लिंग समानता सूचकांक	
	अखिल भारतीय	उत्तर प्रदेश	अखिल भारतीय	उत्तर प्रदेश	अखिल भारतीय	उत्तर प्रदेश	अखिल भारतीय	उत्तर प्रदेश
2014–15	19.10	20.60	13.70	30.60	23.20	25.50	0.92	1.04
2015–16	19.90	20.50	14.20	30.60	23.50	24.90	0.92	1.03
2016–17	21.10	21.10	15.40	33.30	24.50	25.30	0.94	1.03
2017–18	21.80	21.70	15.90	35.60	25.40	26.70	0.97	1.06
2018–19	23.00	24.00	17.20	42.60	26.40	27.50	1.00	1.14
2019–20	23.40	23.60	18.00	39.00	27.30	26.90	1.01	1.13

(स्रोत– अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण प्रतिवेदन*)*

वर्ष 2014–20 की अवधि के लिए ऊपर दी गयी **तालिका 2.10** से विदित होता है:

- हालांकि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग का सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2014–15 के 20.60 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 23.60 प्रतिशत हो गया, लेकिन इसमें पिछले वर्ष (वर्ष 2018–19: 24.00 प्रतिशत) की तुलना में कमी देखी गयी। हालांकि यह वर्ष 2017–18 को छोड़कर सभी वर्षो में अखिल भारतीय औसत से बेहतर/बराबर था।
- अनुसूचित जनजाति श्रेणी का सकल नामांकन अनुपात 30.60 से बढ़कर 39.00 हो गया लेकिन इसमें पिछले वर्ष (वर्ष 2018–19 : 42.60) की तुलना में कमी भी देखी गयी। हालांकि यह सभी वर्षों में अखिल भारतीय औसत से बहुत आगे था।
- महिला वर्ग का सकल नामांकन अनुपात अंतिम वर्ष के पहले वर्ष के 27.50 से वर्ष 2019–20 में घटकर 26.90 हो गया।
- उत्तर प्रदेश की सभी श्रेणियों का लिंग समानता सूचकांक 1.04 से बढ़कर 1.13 हो गया जो एक अच्छा संकेत था।

राज्य सरकार ने कहा (जुलाई 2022) कि राज्य में महिला एवं अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति वर्ग के सकल नामांकन अनुपात में सुधार के लिए शुल्क में कमी, छात्रवृत्ति योजना को लागू करने और अन्य सुविधाएं प्रदान करने आदि के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है।

2.3.2 वंचित समूहों की सहायता के लिए संस्थागत तंत्र

शीर्ष योजना और नियामक संस्थानों ने समान अवसर प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों, सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ (सीईडीसी) आदि जैसे संस्थागत तंत्रों को स्थापित करने और मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत (सितम्बर 2009) निर्देशों में कहा गया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) और अल्पसंख्यकों हेतु

[4] इसकी गणना उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित पुरूषों की संख्या से महिलाओं की संख्या के भागफल के रूप में की जाती है।

कम से कम प्रारम्भिक स्तर प्राप्त करने और गुणवत्ता में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मदद के लिये ढांचे और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ (ईओसी) की स्थापना की जानी चाहिये। महाविद्यालयों को भी समान अवसर प्रकोष्ठ (ईओसी) खोलने के लिए सहायता के रूप में विश्वविद्याालय अनुदान आयोग से धन प्राप्त करने की अनुमति दी गयी थी। दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना प्रारम्भ किया।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनिवार्य रूप से सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ (सीईडीसी) के गठन की परिकल्पना की गयी थी। उच्च शिक्षा के समावेशी और गुणात्मक विस्तार (12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज) का प्रस्तर 6.1.2 वंचित सामाजिक समूह से शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के प्रवेश के साथ–साथ छात्रों के प्रवेश, प्रदर्शन, क्षमता निर्माण प्रयासों की निगरानी के लिए अल्पसंख्यकों के नये कार्यक्रमों सहित सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ (सीईडीसी) के निर्माण को निर्धारित करता है। समान अवसर प्रकोष्ठ (ईओसी) और सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ (सीईडीसी) पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गयी है।

2.3.2.1 समान अवसर प्रकोष्ठ और सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ

समान अवसर प्रकोष्ठ और सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ का मूल उद्देश्य वंचित समूहों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करना, शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक और अन्य मामलों के सम्बंध में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करना, छात्रों के प्रवेश, प्रदर्शन, क्षमता तथा अल्पसंख्यकों के नये कार्यक्रमों आदि सहित वंचित सामाजिक समूहों से संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों में भर्ती के साथ–साथ क्षमता निर्माण के प्रयासों की निगरानी करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने विश्वविद्यालय में समान अवसर प्रकोष्ठ के गठन को अधिसूचित नहीं किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय में हालांकि समान अवसर प्रकोष्ठ को सितम्बर 2013 में एक अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया गया था, लेकिन वर्ष 2014–20 के दौरान इसने अपनी कार्यात्मक गतिविधियों को पूरा नहीं किया।

नमूना जांच किए गए दोनों विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किसी भी नमूना जांच किये गये महाविद्यालय ने समान अवसर प्रकोष्ठ खोलने के लिए विश्वविद्याालय अनुदान आयोग योजना से राशि नहीं ली। जिससे महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ नहीं खुल सके और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र प्रकोष्ठ के लाभ से वंचित रह गये।

सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ का गठन महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय और उनके नमूना जांच किये गये सम्बद्ध महाविद्यालयों में भी नहीं किया गया था। संस्थान (सीईडीसी) का गठन नहीं करने के कारण सभी नमूना जांच किये गये उच्च शिक्षण संस्थानों में वंचित वर्गो के छात्रों को समान स्तर पर रखने के लिए सभी पहलों और कार्यक्रमों से अवगत नहीं कराया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि विभिन्न प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए निर्देश जनवरी 2021 में जारी किये गये थे। समापन बैठक (15 जुलाई 2022) में यह अवगत कराया गया था कि समस्या उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थापित प्रकोष्ठों द्वारा दस्तावेजीकरण न करने के कारण हो सकती है। आगे यह भी कहा गया कि पहले विश्वविद्याालय अनुदान आयोग ने प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए धन उपलब्ध कराया था लेकिन अब वित्त पोषण रोक दिया गया है।

तथ्य यह है कि नमूना जांच किये गये विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ और सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ को या तो अधिसूचित नहीं किया गया था या कार्यशील

नहीं था, परिणामस्वरूप उच्च शिक्षण संस्थान और छात्र समान अवसर प्रकोष्ठ और सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ के संस्थागत परिणामों का लाभ नहीं उठा सके।

2.3.3 लैंगिक समानता संवर्धन कार्यक्रम और लैंगिक संवेदनशील सुविधाएं

उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए महिलाओं जिन्हें प्रायः हमारे समाज का सबसे बड़ा वंचित वर्ग माना जाता है, का उत्थान सामान्य रूप से आवश्यक है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद किसी उच्च शिक्षण संस्थान की मान्यता के दौरान लैंगिक समानता संवर्धन और संवेदनशीलता को बढावा देने के किसी संस्थान के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। यह इसे 'संस्थागत मूल्यों' का एक प्रमुख संकेतक मानता है। आयोजित किये जा रहे लैंगिक समानता संवर्धन कार्यक्रमों (यौन उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हिंसा, महिलाओं के अधिकार और आपराधिक न्याय तक पहुंच, महिलाओं से सम्बंधित कानूनों के बारे में कानूनी जागरूकता आदि) की संख्या और लैंगिक संवेदनशील सुविधाएं (संरक्षा और सुरक्षा, परामर्श, कॉमन रूम आदि) प्रदान करने के संदर्भ में एक उच्च शिक्षण संस्थान की पहल का मूल्यांकन किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2014 के दौरान महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के आठ नमूना जांच किये गये विभागों[5] में से दो विभागों (सामाजिक कार्य विभाग और मनोविज्ञान विभाग) ने हिंसा उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हस्ताक्षर अभियान, निर्भया स्मृति दिवस पर व्याख्यान, तीन तलाक पर जागरूकता कार्यक्रम आदि का आयोजन वर्ष 2014–20 के दौरान किया। तथापि विभागों द्वारा इन गतिविधियों से सम्बंधित अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था। वर्ष 2014–20 के दौरान विश्वविद्यालयों में 19 लैंगिक समानता संवर्धन कार्यक्रम (17 कार्यक्रम सामाजिक कार्य विभाग द्वारा और दो कार्यक्रम मनोविज्ञान विभाग द्वारा) आयोजित किये गये।

लखनऊ विश्वविद्यालय में नमूना जांच किये गये 10 विभागों[6] में से किसी भी विभाग ने लैंगिक समानता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया।

वर्ष 2014–20 के दौरान, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से सम्बद्व छह नमूना जांच किये गये शासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में से पांच महाविद्यालयों[7] ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण, यौन शोषण और हिंसा के खिलाफ जागरूकता आदि से सम्बंधित लैंगिक समानता कार्यक्रम आयोजित किये।

नमूना जांच किये गये लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्व शासकीय महाविद्यालयों[8] और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों[9] ने वर्ष 2014–20 के दौरान लैंगिक समानता संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन किया, जैसे लिंग संवेदीकरण, अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस और अर्न्तराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उत्सव, महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान, लिंगानुपात पर पोस्टर प्रतियोगिता, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बाल उत्पीड़न आदि।

जैसा कि उपरोक्त प्रस्तरों से स्पष्ट है नमूना जांच किये गये विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के कुछ विभागों में लैंगिक समानता संवर्धन कार्यक्रम छिटपुट रूप से आयोजित किये गये थे।

उत्तर में, लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा (जुलाई 2022) कि उसके पास लैंगिक संवेदीकरण प्रकोष्ठ है जो जागरूकता कार्यक्रम, व्याख्यान और प्रशिक्षण आयोजित करता है। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने इस प्रकरण पर कोई जवाब नहीं दिया।

---

[5] महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ : वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, और समाज शास्त्र।

[6] लखनऊ विश्वविद्यालयः अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, दर्शनशास्त्र, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान।

[7] राजकीय पीजी महाविद्यालय ओबरा सोनभद्र, राजकीय महाविद्यालय नौगढ़ चंदौली, पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय महाविद्यालय चंदौली, जगतपुर पीजी कालेज वाराणसी और अग्रसेन कन्या पीजी महाविद्यालय वाराणसी।

[8] महाराजा बिजली पासी राजकीय पीजी महाविद्यालय आसियाना लखनऊ तथा महामाया राजकीय महाविद्यालय महोना लखनऊ।

[9] करामात हुसैन मुस्लिम बालिका पीजी महाविद्यालय लखनऊ तथा नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ।

2.3.4 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रवेश में आरक्षण

शासनादेश[10] (18 फरवरी 2019) के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2019–20 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षण संस्थानों[11] में प्रवेश में प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण प्रदान किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जाँच किये गये दोनों विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रवेश के लिये 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गयीं थीं। वर्ष 2019–22 के दौरान प्रत्येक वर्ष बीए, बीएससी, बी कॉम, एमए, एमएससी और एम कॉम पाठ्यक्रमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में आरक्षित 345 सीटों में से वर्ष 2019–20 में केवल 132 सीटें (38 प्रतिशत), 2020–21 में 188 सीटें (54 प्रतिशत) और 2021–22 में 214 सीटें (62 प्रतिशत) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों से भरी गईं।

लखनऊ विश्वविद्यालय में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए 2019–20, 2020–21 और 2021–22 में आरक्षित 395, 413 और 420 स्नातक सीटों में से क्रमशः 347 सीटें (88 प्रतिशत), 373 सीटें (90 प्रतिशत) और 259 सीटें (62 प्रतिशत) भरे गए। इसके अलावा, परास्नातक पाठ्यक्रमों में 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए 390, 462 और 470 आरक्षित सीटों के विरूद्ध क्रमशः 257 छात्र (66 प्रतिशत), 311 छात्र (67 प्रतिशत) और 315 छात्र (67 प्रतिशत) भर्ती किए गए थे।

नमूना जाँच किये गये शासकीय महाविद्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त महाराजा बिजली पासी शासकीय पीजी महाविद्यालय, लखनऊ में, यद्यपि एमए (30 सीटें) और एमएससी (तीन सीटें) पाठ्यक्रमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सीटें आरक्षित थीं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत प्रवेश नहीं पाया गया। इसके अलावा, बीए (24), बी एससी (छह) और बी कॉम (छह) में आरक्षित सीटों में से, 2019–22 के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोटे के अंतर्गत बीए में कोई प्रवेश नहीं देखा गया, जबकि एक छात्र को 2019–20 में बी एससी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। बी कॉम पाठ्यक्रम में 2019–20, 2020–21 और 2021–22 में क्रमशः तीन, पांच और एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को प्रवेश प्रदान किया गया था। महाविद्यालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की खाली सीटों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोटे के अंतर्गत कम आवेदनों को जिम्मेदार ठहराया।

लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महामाया शासकीय महाविद्यालय, महोना, लखनऊ में बीए, बीएससी और बी कॉम पाठ्यक्रमों में 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित थीं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के प्रवेश पर नहीं पाया गया। महाविद्यालय ने कहा (सितंबर 2022) कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अंतर्गत छात्रों को उनके आवेदन करने पर प्रवेश दिया जाएगा।

पंडित कमलापति त्रिपाठी शासकीय पीजी महाविद्यालय, चंदौली, जो महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध है, ने 2019–22 के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए बीए पाठ्यक्रम में आवश्यक 20 सीटों (स्वीकृत 200 सीटों के मुकाबले 10 प्रतिशत) के विरूद्ध 10 सीटें आरक्षित कीं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सभी सीटें 2019–20 और 2020–21 के दौरान भरी गईं, हालांकि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की चार सीटें 2021–22 के दौरान खाली रहीं।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध शासकीय पीजी महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र के मामले में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित थीं, लेकिन ये 2020–22 के

[10] उत्तर प्रदेश सरकार आदेश संख्या 1/2019/4/1/2002/का–2/19 टी.सी.2 दिनांक 18.02.2019।
[11] अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर।

दौरान एम एससी और एम कॉम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सीटों[12] के आंशिक उपयोग को छोड़कर 2019–22 के दौरान खाली रहीं। कॉलेज ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की खाली सीटों के लिए प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदनों की कमी को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा, शासकीय पीजी महाविद्यालय, नौगढ़ चंदौली ने बीए पाठ्यक्रम के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये सीटें आरक्षित कीं, फिर भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोटा का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदकों की कुल संख्या कॉलेज में स्वीकृत सीटों की संख्या से कम रही।

नमूना जाँच किये गये अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय

नमूना–जांच किए गए पांच अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में से अल्पसंख्यक महाविद्यालय होने के कारण करामत हुसैन मुस्लिम बालिका पीजी महाविद्यालय, लखनऊ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोटे के अंतर्गत आरक्षण लागू नहीं था। नमूना जांच किए गए शेष चार अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों ने नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ को छोड़कर, जिन्होंने वर्ष 2019–20 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित नहीं की और 2020–21 और 2021–22 में 10 प्रतिशत से कम सीटें[13] आरक्षित की थीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित कीं। इसके अलावा, सकलडीहा पीजी महाविद्यालय, चंदौली जिसमें 2020 में बीए पाठ्यक्रम में 72 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सीटों के सापेक्ष केवल तीन छात्रों को प्रवेश दिया गया था, को छोड़कर, 2019–22 के दौरान आरक्षित सीटों के सापेक्ष आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के प्रवेश पर ध्यान नहीं दिया गया था।

इन महाविद्यालयों ने बताया (सितम्बर 2022) कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोटे के तहत छात्रों से आवेदन न मिलने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सीटें खाली रहीं।

इस प्रकार, यद्यपि नमूना–जांच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए सीटों का 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था, इस श्रेणी के अंतर्गत बड़ी संख्या में सीटें रिक्त थीं।

2.3.5 दिव्यांग छात्रों के लिए भौतिक अवसंरचना

विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 इंगित करता है कि दिव्यांग व्यक्तियों को सभी स्तरों पर शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। प्रतिवेदन के प्रस्तर 2.2.2 (सी) में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों तक पहुंचने के लिए दिव्यांग छात्रों को सक्षम बनाने के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में सुधार का प्रावधान है। इसके अलावा, किसी संस्थान की मान्यता के दौरान, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद उस संस्थान में भौतिक सुविधाओं जैसे लिफ्ट, रैंप/रेल, ब्रेल सॉफ्टवेयर, विश्राम कक्ष, परीक्षा के लिए लेखक, कौशल विकास आदि की उपलब्धता पर विचार करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के आठ नमूना जांच किए गए विभागों में कई बुनियादी ढांचे, जैसे लिफ्ट, रैंप/रेल, ब्रेल सॉफ्टवेयर, कौशल विकास आदि उपलब्ध नहीं थे। केवल वाणिज्य विभाग में विश्राम कक्ष की सुविधा थी और केवल तीन विभागों ने दिव्यांग छात्रों की मांग पर परीक्षाओं में लेखक प्रदान किए। लखनऊ विश्वविद्यालय में नमूना जांच किये गये दस विभागों में से केवल वनस्पति विज्ञान विभाग में विश्राम कक्ष की सुविधा उपलब्ध थी।

[12] एमएससी की नौ ईडब्ल्यूएस सीटों में से दो छात्रों (2020–21 में) और तीन छात्रों (2021–22 में) ने दाखिला लिया। इसके अलावा, एम कॉम में चार छात्रों (2020–21 में) और छह छात्रों (2021–22 में) को छह ईडब्ल्यूएस सीटों में से प्रवेश दिया गया था।

[13] 2020–21 और 2021–22 में क्रमशः बीए, बीएससी और बी कॉम पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक 77, 20 और 26 सीटों के मुकाबले ईडब्ल्यूएस के लिए 70, 19 और 24 सीटें आरक्षित हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने उत्तर में कहा (जुलाई 2022) कि दिव्यांग छात्रों को प्रवेश, परीक्षा, शिक्षण और अन्य सभी गतिविधियों में सभी प्रकार की भौतिक आधारभूत संरचना प्रदान की गई थी। लेकिन लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए साक्ष्य कुछ और ही कह रहे थे। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने इस प्रकरण पर कोई जवाब नहीं दिया।

2.4 शिक्षण अवसंरचना

उच्च शिक्षण संस्थानों को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जो न केवल सीखने का आश्वासन दे, बल्कि छात्रों के मानसिक और शारीरिक कल्याण पर भी ध्यान दे। पर्यावरणीय कारक शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं और उपस्थिति को प्रेरित कर सकते हैं। ज्यादा भीड़भाड़ और तनावपूर्ण वातावरण छात्रों की सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। भौतिक स्थितियाँ छात्रों के सर्वांगीण विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव छोड़ सकती हैं।

अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं छात्रों को प्रयोगशाला गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाती हैं। कार्यशालाएं, पुस्तकालय, हॉल, खेल उपकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुविधाएं, विकलांग छात्रों के लिए रैंप, पेयजल सुविधा, सभा का स्थान और उचित स्वच्छता सुविधाएं कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं जो प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को अपने छात्रों को प्रदान करनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता) विनियम, 2009 का प्रस्तर 3.1 निर्धारित करता है कि सम्बद्ध महाविद्यालयों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं जैसे कि कॉलेज भवन, कक्षाएं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आदि, जैसा कि विनियम में निर्दिष्ट है, होनी चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद किसी संस्थान को मान्यता प्रदान करते समय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम कक्षाओं और छात्र–कंप्यूटर अनुपात के प्रतिशत पर भी विचार करता है।

इनमें से कुछ पहलुओं की लेखापरीक्षा के दौरान जांच की गई और संबंधित टिप्पणियों की चर्चा अनुवर्त प्रस्तरों में की गई है।

2.4.1 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुविधाओं की उपलब्धता

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से उन्नत शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित करने के लिए नमूना जांच संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों का आकलन करने के लिए, वर्ष 2019–20 के दौरान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी–सक्षम सुविधाओं जैसे, स्मार्ट क्लास, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इत्यादि के साथ कक्षाओं/सेमिनार हॉल का प्रतिशत, लेखापरीक्षा में उपयोग किया गया था ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रमांक 22)***। यह संकेतक उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

वर्ष 2019–20 के दौरान महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के चयनित आठ विभागों[14] और लखनऊ विश्वविद्यालय के चयनित 10 विभागों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम कक्षाओं का प्रतिशत **तालिका 2.11** में दिया गया है।

तालिका 2.11: नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम कक्षाएँ

विश्वविद्यालय का नाम	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम कक्षाओं का प्रतिशत		
	कक्षाओ की कुल संख्या	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ कक्षाओं की संख्या	प्रतिशत
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	28	08	29
लखनऊ विश्वविद्यालय	60	10	17

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ *तथा* लखनऊ विश्वविद्यालय*)*

[14] विश्वविद्यालय की समेकित सूचना अनुपलब्धता के कारण।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2019–20 के दौरान महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में क्रमशः 29 प्रतिशत और 17 प्रतिशत कक्षायें सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सक्षम थे। आगे संवीक्षा से पता चला कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के छह नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में से दो[15] में सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सक्षम कक्षाएँ नहीं थीं। इसके अलावा, शेष चार नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों[16] में वर्ष 2019–20 के दौरान 165 कक्षाओं में से 15 (9 प्रतिशत) सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सक्षम थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के मामले में, चार नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में से एक महाविद्यालय (महामाया शासकीय महाविद्यालय महोना लखनऊ) में सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी से सुसज्जित कक्षा नहीं थी, जबकि शेष तीन महाविद्यालयों[17] में 93 कक्षाओं में से 15 (16 प्रतिशत) सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सक्षम थे। इस प्रकार, लखनऊ विश्वविद्यालय, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और उनके नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में संकायों द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी शिक्षण उपकरणों का उपयोग बहुत कम था।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने बताया (जुलाई 2022) कि लगभग सभी विभागों में सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सुविधाएं उपलब्ध थीं। तथापि, तथ्य यह है कि नमूना–जांच किए गए विभागों में केवल 17 प्रतिशत कक्षाओं में ही सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी की सुविधा थी।

2.4.2 अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता

भवन, कक्षाएं, प्रयोगशालाएं और उपकरण विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सीखने के वातावरण के महत्वपूर्ण तत्व हैं। उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा छात्रों के परिणामों में सुधार करता है और अन्य लाभों के साथ ड्रॉपआउट दरों को कम करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता) विनियमन, 2009 सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए भवनों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि की न्यूनतम आवश्यकता के लिए मानदंड निर्धारित किया है।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और शैक्षणिक खण्ड, प्रयोगशालाएं और केंद्रीय पुस्तकालय उपलब्ध थे। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय ने ई–शोधसिंधु[18] के माध्यम से ई–संसाधनों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान की थी। हालांकि, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणि विज्ञान की प्रयोगशालाओं में निम्नलिखित उपकरणों की कमी की सूचना दी।

तालिका 2.12: जनवरी 2020 तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की प्रयोगशालाओं में उपकरणों की कमी

प्रयोगशाला का नाम	उपकरण के प्रकार	आवश्यक उपकरणों की संख्या	उपलब्ध उपकरणों की संख्या	कमी (प्रतिशत)
भौतिक विज्ञान	38	158	57	101(64)
रसायन विज्ञान	27	480	433	47(8)
वनस्पति विज्ञान	42	1319	1141	178(14)
प्राणि विज्ञान	21	198	141	57(29)

(स्रोतः महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ)

[15] पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय पीजी महाविद्यालय चंदौली और राजकीय महाविद्यालय नौगढ़ चंदौली।

[16] श्री अग्रसेन कन्या पीजी महाविद्यालय वाराणसी (85 कक्षाओं में 04 सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सक्षम कक्षाएँ), जगतपुर पीजी महाविद्यालय वाराणसी (52 कक्षाओं में 05 सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सक्षम कक्षाएँ), राजकीय पीजी महाविद्यालय सोनभद्र ओबरा (15 कक्षाओं में 04 सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सक्षम कक्षाएँ) तथा सकलडीहा पीजी महाविद्यालय (13 कक्षाओं में 02 सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सक्षम कक्षाएँ)।

[17] लखनऊ विश्वविद्यालय का महाराजा बिजली पासी राजकीय महाविद्यालय आसियाना लखनऊ (18 क्लासरूम में 06 आईसीटी इनेबल्ड क्लासरूम) करामात हुसैन मुस्लिम बालिका महाविद्यालय लखनऊ (25 क्लासरूम में 02 आईसीटी इनेबल्ड क्लासरूम) तथा नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ (50 क्लासरूम में 07 आईसीटी इनेबल्ड क्लासरूम)।

[18] मानव संसाधन विकास मंत्रालय (नाम परिवर्तन के पश्चात अब शिक्षा मंत्रालय) ने ई–शोधसिंधु की रचना की है जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों सहित अपने सदस्य संस्थानों को ई–संसाधन (ई जर्नल, ई–जर्नल अभिलेखागार और ई–पुस्तकें) प्रदान करता है।

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार, विश्वविद्यालय के पास पुराने परिसर में 147 एकड़ भूमि और नए परिसर में 71 एकड़ भूमि, पर्याप्त कक्षाएं, प्रयोगशाला सुविधाएं, खेल का मैदान, खेल सुविधाएं आदि हैं। केंद्रीय पुस्तकालय (टैगोर पुस्तकालय) में छात्रों और संकायों के लिए ई–संसाधन पहुंच के लिए 538 कंप्यूटरों की उपलब्धता थी। ई–शोधसिंधु की सदस्यता थी और पुस्तकालय ने संकाय सदस्यों और छात्रों के लिए ई–पुस्तकें भी खरीदे हैं। इसके अलावा, लखनऊ विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग ने प्रयोगशाला में 16 प्रकार के आवश्यक 442 उपकरणों के सापेक्ष 155 (35 प्रतिशत) उपकरणों की कमी की सूचना दी (अगस्त 2021)।

नमूना जांच किए गए महाविद्यालय

नमूना जांच किए गए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध छः महाविद्यालयों (तीन शासकीय महाविद्यालय, तीन अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय) तथा 28 निजी महाविद्यालयों तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चार महाविद्यालयों (दो शासकीय महाविद्यालय एवं दो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों) और 12 निजी महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के भौतिक सत्यापन के परिणाम **तालिका 2.13** में दिए गए हैं:

तालिका 2.13: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों में सुविधाओं की उपलब्धता

विश्वविद्यालय का नाम	महाविद्यालयों की संख्या जिनका भौतिक सत्यापन किया गया		महाविद्यालयों की संख्या जिनमें पर्याप्त प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन उपलब्ध थे		महाविद्यालयों की संख्या जिनमें प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध थी		महाविद्यालयों की संख्या जिनमें पर्याप्त पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध थी		महाविद्यालयों की संख्या जिनमें पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध थे		महाविद्यालयों की संख्या जो दिव्यांगो के अनुकूल था	
	शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	06	28[19]	06	27	05	25	05	22	05	27	03	06
लखनऊ विश्वविद्यालय	04	12[20]	04	10	4	9[21]	4	10	4	10	0	4

(स्रोतः नमूना जांच किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय)

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शासकीय महाविद्यालयों में पर्याप्त शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन उपलब्ध थे लेकिन केवल 83 प्रतिशत महाविद्यालयों में ही पर्याप्त प्रयोगशाला, पुस्तकालय और फर्नीचर था। इसके अलावा, केवल 50 प्रतिशत शासकीय महाविद्यालयों में दिव्यांगों के अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध थीं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालयों के मामले में सर्वेक्षण के दौरान एक महाविद्यालय बंद पाया गया और शेष 27 निजी महाविद्यालयों में पर्याप्त प्रशासनिक और शैक्षणिक खण्ड के साथ–साथ फर्नीचर भी था। पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं क्रमशः 81 प्रतिशत और 93 प्रतिशत स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालयों में उपलब्ध थीं, जबकि केवल 22 प्रतिशत में विकलांगों के अनुकूल सुविधाएं थीं।

इसी प्रकार, नमूना जांच किए गए लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में सुविधा सर्वेक्षण के दौरान बंद पाए गए दो स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालयों को छोड़कर पर्याप्त शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवन उपलब्ध थे। लखनऊ विश्वविद्यालय का कोई भी शासकीय महाविद्यालय दिव्यांगजनों के अनुकूल नहीं था और केवल 40 प्रतिशत निजी महाविद्यालय दिव्यांगजनों के अनुकूल थे।

[19] एक महाविद्यालय (महाराजा जोधराज सिंह महाविद्यालय, संत रविदास नगर, भदोही) बन्द पाया गया।
[20] दो महाविद्यालय (बिमटेक डिग्री महाविद्यालय, बक्शी का तलाब, लखनऊ तथा जाकिस्थ शिक्षा संस्थान, रामपुर बेहटा, लखनऊ) बन्द पाये गये।
[21] एक निजी महाविद्यालय (सी0 बी0 गुप्ता बी0एस0एस0 महाविद्यालय, लखनऊ) में प्रयोगात्मक विषय उपलब्ध नहीं था।

2.4.2.1 छात्रावासों की उपलब्धता

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बालकों के दो और एक लड़कियों का छात्रावास हैं, जिनकी कुल क्षमता 580 छात्रों की है। शैक्षणिक सत्र 2019–20 के दौरान दाखिला लिये कुल 8,592 छात्रों में से 419 छात्र (6.75 प्रतिशत) इन छात्रावासों में रह रहे थे। छात्रावासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि नरेंद्र देव बालक छात्रावास में 12 कमरों (दो बिस्तरों की क्षमता वाले) को भंडारण हेतु आरक्षित किया गया था।

लखनऊ विश्वविद्यालय में 2,769 छात्रों (वर्ष 2019–20 में दाखिला लिये 15,562 छात्रों का 18 प्रतिशत) की क्षमता वाले बालकों के दस और लड़कियों के सात छात्रावास हैं। वर्ष 2019–20 के शैक्षणिक सत्र के दौरान इन छात्रावासों में 2,408 छात्र निवास कर रहे थे। कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के सात छात्रावासों[22] के संयुक्त भौतिक सत्यापन (अगस्त 2021) में लेखापरीक्षा ने पाया कि दो छात्रावास (हबीबुल्लाह बालक छात्रावास एवं प्रोफेसर आर. एस. बिष्ट बालक छात्रावास) अच्छी स्थिति में नहीं थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि डाइनिंग हॉल और किचन की मरम्मत लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा शुरू कर दी गई है।

2.4.2.2 छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण

पहले से तैयार किए गए प्रश्नों की सहायता से छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण किया गया था। लेखापरीक्षा के लिए नमूना जांच किए गए दोनों विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों (महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और इसके नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में 525 और लखनऊ विश्वविद्यालय और इसके नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में 450) के चयनित विभागों में 975 छात्रों के बीच लेखापरीक्षा द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। छात्र सर्वेक्षण के परिणाम **तालिका 2.14** में संक्षेपित हैं।

तालिका 2.14: छात्रों के संतुष्टि सर्वेक्षण के परिणाम

क्र0 सं0	छात्रों की संतुष्टि की स्थिति	उत्तर (छात्रों के प्रतिशत में)	
		महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	लखनऊ विश्वविद्यालय
1.	**क्या आप परिसर में उपलब्ध प्रयोगशाला की सुविधा से संतुष्ट हैं?**		
	असंतुष्ट	**12**	**12**
	संतुष्ट	**43**	**36**
	आंशिक रूप से संतुष्ट	**21**	**16**
	अत्यधिक संतुष्ट	**15**	**30**
	कोई टिप्पणी नहीं पेश की	**9**	**6**
2.	**क्या आप पुस्तकालय की सुविधा से संतुष्ट हैं?**		
	असंतुष्ट	**06**	**11**
	संतुष्ट	**43**	**35**
	आंशिक रूप से संतुष्ट	**26**	**18**
	अत्यधिक संतुष्ट	**23**	**36**
	कोई टिप्पणी नहीं पेश की	**2**	**0**
3.	**क्या आप परिसर में शौचालय की सुविधा से संतुष्ट हैं?**		
	असंतुष्ट	**08**	**30**
	संतुष्ट	**43**	**28**

[22] तिलक हाल बालिका छात्रावास, चन्द्रशेखर आजाद हाल, कैलाश बालिका छात्रावास, लाल बहादुर शास्त्री बालक छात्रावास, महमूदाबाद बालक छात्रावास, हबीबुल्लाह बालक छात्रावास और प्रोफेसर आर0 एस0 बिष्ट बालक छात्रावास (कला महाविद्यालय)।

क्र0 सं0	छात्रों की संतुष्टि की स्थिति	उत्तर (छात्रों के प्रतिशत में)	
		महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	लखनऊ विश्वविद्यालय
	आंशिक रूप से संतुष्ट	**18**	**20**
	अत्यधिक संतुष्ट	**30**	**22**
	कोई टिप्पणी नहीं पेश की	**1**	**0**
4.	**क्या आप परिसर में पेयजल सुविधा से संतुष्ट हैं?**		
	असंतुष्ट	**03**	**18**
	संतुष्ट	**39**	**35**
	आंशिक रूप से संतुष्ट	**09**	**19**
	अत्यधिक संतुष्ट	**49**	**28**
	कोई टिप्पणी नहीं पेश की	**0**	**0**
5.	**क्या आप दिव्यांगजनों के लिए सहायक सुविधाओ से संतुष्ट हैं?**		
	असंतुष्ट	**21**	**17**
	संतुष्ट	**38**	**38**
	आंशिक रूप से संतुष्ट	**16**	**21**
	अत्यधिक संतुष्ट	**20**	**21**
	कोई टिप्पणी नहीं पेश की	**5**	**3**
6.	**क्या आप परिसर में साफ–सफाई से संतुष्ट हैं?**		
	असंतुष्ट	**02**	**11**
	संतुष्ट	**44**	**38**
	आंशिक रूप से संतुष्ट	**10**	**19**
	अत्यधिक संतुष्ट	**43**	**32**
	कोई टिप्पणी नहीं पेश की	**1**	**0**

(स्रोतः नमूना जांच किये गये विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय)

जैसा कि छात्रों के संतुष्टि सर्वेक्षण से स्पष्ट है, छात्रों का एक बड़ा प्रतिशत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में उपलब्ध बुनियादी ढांचे से संतुष्ट था।

2.4.3 बुनियादी ढांचे के लिये वित्त पोषण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाने और समर्थन करके उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को भरने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के माध्यम से धन प्रदान करता है। यह विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को नए निर्माण, नवीनीकरण या उपकरणों की खरीद के माध्यम से मौजूदा बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए अवसंरचना अनुदान प्रदान करता है। राज्य सरकार महाविद्यालयों को उनके मौजूदा महाविद्यालय भवनों के सुधार, स्मार्ट कक्षाओं और कंप्यूटरों की खरीद के लिए भी धनराशि प्रदान करती है।

इस सम्बन्ध में नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों के प्रयासों का आकलन करने के लिए, वर्ष 2014–20 के दौरान, बजट आवंटन का औसत प्रतिशत, बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए वेतन को छोड़कर व्यय को लेखापरीक्षा में एक संकेतक ***(परिशिष्ट 1.2 के क्रम संख्या 23)*** के रूप में उपयोग किया गया है। यह संकेतक उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

वर्ष 2014–20 की अवधि के दौरान बुनियादी ढांचे में वृद्धि हेतु बजट आवंटन और वेतन के अतिरिक्त कुल व्यय की स्थिति **तालिका 2.15** में दी गई है।

तालिका 2.15: व्यय के सापेक्ष बुनियादी ढांचे के लिए बजट आवंटन

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	बजट आबंटन		कुल व्यय वेतन के अतिरिक्त	बुनियादी ढांचे मे वृद्धि के लिये वेतन के अतिरिक्त बजट आबंटन का औसत प्रतिशत
	वेतन के अतिरिक्त कुल आबंटन	बुनियादी ढांचे मे वृद्धि के लिये आबंटन		
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	216.08	43.56	162.73	27
लखनऊ विश्वविद्यालय	654.10	221.72	462.33	48

(स्रोत: विश्वविद्यालयों की वित्त शाखा)

अभिलेखों और सूचनाओं की जांच से पता चला कि वर्ष 2014–20 के दौरान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बुनियादी ढांचे के लिए बजट आवंटन वेतन के अतिरिक्त इसके कुल खर्च का 27 प्रतिशत था। इसी तरह, लखनऊ विश्वविद्यालय ने बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए 48 प्रतिशत धन आवंटित किया।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद उन संस्थानों को अधिकतम अंक प्रदान करता है जहां पिछले पांच वर्षों के दौरान वेतन के अतिरिक्त औसतन 20 प्रतिशत और उससे अधिक बजट आवंटन बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए था। इस प्रकार, इस सूचक की तुलना में नमूना जांच किए गए दोनों विश्वविद्यालयों ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

2.5 वहनीय पहुँच

उच्च शिक्षा तक समान और आसान पहुंच के लिए उसकी वहनीयता एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तर 21.182 के अनुसार, 2020 तक योग्य छात्रों की संख्या दोगुनी होने के साथ सस्ती शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। विनियमित शुल्क संरचना, शासकीय और निजी महाविद्यालयों में तुलनीय शुल्क, आकर्षक छात्र ऋण योजनाएं और छात्रवृत्तियों/शुल्कमुक्ति का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त अवसर कुछ ऐसे कारक हैं जो उच्च शिक्षा को वहनीय बनाने में योगदान करते हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.5.1 शुल्क संरचना में एकरूपता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता) विनियम 2009 के अनुसार, प्रत्येक छात्र से लिया जाने वाला शुल्क सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम में दिए गए विशिष्ट प्रावधान के बावजूद, नमूना जांच किए गए दोनों विश्वविद्यालयों ने उनसे सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों के लिए शुल्क संरचना अनुमोदित नहीं की थी।

राज्य सरकार ने विभिन्न स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क के निर्धारण के लिए एक आदेश (1997) जारी किया और बीए, बीएससी और बी कॉम पाठ्यक्रमों को समान मानते हुए, राज्य सरकार ने सभी पाठ्यक्रमों के लिए ₹ 5,000 वार्षिक का समान शिक्षण शुल्क निर्धारित किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच किए गए संस्थानों द्वारा वर्ष 2014–20 के दौरान छात्र से लिए गए नियमित और स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों का कुल शुल्क काफी हद तक भिन्न थी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में नियमित पाठ्यक्रमों के लिए लिया जा रहा शुल्क लखनऊ विश्वविद्यालय के उसी पाठ्यक्रम से अलग था। इसके अलावा, वर्ष 2014–17 के दौरान बीए (₹ 12,000–22,400), बी कॉम (₹ 25,000–30,000) और एम कॉम (₹ 15,000–16,000) और एमएससी (₹ 16,000–44,400) के स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों का लखनऊ विश्वविद्यालय में वार्षिक शुल्क महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक था। लखनऊ

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017–20 के लिए शुल्क की सूचना मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया गया था। अग्रेतर, लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना–जांच किए गए महाविद्यालयों में स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों का शुल्क महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के महाविद्यालयों की तुलना में अधिक था *(परिशिष्ट 2.2)*।

नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों और उनके नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में एक पाठ्यक्रम में न्यूनतम और अधिकतम शुल्क (सभी शुल्क सहित) दर्शाते हुए शुल्क संरचना का विवरण नीचे **तालिका 2.16** में दिया गया है:

तालिका 2.16: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय और उनके नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में शुल्क संरचना

(₹ में)

पाठ्यक्रम	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ		महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के महाविद्यालय (2014–20)		लखनऊ विश्वविद्यालय (2014–17)		लखनऊ विश्वविद्यालय के महाविद्यालय	
	नियमित	स्व–वित्तपोषित	नियमित	स्व–वित्तपोषित	नियमित	स्व–वित्तपोषित	नियमित	स्व–वित्तपोषित
बी.ए.	2,055–3,190	लागू नहीं	1,730–3,944	उपलब्ध नहीं कराया गया	2,869–10,219	12,000–22,400	2,070–7,000	लागू नहीं
बी.काम	2,105–2,110	लागू नहीं	1,900–2,841	6,550–15,600	6,869–7,919	25,000–30,000	3,365–7,272	11,200–21,300
बी.एस.सी.	लागू नहीं	6,910–13,700	2,410–3,591	6,550–21,800	4,369–17,919	6,000–22,600	4,065–14,660	18,600–25,000
एम.ए.	2,515–4,840	8,100–20,880	1,898–5,171	6,500–28,000	1,852–6,500	6,000–40,000	2,300–5,873	6,885–23,000
एम.काम.	2,565–2,570	लागू नहीं	5,441	13,100–23,000	5,091–5,902	15,000–16,000	उपलब्ध नहीं कराया गया	14,500–15,000
एम.एस.सी.	3,115–3,120	8,100–10,260	2,420–5,441	उपलब्ध नहीं कराया गया	3,352–15,000	16,000–44,400	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया

(स्रोतः सम्बन्धित संस्था)

इस प्रकार, विभिन्न नियमित और स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से महाविद्यालय तक, यहां तक कि स्नातक पाठ्यक्रमों में भी जहाँ, राज्य सरकार ने कार्यकारी आदेश के माध्यम से शिक्षण शुल्क की समानता स्थापित की थी, व्यापक रूप से भिन्न थी। यह स्पष्ट संकेत है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए स्पष्ट नियम और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के बावजूद न तो सरकार और न ही विश्वविद्यालयों के पास महाविद्यालयों की शुल्क को विनियमित करने के लिए कोई तंत्र है।

2.5.2 छात्रवृत्ति

एक सुविधाजनक तंत्र के रूप में छात्रवृत्ति[23] योजनाओं का सरकारों द्वारा व्यापक रूप से न केवल मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए बल्कि उच्च शिक्षा तक पहुंच में समानता बढ़ाने के लिए भी उपयोग किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्गत "उच्च शिक्षा में समावेशी और गुणात्मक विस्तार" पर प्रतिवेदन के प्रस्तर 6.1.2 (सी) में, यह सलाह दी गयी है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, अनुसूचित

[23] छात्रवृत्ति का तात्पर्य किसी छात्र को उसके अध्ययन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसकी योग्यता, आवश्यकता आदि के कारण दिये गये धन, अथवा अन्य सहायता से है।

जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और फैलोशिप को सभी स्तरों पर बढ़ाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार अपने समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न सामान्य, व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों के विकास और उनकी शैक्षिक स्थिति को ऊपर उठाने के उद्देश्य से योजना के अन्तर्गत धनराशि को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली से स्थानांतरित किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा ने नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्ति के आंकड़े एकत्र किए। लेखापरीक्षा विश्लेषण के परिणामों की चर्चा नीचे की गई है:

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2017–20 के दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की गई दशमोत्तर छात्रवृत्ति से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 73 से 80 प्रतिशत और लखनऊ विश्वविद्यालय में 56 से 67 प्रतिशत छात्र लाभान्वित हुए। नामांकित छात्रों की संख्या, लाभान्वित छात्रों की संख्या और लाभान्वित छात्रों के प्रतिशत का उपयोग उच्च शिक्षा में परिणामों के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रमांक 21)***। नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में वर्ष 2017–20 की अवधि के लिए नामांकित छात्रों और लाभान्वित छात्रों की स्थिति **तालिका 2.17** में दी गई है: :

तालिका 2.17: नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में वर्ष 2017–20 के दौरान नामांकित छात्र और छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्र

वर्ष	2017–18		2018–19		2019–20	
	नामांकित छात्रों की संख्या	लाभान्वित छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	नामांकित छात्रों की संख्या	लाभान्वित छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	नामांकित छात्रों की संख्या	लाभान्वित छात्रों की संख्या (प्रतिशत)
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	8,178	6,535(80)	8,881	6,460(73)	8,592	6,408(75)
लखनऊ विश्वविद्याालय	9,929	5,580(56)	9,409	5,271(56)	8,583	5,780(67)

(स्रोत: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्याालय)

वर्ष 2014–20 की अवधि के दौरान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में नमूना–जांच किए गए छः महाविद्यालयों में से चार महाविद्यालयों[24] में 23.05 प्रतिशत से 80.16 प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। शेष दो महाविद्यालयों ने विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति का आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया। नमूना जांच में लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में शासकीय छात्रवृत्ति के लाभार्थियों का विवरण महाविद्यालयों के पास उपलब्ध नहीं था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा (जुलाई 2022) कि विद्यार्थियों ने समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया था और उनकी सूचनाओं को सक्षम अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया था।

[24] श्री अग्रसेन कन्या पीजी महाविद्यालय, सकलडीहा पीजी महाविद्यालय, सकलडीहा, चंदौली, जगतपुर पीजी महाविद्यालय, वाराणसी और राजकीय पीजी महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र।

निष्कर्ष एवं अनुशंसा

राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भौगोलिक मानचित्रण नहीं किया। शासकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या लगभग स्थिर थी, लेकिन स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों की संख्या में 2014–15 की तुलना में 2019–20 में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बीस जिलों में न तो शासकीय और न अशासकीय सहायता प्राप्त बालिका महाविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश की सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) श्रेणी जो 2014–15 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 थी, 2019–20 में घटकर 21 हो गई। नमूना जांच किए गए अनेक महाविद्यालयों की कक्षाओं में सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी शिक्षण उपकरणों सहित अवसंरचना सुविधाओं की कमी थी।

नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों ने सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों के लिए शुल्क संरचना निर्धारित नहीं की। यहाँ तक कि समान पाठ्यक्रमों के लिये भी शुल्क संरचना में व्यापक भिन्नता थी। इसके अलावा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 73 से 80 प्रतिशत छात्र और लखनऊ विश्वविद्यालय में 56 से 67 प्रतिशत छात्र राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति से लाभान्वित हुए।

अनुशंसा 1: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2030 तक लक्षित सकल नामांकन अनुपात 40 प्रतिशत प्राप्त करने हेतु, राज्य सरकार द्वारा उन जनपदों में, जहां कमी है, अधिक महाविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए।

अनुशंसा 2: सभी महाविद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में निर्धारित आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराना चाहिए तथा सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों में अवसंरचना एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता विश्वविद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अनुशंसा 3: उच्च शिक्षा को वहन करने योग्य बनाने हेतु निजी महाविद्यालयों के शुल्क ढांचा को राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए।

अध्याय–3

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता

अध्याय

3 उच्च शिक्षा की गुणवत्ता

यह अध्याय उच्च शिक्षा प्रणाली से अपेक्षित परिणामों के सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करता है। उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा प्रदान करने में उच्च शिक्षण संस्थानों और उत्तर प्रदेश शासन की क्षमता का आकलन करने के लिए, निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्य तैयार किए गए थे।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 2: क्या प्रभावी शिक्षण, अभ्यास, परीक्षा प्रक्रियाओं और उच्च गुणवत्ता वाले शोध के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा सुनिश्चित की गई थी?

लेखापरीक्षा उद्देश्य 3: क्या उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये रोजगारपरक क्षमता और विकास था?

अध्याय का संक्षिप्त विवरण

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पना की गई थी कि पाठ्यक्रम को हर तीन साल में कम से कम एक बार संशोधित किया जाए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, 2014–20 की अवधि में नमूना जाँच किए गए विभागों के केवल 31 प्रतिशत पाठ्यक्रमों को संशोधित किया गया था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में क्रमशः केवल 21 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कार्यक्रम रोजगारपरकता/उद्यमिता/कौशल विकास पर केंद्रित थे।
- वर्ष 2019–20 की अवधि में राज्य के सरकारी महाविद्यालयों का छात्र शिक्षक अनुपात 20:1 के निर्धारित अनुपात के सापेक्ष 49:1 था। वर्ष 2019–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग में छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 54:1, 52:1 और 53:1 था। इसी अवधि में कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग में लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 18:1, 39:1, 12:1 था। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के नमूना जाँच किए गए सरकारी महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग का छात्र शिक्षक अनुपात बहुत अधिक 151:1, 174:1, 306:1 था और लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में क्रमशः 58:1, 63:1, 18:1 था।
- महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में औसतन केवल 19 प्रतिशत शिक्षक और 16 प्रतिशत शिक्षक लखनऊ विश्वविद्यालय में व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में शामिल हुए। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में क्रमशः पाँच प्रतिशत तथा 19 प्रतिशत शिक्षकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।
- वर्ष 2014–20 की अवधि में परीक्षा परिणामों की घोषणा में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में 273 दिनों तक (2018–19 को छोड़कर) और लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 2017–20 की अवधि में 175 दिनों तक का विलम्ब रहा।
- महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध परियोजनाओं को 1,463 दिनों तक के विलम्ब से पूरा किया गया। नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों में दिये गये पेटेंट और प्रदान किये गये परामर्श की संख्या शून्य थी।
- वर्ष 2016–20 की अवधि में आयोजित रोजगार मेलों में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में क्रमशः 781 और 2,692 छात्रों को रोजगार प्रदान किया गया। तथापि, वर्ष 2014–20 की अवधि में किसी अन्य विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले या उसी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों से सम्बन्धित सूचनाओं का रखरखाव नहीं किया गया था।

3.1 परिचय

यदि उच्च शिक्षा प्रणाली अपनी शिक्षण–अधिगम प्रक्रियाओं के साथ–साथ शोध क्षमताओं के मामले में उच्च गुणवत्ता की हो तो उच्च शिक्षा से समाज की अपेक्षाओं को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (प्रस्तर 21.184) ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पर अत्यधिक बल दिया। इसमें उल्लिखित है कि इस क्षेत्र में गुणवत्ता के गंभीर मुद्दों को देखते हुए, विस्तार जैसे अन्य प्रयास भारत के भविष्य के लिए प्रतिकूल सिद्ध होंगे। सामान्य उच्च शिक्षा (अर्थात कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग) के महत्व के विषय में, बारहवीं पंचवर्षीय योजना (प्रस्तर 21.244) में कहा गया है कि, यदि सामान्य शिक्षा को ठीक से प्रदान किया जाए तो ज्ञान आधारित करियर के लिए यह एक मजबूत आधार हो सकती है। इसलिए, सामान्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों में रोजगारपरक क्षमता या उच्च शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न कारक योगदान करते हैं। संबंधित परिणामों और योगदान करने वाले कारकों के साथ उनके संबंध को नीचे दी गयी प्रस्तुति से समझा जा सकता है:

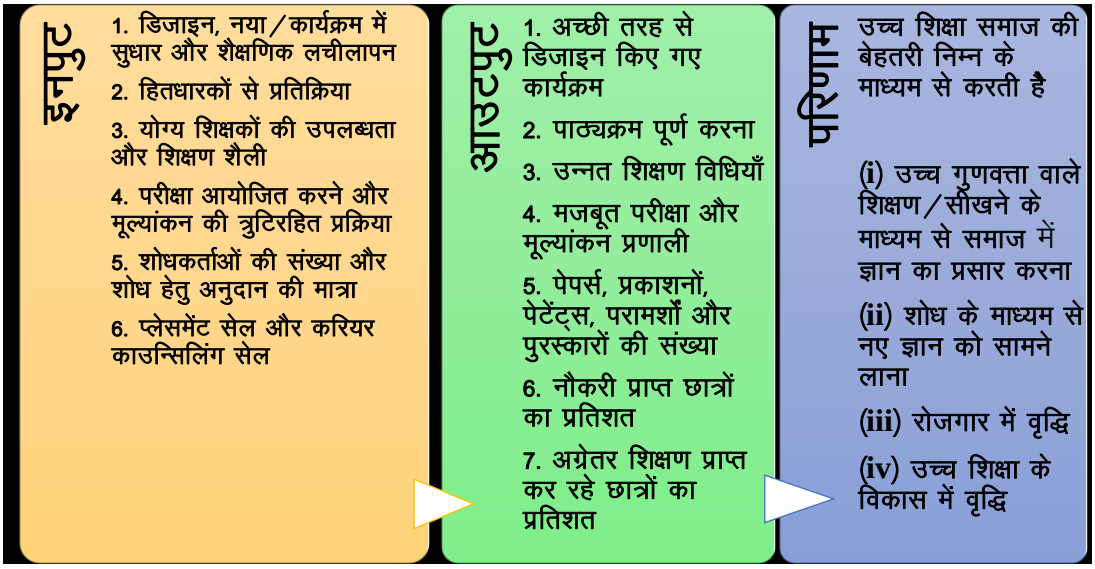

3.2 प्रभावी अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना

इस खण्ड में पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पहलुओं पर चर्चा की गई है। नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों और उनके नमूना जाँच किये गए सम्बद्ध शासकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालयों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है।

3.2.1 पाठ्यक्रम डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन

पाठ्यक्रम के पहलू किसी भी शैक्षणिक संस्थान का मुख्य आधार हैं। इनमें पाठ्यक्रम डिजाइन, विकास, संवर्धन, योजना और कार्यान्वयन शामिल हैं। पर्याप्त लचीलेपन को उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम की सकारात्मक विशेषता के रूप में भी माना जाता है। पाठ्यक्रम डिजाइन और विकास हितधारकों से फीडबैक के आधार पर विशेषज्ञ समूहों के परामर्श से उपयुक्त आवश्यकता–आधारित इनपुट विकसित करने की एक जटिल प्रक्रिया है। इसके परिणामस्वरूप छात्रों की व्यावसायिक और व्यक्तिगत

आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलेपन के साथ प्रासंगिक उच्च शिक्षा कार्यक्रमों[1] का विकास होता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जारी उच्च शिक्षा में समावेशी और गुणात्मक विस्तार पर रिपोर्ट के प्रस्तर 4.3 में परिकल्पित है कि पाठ्यक्रम को हर तीन साल में कम से कम एक बार संशोधित किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अनुरोध किया (जनवरी 2017) कि कौशल सेट की मौजूदा और संभावित माँग एवं आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक तीन साल में कम से कम एक बार विश्वविद्यालयों में सभी शैक्षणिक विभागों के पाठ्यक्रमों की समीक्षा और संशोधन करें जिससे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के छात्रों को रोजगार योग्य बनाया जा सके।

किसी विश्वविद्यालय को विशेष कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम की कल्पना करने, उन्हें समय–समय पर संशोधित/अद्यतन करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि इसके कार्यक्रमों के परिणाम इसकी परिषदों/निकायों द्वारा परिभाषित किये गए हैं। दूसरी ओर, एक संबद्ध महाविद्यालय अनिवार्य रूप से एक शैक्षणिक इकाई है जो पाठ्यक्रम को संचालित करती है और अपनी शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को वैध बनाने के लिए काफी हद तक एक विश्वविद्यालय पर निर्भर करती है। उन कार्यक्रमों का प्रतिशत जिनमें वर्ष 2014–20 की अवधि में पाठ्यक्रम संशोधन किया गया था, लेखापरीक्षा में मुख्य परिणाम संकेतक के रूप में मूल्यांकन किया गया ***(परिशिष्ट 1.1 का क्रमांक 3)***।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने आठ नमूना जाँच किए गए विभागों[2] में पढ़ाये जा रहे 13 स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में से चार (31 प्रतिशत) के पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम को संशोधित किया और लखनऊ विश्वविद्यालय ने 10 नमूना जाँच किए गए विभागों[3] में लागू 20 स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में से 17 (85 प्रतिशत) को संशोधित किया।

दो नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम डिजाइन और विकास के सम्बन्ध में प्रदान की गई सूचना के परीक्षण में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:

- ***पाठ्यक्रम के विषयवस्तु को संशोधित करने हेतु हितधारकों की प्रतिक्रिया***

नमूना जाँच हेतु चयनित विभागों के स्तर पर इस पहलू की जाँच की गई थी। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में, उपरोक्त वर्णित चार पाठ्यक्रमों के अद्यतन/संशोधन की प्रक्रिया की अवधि में छात्रों और उद्यमियों की प्रतिक्रिया नहीं ली गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय में दस चयनित विभागों में से संस्कृत विभाग को छोड़कर अन्य विभागों के विभागाध्यक्षों ने कहा कि पाठ्यक्रम में संशोधन से पहले छात्रों, शिक्षकों और विजिटिंग विशेषज्ञों से फीडबैक प्राप्त किया गया था, लेकिन विभागों द्वारा प्रलेखन की कमी ने ऐसी प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लेखापरीक्षा के प्रयास को सीमित कर दिया।

- ***प्रमुख विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का संदर्भन***

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने पाठ्यक्रम में संशोधन की प्रक्रिया में बाह्य विशेषज्ञों को शामिल किया। हालांकि उन्होंने बहुत सीमित संख्या में पाठयक्रमों को संशोधित किया जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में नमूना जाँच किए गए दस विभागों के बोर्ड ऑफ स्टडीज के

[1] राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली के अनुसार कार्यक्रम, एक से चार साल की अवधि में औपचारिक तरीके से छात्रों को दिए जाने वाले सीखने के अनुभवों की एक श्रृंखला है जो प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री की ओर ले जाती है।

[2] वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, भौतिकी और सामाजिक कार्य।

[3] अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपीय भाषाएं, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व, संस्कृत, वाणिज्य, व्यावहारिक अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान।

कार्यवृत्त की जाँच में पाया गया कि अध्ययन के उसी क्षेत्र में अग्रणी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का संदर्भ ग्रहण करते हुए पाठ्यक्रम में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था।

इस प्रकार, पाठ्यक्रम डिजाइन और विकास की प्रक्रिया के सम्बन्ध में, यद्यपि नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों ने निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने का दावा किया था, यह निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य अपर्याप्त थे कि हितधारकों से महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया, विशेषज्ञ समूहों से इनपुट और प्रमुख विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ को पाठ्यक्रम में सुधार के लिए उपयोग किया गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए, राज्य में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों को संशोधित करने के बाद शैक्षणिक सत्र 2021–22 से च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है। समापन बैठक (15 जुलाई 2022) में शासन ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 ने विभाग को पाठ्यक्रमों को संशोधित करने और पुनः परिकल्पित करने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश ने अक्टूबर 2020 में 74 विषयों के न्यूनतम सामान पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 258 शिक्षाविदों को शामिल करके और 360 वर्चुअल मीटिंग आयोजित करके व्यवस्थित रूप से कार्य शुरू किया। पाठ्यक्रम को पब्लिक डोमेन में अपलोड किया गया था और अभिभावकों और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त की गई थी।

3.2.2 रोजगारपरकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद अपनी मान्यता और मूल्याँकन प्रक्रिया में विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम के डिजाइन में रोजगारपरकता, उद्यमिता और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

पाठ्यक्रम में रोजगारपरकता पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयासों का आकलन करने के लिए, वर्ष 2014–20 की अवधि में रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने वाले पाठ्यक्रमों के औसत प्रतिशत को मूल्याँकन के लिए मुख्य परिणाम संकेतक (***परिशिष्ट 1.1 का क्रमांक 4***) माना गया था। यह संकेतक उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक से लिया गया है।

रोजगारपरकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रमों की संख्या की स्थिति नीचे तालिका 3.1 में दर्शाई गई है:

तालिका 3.1: रोजगारपरकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पाठ्यक्रमों की संख्या और प्रतिशत

विश्वविद्यालय का नाम	समस्त कार्यक्रमों में पाठ्यक्रमों की संख्या						रोजगारपरकता आदि पर ध्यान देने वाले पाठ्यक्रमों की संख्या।						प्रतिशतता						
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	Average
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	57	58	61	61	56	61	12	12	12	12	12	12	21	21	20	20	21	20	21
लखनऊ विश्वविद्यालय[4]	20	20	20	20	20	20	2	2	2	2	2	2	10	10	10	10	10	10	10

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार)

उपरोक्त **तालिका 3.1** से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ

[4] केवल नमूना जाँच किये गये विभाग।

और लखनऊ विश्वविद्यालय में रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रमों का औसत प्रतिशत क्रमशः 21 प्रतिशत और 10 प्रतिशत था।

लखनऊ विश्वविद्यालय में नमूना–जाँच किए गए दो शासकीय महाविद्यालयों और दो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में से, रोजगारपरकता, उद्यमिता और कौशल विकास (व्यावसायिक पाठ्यक्रम) पर केंद्रित पाठ्यक्रम[5] केवल एक अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय (करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कालेज, लखनऊ) में वर्ष 2019–20 की अवधि में प्रदान किया गया था। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के छः नमूना जाँच किये गये महाविद्यालयों में से किसी भी महाविद्यालय में रोजगारपरकता पर केन्द्रित पाठ्यक्रम लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने बताया (जुलाई 2022) कि विश्वविद्यालय ने अब स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर कार्यक्रमों के सभी पाठ्यक्रम तैयार किए हैं ताकि रोजगार/उद्यमिता/कौशल विकास पर अधिकतम जोर दिया जा सके।

3.2.3 मूल्य–वर्धित पाठ्यक्रमों और नामांकित छात्रों की संख्या

मूल्य–वर्धित पाठ्यक्रम और गतिविधियाँ वे हैं जो भले ही किसी के अध्ययन के तरीके से सीधे तौर पर जुड़ी न हों, किन्तु लिंग, पर्यावरण और वहनीयता, मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता जैसे उलझे हुए मामलों पर छात्रों को संवेदनशील बनाने में योगदान करती हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली के अनुसार, मूल्य–वर्धित पाठ्यक्रम वैकल्पिक हैं और पाठ्यक्रम से इतर प्रस्तुत किए जाते हैं जो मूल्यवर्धन करते हैं और छात्रों को प्लेसमेंट प्राप्त करने में मदद करते हैं।

नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों द्वारा मूल्यवर्धित पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने में किए गए प्रयासों का आकलन करने के लिए वर्ष 2014–20 की अवधि में हस्तांतरणीय और जीवन कौशल प्रदान करने वाले मूल्यवर्धित पाठ्यक्रमों की संख्या को एक संकेतक के रूप में प्रयोग किया गया था (***परिशिष्ट 1.2 का क्रम संख्या 3***)। यह संकेतक उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्याँकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और इसके नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों और लखनऊ विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों ने कोई मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम आरम्भ नहीं किया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 10 नमूना जाँच किए गए विभागों में वर्ष 2021 में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करते समय 13 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (65 प्रतिशत) में कुछ मूल्यवर्धित पेपर और शेष एक स्नातकोत्तर कोर्स (दर्शनशास्त्र) में वैकल्पिक पेपर शामिल किया, जहाँ इसने च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) लागू किया। इस प्रकार, इस सम्बन्ध में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ का परिणाम प्रदर्शन शून्य था और लखनऊ विश्वविद्यालय का लगभग 70 प्रतिशत था।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के सभी स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में क्रेडिट और गैर–क्रेडिट मूल्यवर्धित कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।

[5] (i) प्रोफेसर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा ''डिज़ाइन थिंकिंग का उपयोग करते हुए सामाजिक नवाचारों का विकास'' विषयक ग्रीष्मकालीन स्कूल कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य छात्रों के संचार और प्रस्तुति कौशल, आलोचनात्मक सोच और नेतृत्व कौशल को विकसित करना है, (ii) उर्दू भाषा के प्रचार के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीपीयूएल) जो एक साल का डिप्लोमा कोर्स है, (iii) सीसीसी, (iv) बेसिक कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम, (v) शॉर्ट टर्म फैशन डिजाइनिंग कोर्स।

3.2.4 फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप करने वाले छात्र

इंटर्नशिप निर्दिष्ट गतिविधियाँ हैं जिसमें कुछ क्रेडिट्स सम्मिलित होती है[6] और जिसमें एक चिन्हित संरक्षक के मार्गदर्शन में एक संगठन में काम करना शामिल है। फील्ड प्रोजेक्ट्स जो छात्रों को करना होता है, उनमें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर के बाहर सर्वेक्षण करना और निर्दिष्ट समुदायों या प्राकृतिक स्थानों से आँकड़े एकत्र करना शामिल है।

नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में फील्ड प्रोजेक्ट्स/इंटर्नशिप करने वाले छात्रों का आकलन करने के लिए वर्ष 2019–20 की अवधि में फील्ड प्रोजेक्ट्स/इंटर्नशिप करने वाले छात्रों के प्रतिशत को संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया गया था (***परिशिष्ट 1.2 की क्रम संख्या 4***)। यह संकेतक उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के नमूना जाँच किए गए आठ विभागों द्वारा प्रस्तावित 13 पाठ्यक्रमों में से एक (सामाजिक कार्य में मास्टर) में इंटर्नशिप गतिविधियाँ की गईं, जिसमें सभी छात्रों (54 छात्रों) ने वर्ष 2019–20 की अवधि में भाग लिया। लखनऊ विश्वविद्यालय के 10 चयनित विभागों में, 20 पाठ्यक्रमों में से केवल तीन[7] में इंटर्नशिप की गई, जिसमें 74 से 100 प्रतिशत छात्रों (औसत 84 प्रतिशत) ने वर्ष 2019–20 की अवधि में भाग लिया। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में फील्ड प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप का विवरण नीचे **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2: 2019-20 की अवधि में इंटर्नशिप में भाग लेने वाले छात्र

विश्वविद्यालय का नाम	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम में कुल छात्रों की संख्या	सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या		
			फील्ड प्रोजेक्ट (प्रतिशत)	इन्टर्नशिप (प्रतिशत)	योग (प्रतिशत)
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	सामाजिक कार्य में मास्टर	54	54 (100)	54 (100)	100
योग		**54**	**54 (100)**	**54 (100)**	**100**
लखनऊ विश्वविद्यालय	एमएससी माइक्रोबायोलॉजी	35	0	26 (74)	26 (74)
	एमएससी फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री	31	0	31 (100)	31 (100)
	एमएससी पर्यावरण विज्ञान (केवल वर्ष 2019–20 की अवधि में)	21	0	16 (76)	16 (76)
योग		**87**	**0**	**73 (84)**	**73 (84)**

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय)

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में नमूना–जाँच किए गए आठ विभागों में शेष 12 (92 प्रतिशत) पाठ्यक्रमों में इंटर्नशिप/फील्ड प्रोजेक्ट सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन नहीं किया गया था। इसके अलावा, लखनऊ विश्वविद्यालय में नमूना जाँच किए गए 10 विभागों में, शेष 17 (85 प्रतिशत) पाठ्यक्रमों में इंटर्नशिप प्रदान नहीं की गई थी।

[6] क्रेडिट सिस्टम किसी शैक्षिक कार्यक्रम को वर्णित करने का एक व्यवस्थित तरीका है जिसमें इसके घटकों के साथ क्रेडिट संलग्न किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक क्रेडिट को एक सेमेस्टर में प्रति सप्ताह एक घंटे की एक सिद्धांत अवधि, एक सेमेस्टर में प्रति सप्ताह एक घंटे की एक ट्यूटोरियल अवधि और एक सेमेस्टर में प्रति सप्ताह दो घंटे की एक व्यावहारिक अवधि के रूप में परिभाषित करता है।

[7] एमएससी माइक्रोबायोलॉजी और एमएससी पर्यावरण विज्ञान (वनस्पति विज्ञान विभाग) और एमएससी फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री (रसायन विज्ञान विभाग)।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के छह नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में से केवल एक[8] ने वर्ष 2014–19 की अवधि में छात्रों को इंटर्नशिप/फील्ड प्रोजेक्ट्स की सुविधा प्रदान की थी लेकिन इसे वर्ष 2019–20 में जारी नहीं रखा गया था। इसके अलावा, लखनऊ विश्वविद्यालय के चार नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में से एक[9] ने छात्रों को इंटर्नशिप/फील्ड प्रोजेक्ट्स करने में मदद की, जिसमें 206 छात्र नामांकित थे और 110 छात्रों (53 प्रतिशत) ने वर्ष 2017–20 की अवधि में इंटर्नशिप पूरी की।

इस प्रकार, छात्रों को अपने ज्ञान और कौशल को विभिन्न सेटिंग्स में लागू करने और इंटर्नशिप/फील्ड प्रोजेक्ट्स के माध्यम से पेशेवर स्वभाव और नैतिकता को विकसित करने में सक्षम बनाने का उद्देश्य महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध महाविद्यालयों में केवल आंशिक रूप से पूरा हुआ।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने बताया (जुलाई 2022) कि विश्वविद्यालय ने स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप शुरू की है जो सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। तथापि, लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

3.2.5 शैक्षणिक लचीलापन

शैक्षणिक लचीलापन, प्रस्तावित पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के चयन में, छात्रों को दिये गये विकल्पों को दर्शाता है। यह पाठ्यक्रम चयन द्वारा, कार्यक्रमों की समय–सीमा, क्षैतिज गतिशीलता, अंतर–अनुशासनात्मक विकल्पों एवं अन्य के उपयोग में स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके माध्यम से शैक्षणिक लचीलेपन को शामिल किया जा सकता है। इसमें नये और प्रासंगिक कार्यक्रमों की पेशकश, क्रेडिट बेस्ड च्वाईस सिस्टम और ग्रेडिंग सिस्टम आदि का प्रारंभ किया जाना सम्मिलित है।

कार्यक्रमों में नये पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ के माध्यम से शैक्षणिक लचीलापन प्रदान करने में नमूना जाँच किये गये विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये प्रयासों का आकलन करने के लिये रोजगारपरकता पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ वर्ष 2014–20 के मध्य उपलब्ध सभी कार्यक्रमों में से नये प्रारंभ किये गये पाठ्यक्रमों का प्रतिशत परिणाम संकेतक के रूप में माना गया।

3.2.5.1 नये पाठ्यक्रमों का आरम्भ किया जाना

नये पाठ्यक्रमों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिये वर्ष 2014–20 की अवधि में उपलब्ध पाठ्यक्रमों की कुल संख्या में से आरम्भ किये गये नये पाठ्यक्रमों के प्रतिशत को प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के रूप में लिया गया ***(परिशिष्ट 1.1 का क्रम. सं. 06)***

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने वर्ष 2014–20 की अवधि में इसके द्वारा उपलब्ध कराये गये, 61 कार्यक्रमों में से 10 नये पाठ्यक्रम[10] (16 प्रतिशत) प्रारंभ किये। हालाँकि, नये शुरू किये गये कार्यक्रमों में से कोई भी रोजगारोन्मुखी नहीं था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने वर्ष 2014–20 की अवधि में पेश किये गये 82 पाठ्यक्रमों में से 2018–19 में एक नया पाठ्यक्रम (एमएससी बायो–टेक्नोलॉजी) शुरू किया।

[8] श्री अग्रसेन कन्या पीजी कालेज, वाराणसी।
[9] करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कालेज, लखनऊ (अशासकीय सहायता प्राप्त कालेज)
[10] 2015–16: एम.ए./एम.एस.सी. (भूगोल शास्त्र), 2016–17: एम. फिल (अर्थशास्त्र), रशियन एडवांस डिप्लोमा एवं रशियन डिप्लोमा, 2018–19: वेलनेस के लिए योग में सर्टिफिकेट कोर्स, 2019–20: एम.ए. एम.एस.सी. (गणित), एम.ए./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) खाद्य, एम.ए/एम.एस.सी. (वनस्पति विज्ञान), एम. फिल– मनोविज्ञान, एम. फिल राजनीति विज्ञान।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में नमूना–जाँच किये गये महाविद्यालयों में राजकीय पीजी कॉलेज, ओबरा एवं श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज वाराणसी ने वर्ष 2019–20 में क्रमशः एक नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और दो नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किये। लखनऊ विश्वविद्यालय में नमूना जाँच किये गये महाविद्यालयों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति थी। लेखापरीक्षा में नमूना–जाँच किए गए चार महाविद्यालयों में से, एक शासकीय महाविद्यालय[11] और एक अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय[12] ने क्रमशः दो स्नातक पाठ्यक्रम (2016–18) और एक नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (2019–20) शुरू किये। इस प्रकार, वर्ष 2014–20 की अवधि में लखनऊ विश्वविद्यालय, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और उनके सम्बद्ध महाविद्यालयों में केवल कुछ पाठ्यक्रम शुरू किये गये थे।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने बताया (जुलाई 2022) कि विश्वविद्यालय ने वन्य जीवन कार्यक्रम, महिला अध्ययन, आणविक दवाएं, जीएसटी और कई अन्य नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

3.2.5.2 च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार (2015), च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम न केवल मुख्य विषयों को सीखने का अवसर एवं मार्ग प्रदान करता है, बल्कि किसी व्यक्ति के समग्र विकास के लिये मुख्य विषयों से इतर सीखने के अतिरिक्त अन्य मार्गों के अन्वेषण के लिए भी है। च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम छात्रों को इंटर–डिसिप्लिनरी, इंट्रा–डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम, स्किल ओरिएंटेड पेपर (यहां तक कि उनकी सीखने की जरूरतों, रुचियों और योग्यता के अनुसार अन्य विषयों से) एवं छात्रों के लिये अधिक लचीले तरीके से चयन करने की अनुमति देता है। च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम छात्रों को निर्धारित कोर, वैकल्पिक/लघु या कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम पाठ्यक्रम और उच्च शिक्षा संस्थानों में सेमेस्टर सिस्टम को लागू करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने और पाठ्यक्रम को संशोधित करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2018)।

नमूना जाँच किये गये विश्वविद्यालयों द्वारा च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में प्रारंभ करने में किए गए प्रयासों का आकलन करने के लिए वर्ष 2019–20 (चालू वर्ष) की अवधि में च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वाले कार्यक्रमों का प्रतिशत एक संकेतक के रूप में उपयोग किया गया ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रम. सं. 05)***। यह संकेतक उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्याँकन और प्रमाणन प्रक्रिया के समय राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने नमूना जाँच किए गए विभागों द्वारा प्रस्तावित किसी भी पाठ्यक्रम में च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की पेशकश नहीं की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने वर्ष 2016–17 से च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को दो पाठ्यक्रमों (एक स्नातकोत्तर और एक स्नातक पाठ्यक्रम) में और वर्ष 2020–21 से 42 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लागू किया। इसके अतिरिक्त, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय के 10 नमूना–जाँच किये गये महाविद्यालयों में च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम प्रारम्भ नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि शैक्षणिक सत्र 2021–22 से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लागू किया गया है।

[11] महामाया राजकीय डिग्री कॉलेज, महोना, लखनऊ।
[12] नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ।

3.3 प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाएं

इस खंड में, उन पहलुओं पर चर्चा की गई है जो उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण और मूल्यांकन प्रक्रियाओं से निकटता से जुड़े हुए हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ई–संसाधन इत्यादि जैसी उन्नत शिक्षण विधियों का उपयोग, और संकाय से संबंधित पहलुओं जैसे संकाय की उपलब्धता और गुणवत्ता, योग्यता और संकाय के निरंतर व्यावसायिक विकास इत्यादि को भी आच्छादित किया गया है। इसके अतिरिक्त, परीक्षा आयोजित करने और पुनर्मूल्याँकन सहित उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्याँकन में समयबद्धता और दृढ़ता के संदर्भ में उच्च शिक्षण संस्थानों की परीक्षा प्रणाली का मूल्याँकन किया गया है।

3.3.1 शिक्षण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्तर 21.265, स्मार्ट क्लास रूम प्रदान करके और मेटा विश्वविद्यालयों और संबद्ध विश्वविद्यालयों को जोड़ने वाली इंटरैक्टिव वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के साथ कक्षाओं की स्थापना करके उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।

नमूना जाँच किये गये विश्वविद्यालयों में उन्नत शिक्षण वातावरण की उपस्थिति का मूल्याँकन करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सुविधाओं के साथ कक्षाओं/सेमिनार हॉल का प्रतिशत जैसे स्मार्ट क्लास रूम का प्रतिशत और शिक्षण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करने वाले शिक्षकों को मुख्य परिणाम संकेतक के रूप में उपयोग किया गया ***(परिशिष्ट 1.1 का क्रम. सं. 07)***। यह संकेतक उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्याँकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक से लिया गया है।

कक्षाओं में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना की उपलब्धता की चर्चा प्रस्तर 2.5.1 में की गई है। शैक्षणिक वर्ष 2019–20 की अवधि में शिक्षण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विधियों के उपयोग के संबंध में विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3 नमूना–जाँच किए गए विभागों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करने वाले शिक्षक

विश्वविद्यालय का नाम	विभाग की संख्या	सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की उपलब्धता		सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करने वाले शिक्षकों की संख्या	
		कुल कक्षाएं	सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम कक्षाएं (प्रतिशत)	शिक्षक	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले शिक्षक (प्रतिशत)
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	08	28	08 (29)	43	42 (98)
लखनऊ विश्वविद्यालय	10	60	10 (17)	134	85 (63)

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय)

तालिका 3.3 इंगित करती है कि वर्ष 2019–20 में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के आठ नमूना जाँच विभागों में 43 शिक्षकों में से 42 शिक्षक (98 प्रतिशत) शिक्षण के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के संदर्भ में नमूना जाँच किये गये, दस विभागों के 134 शिक्षकों में से 85 (63 प्रतिशत) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पद्धतियों का उपयोग कर रहे थे। अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि वर्ष 2019–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के नमूना जाँच

किये गये चार महाविद्यालयों[13] के 242 शिक्षकों में से 117 (48 प्रतिशत) शिक्षण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे। वर्ष 2019–20 की अवधि में लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किये गये चार महाविद्यालयों में 186 शिक्षकों[14] में से 82 (44 प्रतिशत) शिक्षण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे थे।

शासन ने बताया (जुलाई 2020) कि 2021 में भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के साथ समझौता करके, एक उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की गई है, जिसने विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री के संग्रह को विकसित करने में मदद की है। शासन ने बताया कि उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने और डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय महाविद्यालयों में ई–लर्निंग पार्क स्थापित किए गए हैं (दिसंबर 2020)। शासन के आदेश दिनांक 28 जनवरी 2021 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में प्री–लोडेड टैबलेट भी उपलब्ध करा दिये गये हैं।

3.3.2 शिक्षण में छात्र–केन्द्रित विधियों का उपयोग, पाठ्यक्रम का आच्छादन, धीमी गति से सीखने वालों का आकलन और मेंटर्स की नियुक्ति

3.3.2.1 छात्र–केन्द्रित विधियों का प्रयोग

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली (प्रस्तर संख्या 2.3.1) विहित करती है कि सीखने के अनुभवों को बढ़ाने के लिये, छात्र–केन्द्रित विधियों जैसे अनुभवात्मक शिक्षण, सहभागी शिक्षण और समस्या–समाधान पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिये।

लखनऊ विश्वविद्यालय में दस विभागों की नमूना जाँच में पाया गया कि छात्र–केन्द्रित विधियों जैसे सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन, छात्रों को परियोजनाओं का निर्धारण और कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा विजुअल प्रजेन्टेशन आदि का उपयोग सीखने के अनुभवों को बढ़ाने के लिये किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय और इसके नमूना जाँच किये गये कालेजों में छात्रों के सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 45 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में सीखने की प्रक्रिया में 'काफी हद तक' छात्र केन्द्रित तरीकों का प्रयोग किया जा रहा था। अन्य 31 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि इन तकनीकों का उपयोग औसत दर्जे का था। इस प्रकार, कुल 76 प्रतिशत छात्र सीखने की प्रक्रिया में छात्र केन्द्रित विधियों के उपयोग से संतुष्ट थे।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में छात्र सर्वेक्षण में 61 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि छात्र–केन्द्रित पद्धति का काफी हद तक उपयोग किया गया था और 35 प्रतिशत ने पद्धति का उपयोग औसत दर्जे का बताया।

3.3.2.2 पाठ्यक्रम सामग्री का आच्छादन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार (फरवरी 2018) शिक्षकों पर कार्यभार सप्ताह में 40 घंटे से कम नहीं होना चाहिये जिसमें 14 से 16 घंटे के साथ न्यूनतम प्रत्यक्ष शिक्षण होना चाहिए

[13] श्री अग्रसेन कन्या पी0जी0 कालेज वाराणसी (122 शिक्षकों में से 49 शिक्षक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे), जगतपुर पी0जी0 कालेज, वाराणसी (77 शिक्षकों में से 25 शिक्षक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे), राजकीय पी0जी0 कालेज सोनभद्र ओबरा (13 शिक्षकों में से 13 शिक्षक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे) और सकलडीहा पी0जी0 कालेज (30 शिक्षकों में से 30 शिक्षक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे)।

[14] महाराजा बिजली पासी राजकीय डिग्री कालेज (25 शिक्षकों में से 25 शिक्षक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे), महामाया राजकीय डिग्री कालेज महोना लखनऊ (12 शिक्षकों में से 2 शिक्षक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे), करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पी0जी0 कालेज लखनऊ (70 शिक्षकों में से 20 शिक्षक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे) और नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ (79 शिक्षकों में से 35 शिक्षक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे)।

जिससे कक्षाओं में पाठ्यक्रम सामग्री पूरी तरह से पूर्ण की जा सके।

नमूना जाँच किये गये विश्वविद्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार 2014–20 की अवधि में शिक्षकों का कार्यभार निर्धारित मानदंड के अनुसार था। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में 89 प्रतिशत छात्रों और लखनऊ विश्वविद्यालय में 77 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि 70 प्रतिशत से अधिक पाठ्यक्रम कक्षाओं में पूर्ण किया गया था, जो दर्शाता है कि शिक्षक कक्षायें ले रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम पूरी तरह से पूर्ण नहीं किया गया था।

3.3.2.3 धीमी गति से सीखने वालों (स्लो लर्नर्स) का आकलन

धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करने और उनकी सहायता के लिये विशेष कक्षायें आयोजित करने के लिये विश्वविद्यालय को अग्रिम और धीमी गति से सीखने वाले छात्रों की पहचान करने की आवश्यकता है।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में चयनित विभागों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि धीमी गति से सीखने वालों की पहचान करने के लिये कोई औपचारिक प्रणाली नहीं थी। जैसा कि विभाग प्रमुखों ने बताया वर्ष 2014–18 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के आठ चयनित विभागों में से किसी ने भी धीमी गति से सीखने वालों की पहचान नहीं की थी। वर्ष 2018–20 की अवधि में समाज कार्य विभाग ने धीमी गति से सीखने वालों की पहचान की और अतिरिक्त कक्षायें भी प्रदान की गयीं।

लखनऊ विश्वविद्यालय में नमूना जाँच किये गये 10 विभागों में से 09 ने अवगत कराया कि धीमी गति से सीखने वाले छात्रों की मदद की गयी थी, लेकिन उनके लिये अलग से कक्षाओं का आयोजन नहीं किया गया था। यद्यपि, दर्शनशास्त्र विभाग के प्रमुख ने अवगत कराया कि धीमी गति से सीखने वालों के लिये अलग से कक्षाएं आयोजित की गयीं थीं, तथापि, नमूना जाँच किये गये विभागों ने अपने कथनों को प्रमाणित करने के लिये संबंधित दस्तावेज और आँकड़े उपलब्ध नहीं कराये।

3.3.2.4 छात्रों को परामर्श

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँच किये गये विश्वविद्यालयों ने छात्रों के लिये शैक्षणिक और तनाव संबंधी प्रकरणों हेतु परामर्शदाता नियुक्त नहीं किया था। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि मेंटर की नियुक्ति शीघ्र की जायेगी। यद्यपि, लखनऊ विश्वविद्यालय ने सूचित किया (अगस्त 2021) कि नियमित संकाय, तनाव से संबंधित प्रकरणों पर परामर्श प्रदान करते हैं। इस संबंध में लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग ने बताया कि वर्ष 2020–21 में विभाग में एक टी.आर.ई.ई. (टीचिंग, रीचिंग, एम्बोल्डेनिंग, ईवॉल्विंग) कार्यक्रम लागू किया गया था जिसके अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक से स्नातकोत्तर छात्रों के एक सेट को प्रवेश लेने से लेकर उनके पास होने तक मेंटर किये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

3.4 संकाय की उपलब्धता और गुणवत्ता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों की योग्यता और उनकी कार्य के प्रति निष्ठा इन शिक्षण संस्थानों की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जारी 'उच्च शिक्षा के समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर रिपोर्ट के प्रस्तर 7.1.2 में निहित है कि योग्य प्राध्यापकों की कमी के साथ–साथ क्षेत्रों में उनकी गतिशीलता का अभाव भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के विकास में एक प्रमुख बाधा है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली के अनुसार, संकाय/शिक्षक की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले पहलुओं में उनकी शैक्षिक योग्यता, अध्यापन वैशिष्ट्य, उपलब्धता, व्यावसायिक विकास और उनकी अध्यापन योग्यता का परिज्ञान सम्मिलित हैं।

3.4.1 शिक्षकों की उपलब्धता

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना का उद्देश्य सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में योग्य प्राध्यापकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। रूसा के तहत, राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे सभी रिक्त स्वीकृत पदों को भरें तथा छात्र–शिक्षक अनुपात 20:1 करने के लिए अतिरिक्त पदों हेतु धन की मांग करें।

3.4.1.1 शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता

रूसा के दिशानिर्देशों में छात्र शिक्षक अनुपात[15] 20:1 निर्धारित है। वर्ष 2014–20 की अवधि में राज्य सरकार के महाविद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता तथा छात्रों का कुल नामांकन नीचे दिए गए **चार्ट 3.1** एवं **तालिका 3.4** में वर्णित है।

चार्ट 3.1: राज्य के सरकारी कालेजों में प्राध्यापकों की उपलब्धता

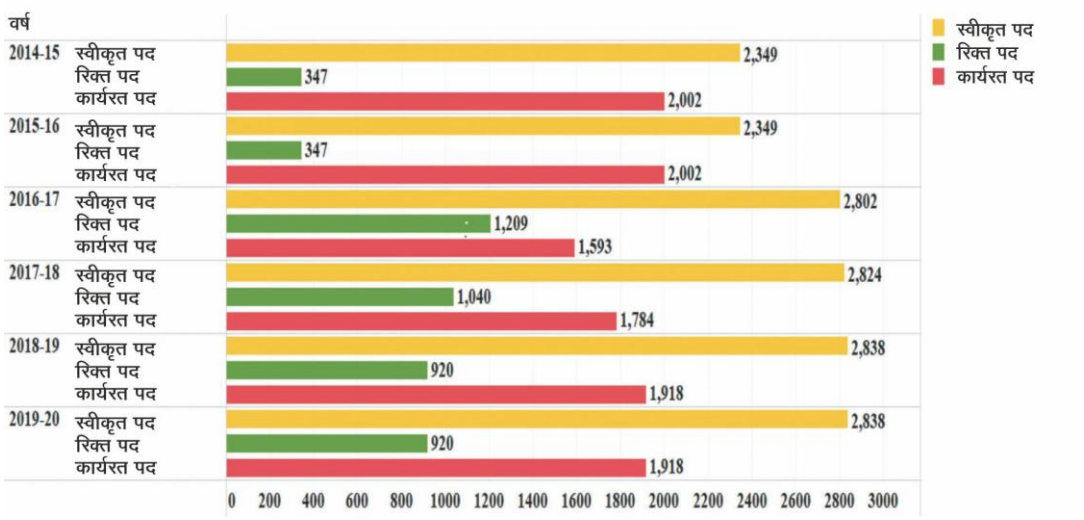

तलिका 3.4: राज्य के शासकीय महाविद्यालय में छात्र–शिक्षक अनुपात

वर्ष	शिक्षकों की उपलब्धता	कुल नामाँकन	छात्र–शिक्षक अनुपात
2014-15	2,002	98,202	49:1
2015-16	2,002	99,402	50:1
2016-17	1,593	96,101	60:1
2017-18	1,784	97,337	55:1
2018-19	1,918	99,403	52:1
2019-20	1,918	94,301	49:1

(स्रोतः उच्च शिक्षा विभाग)

[15] छात्र–शिक्षक अनुपात किसी संस्थान में नामाँकित छात्रो की संख्या को संस्था में शिक्षकों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है।

चार्ट 3.1 और **तालिका 3.4** से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–20 की अवधि में प्रत्येक वर्ष शिक्षकों के पद रिक्त थे और रिक्तियों का प्रतिशत 14.77 (2014–15) और 43.14 (2016–17) के मध्य था। छात्र–शिक्षक अनुपात 49:1 (2014–15) और 60:1 (2016–17) के बीच था जो रूसा द्वारा निर्धारित अनुपात 20:1 से काफी अधिक था।

समापन बैठक (15 जुलाई 2022) में बताया गया कि भविष्य में शासकीय महाविद्यालयों की स्थिति में सुधार किया जाएगा।

3.4.1.2 नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक कर्मचारियों की उपलब्धता

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रूसा मानदंड (20:1) के अनुसार छात्र–शिक्षक अनुपात के संदर्भ में शैक्षणिक क्षमता का विश्लेषण किया गया। इसका उपयोग शिक्षण की गुणवत्ता के लिए एक परिणाम सूचक के रूप में किया गया ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रमांक 6)***।

नमूना–जाँच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक और परास्नातक कार्यक्रमों में नामाँकित छात्रों की कुल संख्या, शिक्षकों की संख्या और छात्र–शिक्षक अनुपात की स्थिति **तालिका 3.5** और **चार्ट 3.2** में दी गई है।

तालिका 3.5: 2019–20 की अवधि में नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात

विश्वविद्यालय का नाम	उच्च शिक्षण संस्थान	कुल छात्रों की संख्या			शिक्षकों की संख्या			छात्र–शिक्षक अनुपात		
		कला	वाणिज्य	विज्ञान	कला	वाणिज्य	विज्ञान	कला	वाणिज्य	विज्ञान
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	विश्वविद्यालय	5,825	672	956	108	13	18	54	52	53
	शासकीय महाविद्यालय	2,860	696	612	19	4	2	151	174	306
	अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय	10,191	2,635	2,298	155	45	23	66	59	100
लखनऊ विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	3,059	1,099	1,545	169	28	126	18	39	12
	शासकीय महाविद्यालय	1,324	250	180	23	4	10	58	63	18
	अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय	4,121	892	719	83	16	35	50	56	21

(स्रोतः महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय)

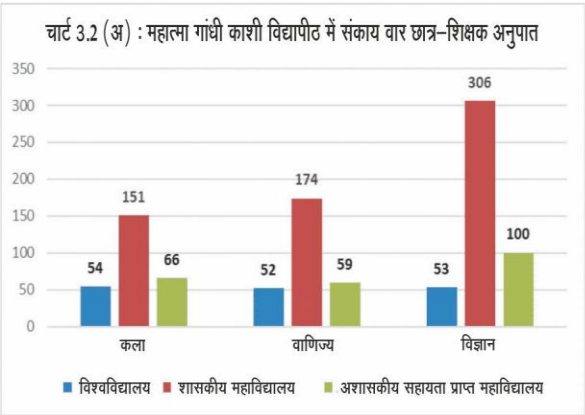

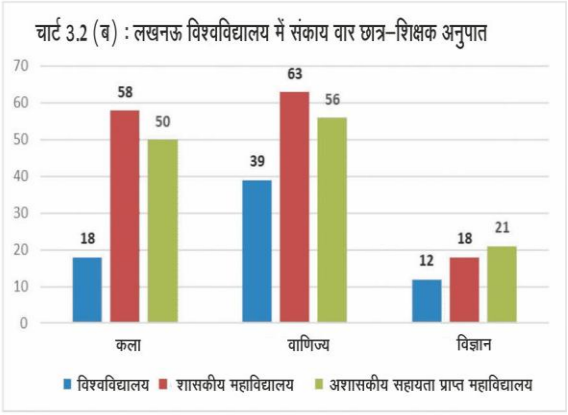

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्गों के छात्र–शिक्षक अनुपात क्रमशः 54:1, 52:1 और 53:1 थे, जो निर्धारित 20:1 की सीमा से काफी अधिक थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में उक्त अनुपात क्रमशः 18:1, 39:1 और 12:1 था जो महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ से बेहतर था। वाणिज्य वर्ग में छात्र–शिक्षक अनुपात अधिक था और अन्य दो वर्गों में छात्र–शिक्षक अनुपात मानदंड के अन्तर्गत था।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात बहुत अधिक था (कलाः 151:1, वाणिज्यः 174:1 और विज्ञानः 306:1)। लखनऊ विश्वविद्यालय के शासकीय महाविद्यालयों में, छात्र–शिक्षक अनुपात तुलनात्मक रूप से कम था (कलाः 58:1, वाणिज्यः 63:1 और विज्ञानः 18:1), विज्ञान वर्ग में छात्र–शिक्षक अनुपात निर्धारित सीमा के अर्न्तगत था ***(परिशिष्ट 3.1)***।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के नमूना जाँच किए गए अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में, सभी वर्गों में छात्र–शिक्षक अनुपात मानक से अधिक था (कलाः 66:1, वाणिज्यः 59:1 और विज्ञानः 100:1)। लखनऊ विश्वविद्यालय के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्थिति (कलाः 50:1, वाणिज्यः 56:1 और विज्ञानः 21:1) महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के समान थी अपवादस्वरूप विज्ञान वर्ग में छात्र–शिक्षक अनुपात लगभग मानदंड के अनुरूप था ***(परिशिष्ट 3.1)***।

शासन ने बताया (जुलाई 2020) कि छात्र–शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए वर्तमान में स्पष्ट शासनादेश हैं। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रारम्भ कर दिया है।

3.4.1.3 संविदा पर नियुक्त शिक्षक

नमूना जाँच विश्वविद्यालयों में वर्ष 2014–20 की अवधि में नियमित एवं अनुबंधित शिक्षकों की स्थिति निम्नवत् थी–

तालिका 3.6: महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय में नियमित एवं अनुबंधित शिक्षक

वर्ष	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में शिक्षकों की संख्या			लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों की संख्या		
	कुल संख्या	नियमित	अनुबंधित	कुल संख्या	नियमित	अनुबंधित
2014-15	241	130	111	324	310	14
2015-16	213	121	92	316	302	14
2016-17	214	118	96	338	324	14
2017-18	227	113	114	335	321	14
2018-19	226	123	103	331	317	14
2019-20	139	105	34	323	309	14
औसत	**210**	**118**	**92 (44 *प्रतिशत*)**	**328**	**314**	**14 (4 *प्रतिशत*)**

जैसा कि उपरोक्त **तालिका 3.6** से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में औसतन 44 प्रतिशत शिक्षक संविदा पर थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के संदर्भ में उक्त अवधि में केवल चार प्रतिशत शिक्षक ही संविदा पर थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के पाँच नमूना जाँच शासकीय महाविद्यालयों में से एक[16] में वर्ष 2014–15 में 22 प्रतिशत तथा 2015–16 में 15 प्रतिशत

[16] राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र

शिक्षक संविदा पर नियुक्त किये गये थे। तथापि, इन महाविद्यालयों में बाद के वर्षों में किसी शिक्षक की नियुक्ति संविदा पर नहीं की गयी थी।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के पाँच नमूना जाँच अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में से प्रत्येक के प्रकरण में शैक्षिक कर्मचारियों का एक बड़ा अनुपात संविदा पर था। संविदा पर नियुक्त शिक्षकों का प्रतिशत महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी में 76 से 80 प्रतिशत, श्री अग्रसेन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी में 80 से 83 प्रतिशत, सकलडीहा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चंदौली में 33 से 37 प्रतिशत एवं लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ में 43 से 61 प्रतिशत तथा नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ में 32 से 45 प्रतिशत के मध्य था।

इस प्रकार, नमूना जाँच विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में, विशेषकर नमूना जाँच अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक कर्मचारियों का एक बड़ा भाग संविदा पर नियुक्त शिक्षकों का था। उच्च छात्र–शिक्षक अनुपात (जैसा कि प्रस्तर 3.4.1.2 में चर्चा की गयी है) के साथ संविदा पर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति इन उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है।

3.4.1.4 आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण

01 फरवरी 2019 से प्रभावी उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिये आरक्षण) अधिनियम, 2020 नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों में आरक्षण का प्राविधान राज्य में वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2021–22 में 17 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी परन्तु किसी भी शिक्षक की नियुक्ति आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत नहीं की गयी क्योंकि पद के लिये आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी निर्धारित 100 प्वाइंट रोस्टर के अंतर्गत नहीं आती थी। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ द्वारा वर्ष 2020–22 की अवधि में किसी भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गयी थी।

अग्रेतर, शासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2019–22 की अवधि में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी थी। यद्यपि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में वर्ष 2020–21 में शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी। कुल 2002 रिक्तियों में से 182 पद आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिये आरक्षित थे जिसके सापेक्ष आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत 180 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने बताया (सितम्बर 2022) कि शिक्षकों की नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण महाविद्यालय स्तर पर 100 प्वाइंट रोस्टर के आधार पर दिया गया था।

3.4.2 न्यूनतम निर्धारित योग्यता वाले शिक्षकों की उपलब्धता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता) विनियम, 2009 के प्रस्तर 3.4.4 में प्रावधान है कि शिक्षकों के पदों की संख्या, शिक्षक की योग्यता और उनकी भर्ती/पदोन्नति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी और सेवा की शर्तें विधि[17]/अध्यादेश/विश्वविद्यालय का विनियम/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार होगा।

[17] अधिनियम, विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया दस्तावेज है जिसमें विश्वविद्यालय के निर्माण एवं स्थापना के लिये सरकार द्वारा जारी अध्यादेश की शर्तों को शामिल किया गया है।

इस सन्दर्भ में, शासन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 में किए गए प्राविधान के अनुसार, विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में विभिन्न संकायों के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों सहित परास्नातक डिग्री और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) निर्धारित की (दिसंबर 2013)। जुलाई 2009 से पहले पीएचडी में पंजीकृत छात्रों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता की शर्त से छूट प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2014–20 की अवधि में चयनित विभागों में शिक्षकों की नई भर्ती की संवीक्षा में पाया कि चयनित विश्वविद्यालयों और शासकीय महाविद्यालयों के मामले में, आवश्यक योग्यता का पालन किया गया था। लेकिन, दो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों[18] में, 149 शिक्षकों में से आठ अंशकालिक शिक्षकों के पास वांछित न्यूनतम योग्यता नहीं थी क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की और वर्ष 2009 से पूर्व पीएचडी के लिए भी दाखिला नहीं लिये थे।

3.4.3 पीएचडी के साथ पूर्णकालिक शिक्षक

उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा वर्ष 2014–19 की अवधि में पीएचडी डिग्री वाले पूर्णकालिक शिक्षकों की उपलब्धता का प्रयास करने का आकलन करने हेतु नमूना जाँच हेतु चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी डिग्री धारक पूर्णकालिक शिक्षकों के औसत प्रतिशत को एक संकेतक के रुप में प्रयोग किया गया ***(परिशिष्ट 1.2 की क्रम संख्या 7)***। यह सूचक, उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्याँकन और प्रमाणन प्रक्रिया हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 2014–20 की अवधि में पीएचडी के साथ सामान्य विषयों (बी0ए0, बी0एससी0, बी0कॉम0, एम0ए0, एम0एस0सी0 और एम0कॉम0) में पूर्णकालिक शिक्षकों की स्थिति **तालिका 3.6(अ)** में दी गई है।

तालिका 3.6(अ) पीएचडी के साथ पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या

वर्ष	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ			लखनऊ विश्वविद्यालय		
	पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	पीएचडी के साथ पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	प्रतिशत	पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	पीएचडी के साथ पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	प्रतिशत
2014-20 (औसत)	118	108	92	314	312	99

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

इस प्रकार वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में 92 प्रतिशत पूर्णकालिक शिक्षक और लखनऊ विश्वविद्यालय में 99 प्रतिशत पूर्णकालिक शिक्षक पीएचडी धारक थे। मार्च 2020 तक, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में 10 शिक्षकों और लखनऊ विश्वविद्यालय में छह शिक्षकों के पास पीएचडी की डिग्री नहीं थी ***(परिशिष्ट 3.2)***। अग्रेतर, संवीक्षा पाया गया कि वर्ष 2014–20 की अवधि में लखनऊ विश्वविद्यालय में बिना पीएचडी के नियुक्त 15 शिक्षकों ने सेवाकाल में पीएचडी डिग्री प्राप्त की।

3.4.4 पूर्णकालिक शिक्षक जिन्होंने पुरस्कार, सम्मान, फेलोशिप प्राप्त किये

राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाना उनकी अध्यापन उत्कृष्टता और शोध क्षमता का परिचायक है। वर्ष 2014–20 की अवधि में राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार तथा मान्यता प्राप्त निकायों से पुरस्कार, सम्मान, फेलोशिप प्राप्त करने वाले

[18] करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी महाविद्यालय, लखनऊ (पाँच शिक्षक) और नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ (चार शिक्षक)

पूर्णकालिक शिक्षकों का प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक संवर्ग की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक संकेतक ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रमांक 8)*** के रूप में प्रयोग किया गया। यह संकेतक उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

वर्ष 2014–20 की अवधि में पुरस्कार, सम्मान, फेलोशिप प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या नीचे **तालिका 3.7** में दी गई है:

तालिका 3.7: वर्ष 2014–20 की अवधि में पुरस्कार, सम्मान, फेलोशिप प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या

विश्वविद्यालय का नाम	विगत छः वर्षों की अवधि में पूर्णकालिक शिक्षकों की औसत संख्या	विगत छः वर्षों की अवधि में राज्य/राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	प्रतिशत
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	118	शून्य	शून्य
लखनऊ विश्वविद्यालय	314	4	1.27

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय)

इस प्रकार वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और इसके नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में किसी भी शिक्षक को पुरस्कार आदि प्राप्त नहीं हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय में केवल चार शिक्षकों (1.27 प्रतिशत) ने पुरस्कार, फेलोशिप प्राप्त की ***(परिशिष्ट 3.2)***।

लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किये गये महाविद्यालयों में वर्ष 2014–20 की अवधि में दो शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों में किसी को पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ था। तथापि, लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए लखनऊ विश्वविद्यालय के दो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में से एक (करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ) में एक शिक्षक को प्रायोगिक शिक्षण के लिए पुरस्कार/प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था।

इस प्रकार, यह तथ्य कि बहुत ही कम शिक्षकों के कार्य को पुरस्कार, सम्मान आदि के माध्यम से मान्यता प्राप्त थी, यह प्रदर्शित करता है कि या तो शिक्षण का स्तर और गुणवत्ता पर्याप्त नहीं थी या जिन परिस्थितियों में शिक्षण कार्य किया जा रहा था वह उच्च स्तरीय शिक्षण को प्रेरित करने के अनुकूल नहीं थीं।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि राज्य शिक्षक पुरस्कार नियम 2021 के तहत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नौ शिक्षकों को सरस्वती पुरस्कार और 15 शिक्षकों को शिक्षा श्री पुरस्कार दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

तथ्य यह है कि बहुत कम शिक्षकों को राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, सम्मान, फेलोशिप आदि प्राप्त हुए हैं।

3.4.5 अन्य राज्यों के पूर्णकालिक शिक्षक

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जारी 'उच्च शिक्षा के समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर रिपोर्ट के प्रस्तर 7.1.7 (बी) के अनुसार, प्राध्यापकों की नियुक्ति पूरी तरह से एक ही विश्वविद्यालय में शिक्षित अभ्यर्थियों से नहीं की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त कम से कम 20 प्रतिशत शैक्षणिक पद देश के अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए।

राज्य भर में शिक्षकों की गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में अन्य राज्यों से भर्ती किए गए शिक्षकों के आंकड़ों का विश्लेषण **तालिका 3.8** में किया गया है।

तालिका 3.8: वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में अन्य राज्यों के शिक्षक

विश्वविद्यालय	स्वीकृत पद की संख्या	उपलब्ध पूर्णकालिक शिक्षकों की औसत संख्या	अन्य राज्य के शिक्षकों की औसत संख्या	अन्य राज्य के शिक्षकों की संख्या (प्रतिशत में)
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	177	118	04	03
लखनऊ विश्वविद्यालय	473	314	25	08

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

स्पष्टतया नमूना जाँच किये गए दोनों ही विश्वविद्यालयों में अन्य राज्य के शिक्षकों का प्रतिशत निर्धारित 20 प्रतिशत से अत्यधिक कम था ***(परिशिष्ट 3.2)***।

3.4.6 सम्मेलन/कार्यशाला में भाग लेने के लिए संकाय को वित्तीय सहायता

नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या का आकलन करने के लिए, वर्ष 2014–20 की अवधि ऐसे शिक्षकों का औसत प्रतिशत संकेतक के रूप में उपयोग किया गया ***(परिशिष्ट 1.2 की क्रम संख्या 9)***। यह सूचक उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

लेखापरीक्षा से प्रकाश में आया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय और उनके 10 नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों ने वर्ष 2014–20 की अवधि में सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने और व्यावसायिक निकायों की सदस्यता शुल्क के लिए प्राध्यापकों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की थी। इस प्रकार, विश्वविद्यालयों ने समीक्षाधीन अवधि की अवधि में शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास को न तो प्रोत्साहित किया और न ही वित्तीय रूप से सहयोग ही किया।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने बताया (जुलाई 2022) कि कार्यकारी परिषद द्वारा सेमिनार–संगोष्ठी निधि के निर्माण को मंजूरी (मई 2022) दी गयी है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/संगोष्ठी में भाग लेने वाले प्रत्येक शिक्षक को निधि के ब्याज से ₹ 5,000 तक पंजीकरण शुल्क तथा ₹ 25,000 तक यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3.5 व्यावसायिक विकास/संकाय का प्रशिक्षण

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जारी 'उच्च शिक्षा के समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर रिपोर्ट के प्रस्तर 7.1.3 में कहा गया है कि संकाय विकास कार्यक्रम प्रारंम्भ करने में, प्रवेश स्तर पर उन्मुखीकरण, पाठ्यक्रम विकास, अध्ययन अध्यापन, शोध एवं नवाचार, सामाजिक सहभागिता एवं नेतृत्व की क्षमता का विकास जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। आवश्यकता अनुरुप रुपांकित संकाय विकास कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर विकसित किए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली[19] के अनुसार, शिक्षकों को सीखने, नवीनतम विकास से स्वयं को अवगत रखने, लगातार अपने काम में सुधार और व्यक्तिगत और संस्थागत उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने हेतु स्वयं पहल करनी होगी।

[19] प्रस्तर 6.3.3

नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या का आकलन करने के लिए वर्ष 2014–20 की अवधि में व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों[20] में भाग लेने वाले शिक्षकों के औसत प्रतिशत को एक संकेतक ***(परिशिष्ट 1.2 की क्रम संख्या 10)*** के रुप में प्रयोग किया गया।

वर्ष 2014–20 की अवधि में व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षकों की स्थिति **तालिका 3.9** में दी गई है।

तालिका 3.9: व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षक

विश्वविद्यालय का नाम	पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या						व्यवसायिक विकास कार्यक्रम में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या वर्षवार (प्रतिशत)						
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	औसत
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	130	121	118	113	123	105	16 (12)	10 (08)	11 (09)	26 (23)	35 (28)	34 (32)	19
लखनऊ विश्वविद्यालय	310	302	324	321	317	309	53 (17)	54 (18)	29 (9)	51 (16)	55 (17)	49 (16)	16
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के नमूना जाँच महाविद्यालय	215	217	217	223	225	248	8 (4)	10 (5)	8 (3)	11(5)	14 (6)	10 (4)	5
लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच महाविद्यालय	101	101	105	111	115	125	9 (9)	17 (17)	13 (12)	21 (19)	20 (17)	43 (34)	19

(स्रोतः सम्बंधित उच्च शिक्षण संस्थान)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में औसतन 19 प्रतिशत शिक्षकों ने और लखनऊ विश्वविद्यालय के 16 प्रतिशत शिक्षकों ने ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों का औसत क्रमशः केवल पाँच प्रतिशत और 19 प्रतिशत ही था ***(परिशिष्ट 3.3)***।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि शिक्षकों का प्रशिक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित पुनश्चर्या एवं संकाय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि उचित अभिलेखों के अभाव में, विश्वविद्यालयों द्वारा यह सूचना नहीं प्रदान की गई होगी।

3.6 परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली की मजबूती

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली[21] के अनुसार, एक उच्च शिक्षण संस्थान की परीक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता, परीक्षा आयोजित करने में नियमितता, प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता, कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के परिणामों का वास्तविक परीक्षण करने की दक्षता, आदि पर निर्भर करती है। मूल्यांकन के उद्देश्यों में एक उद्देश्य विकास–उत्प्रेरण प्रतिक्रिया प्राप्त करना भी है। एक उत्कृष्ट मूल्यांकन प्रणाली छात्रों की योग्यता बढ़ाने में योगदान करती है।

[20] अभिविन्यास कार्यक्रम/पाठयक्रम, पुनश्चर्या कार्यक्रम/पाठयक्रम, लघुअवधि कार्यक्रम/पाठयक्रम और संकाय विकास कार्यक्रम/पाठयक्रम
[21] प्रस्तर 2.5

3.6.1 प्रश्न पत्रों को तैयार करने की प्रणाली

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय ने बताया कि परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र तैयार करने वालों का चयन शिक्षा परिषद से प्राप्त शिक्षकों की सूची से किया गया जिसे कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। शिक्षकों से प्राप्त प्रश्नपत्रों को विभागाध्यक्ष द्वारा गठित एक समिति द्वारा अनुशोधित किया जाता है और उसके बाद प्रश्नपत्रों को मुद्रण के लिए सील कर दिया जाता है एवं परीक्षा केंद्रों को भेज दिया जाता है।

3.6.2 परीक्षाओं में प्रश्नों की गुणवत्ता

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रमुख नीतिगत अभिलेखों में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए परीक्षा प्रणाली में सुधारों को समग्र शैक्षणिक सुधारों के प्रमुख आयामों में से एक माना जाता है।

विश्लेषणात्मक प्रश्नों की उपस्थिति, पिछले वर्षों के प्रश्नों की कम पुनरावृत्ति, खुली किताब परीक्षाओं के संचालन को लेखापरीक्षा में अच्छी गुणवत्ता वाले प्रश्न पत्रों की विशेषताओं के रूप में चिन्हित किया गया है। लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है:

3.6.2.1 प्रश्नपत्रों में विश्लेषणात्मक प्रश्नों की उपस्थिति

विश्लेषणात्मक प्रश्न छात्र की तथ्यों का अध्ययन करके प्रतिरुप विश्लेषण की तार्किक शक्ति एवं निष्कर्ष पर पहुँचने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता हैं। इस तरह के प्रश्न छात्रों की आलोचनात्मक क्षमता और समस्या समाधान की दक्षता का आकलन करते हैं।

लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में वर्ष 2014–20 की अवधि में प्रश्न पत्रों में विश्लेषणात्मक प्रश्न नहीं समाहित किए थे। अग्रेतर, लखनऊ विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्षों/ परीक्षा नियंत्रक ने सूचित किया कि वर्ष 2014–20 की अवधि में लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए 10 विभागों में से सात विभागों में प्रश्नपत्रों में विश्लेषणात्मक प्रश्न समाहित किए गए थे।

3.6.2.2 पाठ्यक्रम जिनमें खुली पुस्तक परीक्षा की अनुमति थी

छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और रटने को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से खुली पुस्तक परीक्षाओं को शुरू करने में उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों का आकलन करने के लिए वर्ष 2019–20 में उन शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रतिशत, जिसमें खुली पुस्तक परीक्षा की अनुमति है, एक संकेतक के रूप में प्रयोग किया गया था ***(परिशिष्ट–1.2 की क्रम संख्या 11)***।

लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वर्ष 2014–20 की अवधि में किसी भी कार्यक्रम में खुली पुस्तक परीक्षा की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार, परीक्षा का ध्यान अभी भी मुख्य रूप से रटकर परीक्षा उत्तीर्ण करने पर केन्द्रित था जो छात्रों को परीक्षा के माध्यम से स्वयं सीखने की क्षमता को बढ़ाने का अवसर प्रदान नहीं करता है।

3.6.3 परीक्षाओं के स्वचालन की स्थिति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बारहवीं पंचवर्षीय योजना जैसे नीतिगत अभिलेखों में विहित है कि प्रौद्योगिकी के उपयोग से परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और दक्षता लायी जा सकती है।

नमूना जाँच में लिए गए दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा सूचित किया गया कि परीक्षा से संबंधित कार्य जैसे परीक्षा आवेदन पत्र प्राप्त करना, छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म में त्रुटियों को ठीक करने का अवसर, प्रवेश पत्र जारी करना, परीक्षा परिणाम घोषित करना, अंक पत्र जारी करना और पुनर्मूल्याँकन के लिए

आवेदन पत्र प्राप्त करना पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत हैं। छात्रों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के लिए, लखनऊ विश्वविद्यालय ने वर्ष 2019–20 से इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू सर्विस ऑफ एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर लागू किया है। तथापि, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिणामों को विलम्ब से घोषित किया जाना पाया गया।

3.6.4 परीक्षा परिणाम घोषणा में विलम्ब

परिणामों की समय पर घोषणा अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से स्नातक छात्रों के लिए, क्योंकि उनके अध्ययन के बाद के अनेक अवसर जैसे कि रोजगार, आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं में नामाँकन इत्यादि परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन पर निर्भर होते हैं। परिणामों की घोषणा में किसी भी तरह की देरी से ऐसे छात्रों के भविष्य को बहुत नुकसान होने की संभावना होती है।

प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ, नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करते हैं जो पूरे वर्ष उनकी सभी गतिविधियों के लिए समय सारिणी के रूप में कार्य करता है। विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष जून के महीने तक अंतिम परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया था। लेखापरीक्षा में संज्ञान में आया कि बी0ए0, बी0कॉम0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0कॉम0 और एम0एससी0 पाठ्यक्रमों के परिणाम घोषित करने में बहुत अधिक विलम्ब किया गया था। विलम्ब का विवरण **तालिका 3.10** में दिया गया है।

तालिका 3.10: परिणामों की घोषणा में देरी

वर्ष	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी			लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ		
	नियत तिथि	वास्तविक तिथि	विलम्ब का दिवस	नियत तिथि	वास्तविक तिथि	विलम्ब का दिवस
2014-15	30.06.2015	16.06.2015 से 12.08.2015	43	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2015-16	30.06.2016	13.06.2016 से 16.08.2016	47	30.06.2016	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2016-17	30.06.2017	06.06.2017 से 30.08.2017	61	30.06.2017	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2017-18	30.06.2018	05.05.2018 से 16.07.2018	16	30.06.2018	04.05.2018 से 29.08.2018	59
2018-19	15.06.2019	30.04.2019 से 15.06.2019	0	15.06.2019	03.05.2019 से 11.09.2019	88
2019-20	15.06.2020	10.10.2020 से 15.03.2021	273	15.06.2020	03.10.2020 से 07.12.2020	175

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

तालिका 3.10 से स्पष्ट है कि वर्ष 2018–19 को छोड़कर वर्ष 2014–15 से 2019–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में परिणाम 273 दिनों तक विलम्ब से घोषित किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा माँग किये जाने के बावजूद वर्ष 2014–17 की अवधि में परिणामों की घोषणा से संबंधित सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 2017–20 की अवधि में परिणाम 59 से 175 दिनों की देरी से घोषित किये गए। इस प्रकार, विश्वविद्यालय मूल्याँकन और परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया के प्रभावी प्रबंधन में विफल रहे जिसके कारण परिणाम घोषित करने में बहुत अधिक विलम्ब हुआ।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कलैण्डर जारी किया जाता है, जिसका पालन विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाना होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उत्तर में बताया कि परिणाम घोषित करने में कुछ देरी कोविड–19 के कारण हुई।

तथ्य यह है कि विश्वविद्यालय में वर्ष 2017–18 से परिणाम घोषित करने में लगातार विलम्ब किया गया था।

3.6.5 ग्रेडिंग प्रणाली

च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम दिशानिर्देश (2015–16 से प्रभावी) में प्रत्येक छःमाही में छात्र के निष्पादन के प्रदर्शन हेतु मानकीकृत वर्ण ग्रेड, संबंधित ग्रेड अंक, छःमाही ग्रेड बिंदु की गणना हेतु एक रूप प्रणाली तथा औसत और संचयी ग्रेड बिंदु, औसत एवं समेकित प्रारूप का प्राविधान किया गया है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) जैसे विश्वविद्यालयों ने छात्रों के मूल्याँकन और छात्रों की सहभागिता और भागीदारी बढ़ाने के लिए वर्ष 2009–10 से विज्ञान संकाय में और वर्ष 2010–11 से वाणिज्य संकाय में ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया है।

लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने पाठ्यक्रम में पारंपरिक अंक प्रणाली को ग्रेडिंग प्रणाली में परिवर्तित (स्वीचओवर) नहीं किया। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में वर्ष 2014–20 की अवधि में शुरू किए गए नए कार्यक्रमों में भी ग्रेडिंग प्रणाली शुरू नहीं की गयी। लखनऊ विश्वविद्यालय में केवल विज्ञान विषयों में ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया गया है और वह भी केवल स्नातकोत्तर स्तर पर। इस प्रकार, विश्वविद्यालयों द्वारा पुरानी अंकन प्रणाली को ही लागू रखा गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि स्नातक स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने के लिए अप्रैल 2022 में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

3.7 छात्रों की उपस्थिति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2003 के अनुसार, विश्वविद्यालयों में छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति हेतु न्यूनतम संख्या में व्याख्यान, ट्यूटोरियल, सेमिनार और प्रायोगिक कक्षा का निर्धारण करना था जो सामान्यतः सम्पूर्ण व्याख्यान, ट्यूटोरियल, सेमिनार और प्रायोगिक कक्षा का 75 प्रतिशत से कम न हो, निर्धारित करना था। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय दोनों ने ही परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति निर्धारित की थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय दोनों में, विभाग/संकाय उपस्थिति रजिस्टर में नियमित उपस्थिति लेने की प्रथा का पालन कर रहे थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया था। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में उपस्थिति कम होने के कारण कोई छात्र वंचित नहीं हुआ।

वर्ष 2014–20 की अवधि में, लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना–जाँच किए गए सभी सरकारी महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा उपस्थिति पंजिका का रख–रखाव किया जा रहा था और कोई भी छात्र न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति से कम उपस्थिति वाला नहीं पाया गया।

3.8 मूल्याँकन प्रक्रिया

पूर्व में विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याँकन विकेंद्रीकृत तरीके से किया जाता था जिससे मूल्यांकन में बहुत अधिक समय लगता था। इसे

नियंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालयों में एक केंद्रीकृत मूल्याँकन प्रणाली शुरू की गई, जिसमें निर्धारित प्रक्रिया अपनाने वाले शिक्षकों का चयन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्याँकन के लिए किया गया। केंद्रीकृत मूल्याँकन प्रणाली का विवरण निम्नवत है:

3.8.1 केंद्रीकृत मूल्यांकन प्रणाली

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय ने उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों सहित उनके द्वारा आयोजित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्याँकन के लिए मूल्याँकन प्रणाली को अपने परिसर में केंद्रीकृत किया था। परीक्षा के आयोजन के बाद, कुलपति द्वारा समन्वयकों की एक टीम का चयन किया जाता है, जो मूल्याँकन प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए उप समन्वयकों से मिलकर अपनी पसंद के अनुसार दलों का चयन करता है। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्याँकन के लिए वरिष्ठता के आधार पर बनाई गई सूची में से शिक्षकों के एक दल का चयन किया जाता है।

लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्याँकन के लिए परीक्षकों को कोई मानक उत्तर कुंजी नहीं प्रदान की गई थी। परिणामस्वरूप, मूल्याँकनकर्ताओं के अनुभव के आधार पर मूल्याँकन किया गया जो मूल्याँकन प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता के तत्व को शामिल करता है।

3.8.2 उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन

एक परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्याँकन उन छात्रों के अनुरोधों को संदर्भित करता है जो अपने उत्तरों का मूल्याँकन नए सिरे से करने हेतु माँग करते हैं कि उन्होंने जो परिणाम प्राप्त किया है वह उनकी अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। विश्वविद्यालय अपने नियमों के अनुसार इस तरह के पुनर्मूल्याँकन की अनुमति देते हैं।

नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों में परीक्षा के मूल्यांकन की शुद्धता का आकलन करने के लिए वर्ष 2014–19 की अवधि में अंकों में परिवर्तन हेतु पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदनों का औसत प्रतिशत एक सूचक ***(परिशिष्ट 1.2 के क्रम संख्या 12)*** के रूप में उपयोग किया गया। यह संकेतक उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में, जो छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका देखना चाहते हैं, उन्हें सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक आवेदन करना होता है और शैक्षणिक वर्ष 2017–18 से उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्याँकन के लिए प्रति पेपर ₹ 3,000 का भुगतान करना था। तथापि, यह शुल्क स्नातक पाठ्यक्रमों के औसत नियमित शुल्क (₹ 2,365) से अधिक था। उच्च शुल्क संभावित रूप से छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्याँकन की माँग करने से हतोत्साहित करता है। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में वर्ष 2017–20 की अवधि में पुनर्मूल्याँकन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या **तालिका 3.11** में दी गई है।

तालिका 3.11: उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्याँकन की स्थिति

विश्वविद्यालय का नाम	कार्यक्रम का प्रकार	परीक्षा के लिये उपस्थित छात्रों की संख्या	पुनर्मूल्याँकन के लिये आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या	पुनर्मूल्याँकन के बाद छात्रों के अंको में बढोत्तरी (प्रतिशत)
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	**स्नातक**	18,568	34	29 (85)
	स्नातकोत्तर	15,815	16	16 (100)
योग		34,383	50	45 (90)

(स्रोत: महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ)

यह पाया गया कि पुनर्मूल्यांकन हेतु अनुरोधों की संख्या बहुत कम थी और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले 90 प्रतिशत छात्रों के अंक पुनर्मूल्यांकन के बाद बढ़ा दिए गए थे।

वर्ष 1998–99 में बैक पेपर सुविधाओं की शुरुआत के बाद से लखनऊ विश्वविद्यालय ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा को वापस ले लिया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि सभी विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में मूल्याँकन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं (अगस्त 2021)।

3.8.3 सुधार परीक्षा

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों ने छात्रों को सुधार परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी। ऐसी परीक्षाओं के परिणाम का आंकलन करने के लिए वर्ष 2017–20 की अवधि में जिन प्रश्नपत्रों में अंकों में वृद्धि हुई, उनका प्रतिशत, संकेतक के रूप में पहचाना गया ***(परिशिष्ट–1.2 का क्रमांक 13)***। परिणामों की स्थिति **तालिका 3.12** में दी गई है।

तालिका 3.12: सुधार परीक्षा की स्थिति

विश्वविद्यालय का नाम	कार्यक्रम का प्रकार	मुख्य परीक्षा में बैठने वाले छात्रो की संख्या	सुधार परीक्षा के लिये आवेदन करने वाले छात्रो की संख्या	उन प्रश्नपत्रों की संख्या जिनमें छात्र वास्तव में उपस्थित हुये	प्रश्नपत्रों की संख्या जिनमें सुधार परीक्षा में अंक बढे (*प्रतिशत*)
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	स्नातक	18,568	1,032	1,374	1,073 (78)
	स्नातकोत्तर	15,815	626	531	392 (73)
योग		**34,383**	**1,658**	**1,905**	**1,465 (77)**
लखनऊ विश्वविद्यालय	स्नातक	6,244	2,162	अनुपलब्ध	2,162 (100)[22]
	स्नातकोत्तर	6,424	621	अनुपलब्ध	621 (100)
योग		**12,668**	**2,783**	अनुपलब्ध	**2,783 (100)**

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

उपरोक्त **तालिका 3.12** से देखा जा सकता है कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ की सुधार परीक्षाओं में औसतन 77 प्रतिशत प्रश्नपत्रों में अंक बढ़े। इसके अलावा, लखनऊ विश्वविद्यालय में सुधार परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले सभी छात्रों के अंक बढ़े थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में सुधार परीक्षा के परिणाम महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ की तुलना में बेहतर थे। हालांकि, सुधार परीक्षाओं का लागू किया जाना छात्रों के लिए लाभदायक साबित हुआ।

3.8.4 बैक पेपर परीक्षा

लेखापरीक्षा में पाया कि दोनों नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों ने असफल छात्रों को बैक पेपर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी। बैक पेपर परीक्षा के परिणामों का आकलन करने के लिए वर्ष 2017–20 में अंक बढ़ने वाले प्रश्नपत्रों के प्रतिशत को एक संकेतक के रूप में पहचाना गया था ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रमांक 14)***। बैक पेपर के परिणामों की स्थिति **तालिका 3.13** में दी गई है।

[22] सुधार परीक्षा के लिये आवेदन करने वाले छात्रो की संख्या के सम्बंध में आकड़ों के अभाव में लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सुधार के लिये आवेदन किये गये प्रश्नपत्रो की संख्या के साथ प्रतिशत की गणना की गयी है।

तालिका 3.13: बैक पेपर परीक्षा की स्थिति

विश्वविद्यालय	कार्यक्रम का प्रकार	मुख्य परीक्षा में बैठने वाले छात्रो की संख्या	बैक पेपर परीक्षा के लिये आवेदन करने वाले छात्रो की संख्या	उन प्रश्नपत्रों की संख्या जिनमें छात्र वास्तव में उपस्थित हुये	प्रश्नपत्रों की संख्या जिसमें बैक पेपर परीक्षा में अंक बढे
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	स्नातक	18,568	561	1,884	437 (23)
	स्नातकोत्तर	15,815	826	1,274	603 (47)
योग		**34,383**	**1,387**	**3,158**	**1,040 (33)**
लखनऊ विश्वविद्यालय	स्नातक	6,244	694	अनुपलब्ध	143[23] (21)
	स्नातकोत्तर	6,424	1,649	अनुपलब्ध	1,434 (87)
योग		**12,668**	**2,343**	अनुपलब्ध	**1,577 (67)**

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

तालिका 3.13 से यह देखा जा सकता है कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में औसतन 33 प्रतिशत और लखनऊ विश्वविद्यालय में 67 प्रतिशत अंक बैक पेपर के परिणामस्वरूप बढ़े थे। इस प्रकार, बैक पेपर परीक्षा छात्रों के लिए लाभदायक साबित हुई, हालांकि, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में इसका परिणाम उत्साहजनक नहीं था।

3.9 अनुसंधान के माध्यम से नए ज्ञान का सृजन करके समाज का बेहतरीकरण।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जारी उच्च शिक्षा के समावेशी और गुणात्मक विस्तार पर रिपोर्ट के पैराग्राफ 7.1 में सिफारिश की गई है कि महाविद्यालयों में शोध क्षमताओं को सचेत रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तर 7.1.19 (ए) में यह भी कहा गया है कि कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के सहयोग से बहु–विषयक मिशन मोड अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए जो सभी स्तरों पर समाज को सीधे लाभान्वित करें और आर्थिक विकास में योगदान दें। अग्रेतर, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली के प्रस्तर 3.1 में निहित है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को उचित नीतियों और प्रथाओं को विकसित करके, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराकर और अनुसंधान में शिक्षकों और छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करके अनुसंधान को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए।

रिसर्च इनपुट्स, गतिविधियों और अनुसंधान परिणामों से संबंधित पहलुओं पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णन किया गया है।

3.9.1 अनुसंधान इनपुट

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जारी उच्च शिक्षा के समावेशी और गुणात्मक विस्तार पर रिपोर्ट के प्रस्तर 7.1 और 7.1.19 (ए) में निहित है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान गतिविधियों के लिए पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता और इस हेतु उपक्रम/योजनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने वार्षिक बजट का एक निश्चित अनुपात अनुसंधान और नवाचार के लिए चिह्नित बजट के रूप में आवंटित करना चाहिए।

इस संदर्भ में, वर्ष 2014–20 की अवधि में सरकारी और गैर–सरकारी स्रोतों से अनुसंधान गतिविधियों के लिए महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राप्त अनुदान और उसके उपयोग की स्थिति नीचे **तालिका 3.14** में दी गई है:

[23] यह आँकड़ा सिर्फ दो साल (2018–19 और 2019–20) के लिये है।

तालिका 3.14: अनुसंधान गतिविधियों के लिए अनुदान की प्राप्ति और उपयोग

(₹ लाख में)

नाम	स्वीकृत अनुदान	प्राप्त अनुदान			उपयोग किये गये अनुदान			शुरू की गयी अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण की गयी अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या
		सरकारी स्रोत से	गैर सरकारी स्रोत से	योग	सरकारी स्रोत से (प्रतिशत)	गैर सरकारी स्रोत से (प्रतिशत)	कुल अनुदान (प्रतिशत)		
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	43.51	31.76	0	31.76	27.91 (88)	0	27.91 (88)	7	4
लखनऊ विश्वविद्यालय[24]	691.20	596.16	0	596.16	533.95 (90)	0	533.95 (90)	45	35

(स्रोतः सम्बंधित विश्वविद्यालय)

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में अनुसंधान गतिविधियाँ बहुत सीमित थीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत ₹ 43.51 लाख में से, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने सात परियोजनाओं पर शोध कार्य के लिए ₹ 31.76 लाख का अनुदान प्राप्त किया। इसमें से ₹ 27.91 लाख (88 प्रतिशत) का उपयोग वर्ष 2014–20 की अवधि में किया गया था। सात परियोजनाओं में से चार परियोजनाओं को 377 दिनों से 1,463 दिनों के विलम्ब से पूर्ण किया गया। शेष तीन परियोजनाएं चल रही थीं, जबकि, यह परियोजनाएं भी अपने पूर्ण किये जाने की अवधि से विलम्बित थीं।

लखनऊ विश्वविद्यालय में, 45 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए ₹ 6.91 करोड़ के स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष नमूना जाँच किए गए नौ विभागों को ₹ 5.96 करोड़ जारी किए गए थे जिसमें से वर्ष 2014–20 की अवधि में ₹ 5.34 करोड़ (90 प्रतिशत) का व्यय किया गया था ***(परिशिष्ट 3.4)***। लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 35 में से 25 परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया गया था। 10 परियोजनाओं को 60 और 1160 दिनों के विलम्ब से पूर्ण किया गया था। अग्रेतर, छह परियोजनाएं परिपक्वता तिथि से पूर्व ही बंद कर दी गईं थीं ***(परिशिष्ट 3.5)***।

वर्ष 2014–20 की अवधि में नमूना–जाँच किए गए महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को अनुसंधान परियोजनाओं हेतु अनुदान प्रदान नहीं किया गया था।

शासन ने बताया कि (जुलाई 2022) कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा एक अनुसंधान और विकास योजना लागू की गयी है। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने बताया कि कोविड–19 के कारण दो परियोजनाओं में विलम्ब हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी कुछ विलम्ब का कारण महामारी को बताया।

3.9.2 अनुसंधान के परिणाम

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अनुसार[25] गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के परिणाम अनुशासन, समाज, उद्योग, क्षेत्र और राष्ट्र के लिए हितकारी है। उच्च शिक्षा संस्थानों के अनुसंधान परिणामों में शोध पत्र और प्रकाशन, प्रदान किए गए पेटेंट, प्रदत्त वाह्य परामर्श इत्यादि शामिल हैं। लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए इन परिणामों का आकलन किया गया, जिसके निष्कर्ष निम्नवत वर्णित हैं:

[24] नमूना जाँच किये गये विभागः 1. अंग्रेजी एवं आधुनिक पाश्चात्य भाषाये 2. अर्थशास्त्र 3. दर्शनशास्त्र 4. प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व 5. संस्कृत 6. वाणिज्य 7. व्यवहारिक अर्थशास्त्र 8. भौतिक विज्ञान 9. रसायन विज्ञान 10. वनस्पति विज्ञान

[25] प्रस्तर 3.4

3.9.2.1 पेटेंट, परामर्श और अनुसंधान करने वाले शोधकर्ता

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, संस्थान के प्रमाणन की अवधि में किसी संस्थान को प्रकाशित/प्रदान किये गए पेटेंट्स की संख्या, संकाय की परामर्श परियोजनाओं आदि पर विचार करता है। नमूना जाँच की गई संस्थाओं के प्रभावी अनुसंधान करने में निष्पादन का आकलन करने के लिए वर्ष 2014–20 की अवधि में संस्था को दिए गए पेटेंट्स की संख्या को लेखापरीक्षा में संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया गया ***(परिशिष्ट–1.2 का क्रमांक 15)***।

वर्ष 2014–20 की अवधि में नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालय में दिए गए पेटेंट्स की संख्या, परामर्श से प्राप्त राजस्व, और नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालय में शोध करने वाले शोधकर्ताओं की संख्या का विवरण नीचे **तालिका 3.15** में दिया गया है:

तालिका 3.15: प्रदान किए गए पेटेंट्स की संख्या/परामर्श से प्राप्त राजस्व

विश्वविद्यालय का नाम	अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या		सम्मानित किये गये पेटेन्टों की संख्या	अनुसंधान परियोजनाओं के लिये नामांकित जे0आर0एफ0, एस0आर0एफ0, पोस्ट डाक्टोरल फेलों की संख्या	विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी परामर्शों की संख्या	विश्वविद्यालय में परामर्श से प्राप्त राजस्व की राशि
	आरम्भ परियोजना की संख्या	पूर्ण (प्रतिशत)				
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	7	4 (51)	0	6	0	0
लखनऊ विश्वविद्यालय[26]	45	35 (78)	0	33[27]	0	0

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय)

उपरोक्त **तालिका 3.15** से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2014–2020 की अवधि में पेटेंट, पुरस्कार और परामर्श से प्राप्त राजस्व के क्षेत्र में, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रदर्शन नगण्य था। अग्रेतर, विश्वविद्यालयों ने संस्थान और व्यक्तियों के बीच परामर्श प्रदान करने और राजस्व सहभागिता के लिए नीति नहीं बनायीं थी।

3.9.2.2 उच्च शिक्षण संस्थानों में किये जा रहे अनुसंधान में शिक्षकों का योगदान

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का रणनीतिक ढांचा शिक्षण और अनुसंधान के बीच तालमेल बनाकर दोनों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता लाने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद किसी संस्थान के प्रत्यायन की अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रति शिक्षक शोध पत्रों की संख्या और प्रति शिक्षक प्रकाशित पुस्तकों और अध्यायों की संख्या पर विचार करता है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने में अनुसंधान में शिक्षकों के योगदान के महत्व को रेखांकित करता है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण निम्नवत है:

- ***प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या***

अनुसंधान करने में संस्थान के संकाय के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, वर्ष 2014–20 की अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित पत्रिकाओं में प्रति शिक्षक शोध

[26] केवल नमूना जाँच किये विभागों के आंकड़े

[27] नमूना जाँच किये गये नौ विभागों के आंकड़े (व्यवहारिक अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व, दर्शनशास्त्र, भौतिक विज्ञान एवं संस्कृत) मात्र।

पत्रों की संख्या को संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया गया था ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रमांक 16)***। यह संकेतक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्याँकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में, एक शोध पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था लेकिन कोई भी पुस्तक और अध्याय संपादित संस्करणों/पुस्तकों में प्रकाशित नहीं हुए थे और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही में कोई शोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

वर्ष 2014–20 की अवधि में लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किए गए 10 विभागों में से नौ[28] में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित पत्रिकाओं में 1,311 प्रकाशन और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में संपादित संस्करणों/पत्रों में 254 पुस्तकें/अध्याय प्रकाशित किए गए थे। वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में नमूना जाँच किए गए छह महाविद्यालयों में से एक (जगतपुर पीजी महाविद्यालय वाराणसी) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित पत्रिकाओं में 34 शोध पत्र प्रकाशित किए गए थे।

लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किये गए एक अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ) में कोई शोध पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था। जबकि, एक अन्य नमूना जाँच किये गए अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय (करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित पत्रिकाओं में 03 शोध पत्र प्रकाशित किए गए थे। इसके अलावा, महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2019–20 में 12 पुस्तकें भी प्रकाशित की गईं थीं । इन शोधों पर होने वाला व्यय शिक्षकों द्वारा स्वयं वहन किया गया था। इसी प्रकार नमूना जाँच किये गये महाराजा बिजली पासी राजकीय महाविद्यालय आशियाना, लखनऊ ने वर्ष 2019–20 में चार शोध पत्र एवं सात पुस्तकें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित कीं। महामाया राजकीय महाविद्यालय, महोना लखनऊ में वर्ष 2014–19 की अवधि में 22 शिक्षकों द्वारा 39 पत्र तथा नौ शिक्षकों द्वारा पुस्तकों में 15 अध्याय का प्रकाशन किया गया।

- ***अंतर्राष्ट्रीय फैलोशिप से सम्मानित शिक्षकों की संख्या***

नमूना जाँच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा शिक्षकों को अनुसंधान करने के लिए दिए गए प्रोत्साहन और उनके अनुभव का आकलन करने के लिए वर्ष 2014–20 की अवधि में उन्नत अध्ययन/अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित शिक्षकों की संख्या को संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया गया था ***(परिशिष्ट–1.2 का क्रमांक 17)***। यह संकेतक उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के नमूना–जाँच किए गए महाविद्यालयों में उन्नत अध्ययन/अनुसंधान के लिए किसी भी पूर्णकालिक शिक्षक को अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित नहीं किया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय में नमूना जाँच किए गए 10 विभागों में से दो विभागों (व्यावहारिक अर्थशास्त्र और अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपीय भाषा विभाग) में केवल तीन संकाय (दो प्रतिशत) को उन्नत अध्ययन/अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया गया था।

[28] 1. अंग्रेजी एवं आधुनिक पाश्चात्य भाषाये 2. अर्थशास्त्र 3. दर्शनशास्त्र 4. प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व 5. संस्कृत 6. भौतिक विज्ञान 7. रसायन विज्ञान 8. वनस्पति विज्ञान 9. व्यवहारिक अर्थशास्त्र

चूँकि, नमूना–जाँच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों के बहुत ही कम शिक्षकों को उन्नत अध्ययन/अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय फैलोशिप से सम्मानित किया गया था, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये उच्च शिक्षण संस्थान या तो अपने संकाय को अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने में पर्याप्त प्रयास करने में विफल रहे या संकाय स्वतःस्फूर्त प्रेरित नहीं थे।

3.9.3 सहयोगात्मक एवं विस्तार गतिविधियाँ

3.9.3.1 सहयोगात्मक गतिविधियाँः उद्योग–शिक्षा संबंध

शिक्षा एवं उद्योग के मध्य एक सहजीवी सम्बन्ध होता है। शिक्षा से स्नातक तैयार होते हैं जिन्हें उद्योग जगत द्वारा समाहित कर लिया जाता है। उद्योग जगत द्वारा विश्वविद्यालयों के अनुसंधान कार्यों का आधार लेकर उन्हें उत्पाद एवं सेवाओं में परिवर्तित किया जाता है। दूसरी ओर, उद्योग जगत शिक्षा की तरफ अपनी समस्याओं के समाधान के लिये उन्मुख होते हैं। उद्योग जगत की आवश्यकता हेतु, ऐसे स्नातकों को तैयार करने के लिये विश्वविद्यालयों को अपने/कार्यक्रमों को तैयार करने की आवश्यकता होगी जिनका कौशल सेट उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। उद्योग–शिक्षा जुड़ाव शैक्षणिक संस्थानों एवं उद्योगों के मध्य पारस्परिकता एवं ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने के विचार को आगे बढ़ाता है। उद्योगों को परामर्श प्रदान करने में विश्वविद्यालय के संकाय में उपलब्ध विशेषज्ञों की भागीदारी तथा उनकी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को सहायता प्रदान करना तथा दूसरी तरफ उद्योगों द्वारा छात्रों के प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में विश्वविद्यालयों की मदद करना और उनके कौशल विकास एवं रोजगार क्षमता के प्रकरण मुख्य[29] हैं।

अग्रेतर, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली के प्रस्तर संख्या 3.7 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान सहयोग द्वारा कार्य–क्षेत्र के साथ नजदीकी संपर्क रख सकते हैं। यह उच्च शिक्षण संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियों को और ज्यादा यथार्थवादी दृष्टिकोण रखने में सहायक सिद्ध होता है तथा विद्यार्थियों के अध्ययन अनुभवों के क्षेत्र को विस्तृत भी करता है।

नमूना जाँच में चयनित विश्वविद्यालयों की सहयोगात्मक गतिविधियों में उनकी प्रदर्शन का निर्धारण करने के अनुक्रम में मुख्य संकेतक ''उद्योग–शिक्षा संबंध का विस्तार'' ***(परिशिष्ट 1.1 का क्रम सं0 8)*** का मूल्यांकन वर्ष 2014–19 की अवधि में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, अन्य विश्वविद्यालयों, उद्योगों के साथ किये गये समझौता ज्ञापनों के आधार पर किया गया।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं इनके नमूना जाँच में चयनित 10 महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2014–20 की अवधि में किसी भी उद्योग के साथ कोई समझौता ज्ञापन नहीं किया गया था। इस प्रकार, नौकरी प्रदान करने वालों के साथ संपर्क का पूर्णतया अभाव था जो कि प्लेसमेंट को प्रभावित कर रहा था जैसा कि आगे प्रस्तरों में बताया गया है।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने अवगत कराया कि (जुलाई 2022) विभिन्न उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों, एवं अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ विश्वविद्यालय द्वारा 62 समझौता ज्ञापन किये गये हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय का उत्तर इसके द्वारा पूर्व में दिये गये (दिसम्बर 2020) उत्तर का विरोधाभासी है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा उद्योगों के सहयोग से किसी भी एक्सटेंशन तथा आउटरीच कार्यक्रमों के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया था। अग्रेतर, निष्पादित

[29] विश्वविद्यालय–उद्योग के अंतर्सम्बद्ध केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दिशानिर्देश।

किये गये समझौता ज्ञापनों का विवरण लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे लेखापरीक्षा में इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कब और किस विभाग द्वारा 62 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये गये थे।

3.9.3.2 उद्योग, समुदाय आदि के सहयोग से विस्तार गतिविधियाँ (एक्सटेंशन एक्टिविटीज) तथा छात्रों की सहभागिता

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली के प्रस्तर संख्या 3.6 के अनुसार अध्ययन गतिविधियों में सामुदायिक विषयों, लैंगिक असमानता, सामाजिक असमानता इत्यादि के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने और समाज के प्रति मूल्यों और प्रतिबद्धता को विकसित करने के लिये एक दृश्य तत्व (विजिबल एलीमेंट) है। संस्था की गतिविधियों में रूचि रखने वाले समूहों या व्यक्तियों के साथ संबंध और अंतःक्रिया एवं संगठन के कार्यों, निर्णयों, नीतियों, प्रथाओं या लक्ष्यों को प्रभावित करने की क्षमता से दोनों पक्षों को पारस्परिक लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार की गतिविधियों में निहित प्रक्रियाएं और रणनीतियाँ विद्यार्थियों को सामाजिक विषयों एवं संदर्भों के प्रति प्रासंगिक रूप से संवेदनशील बनाती हैं।

नमूना जाँच में चयनित विश्वविद्यालयों द्वारा उद्योग, समुदाय तथा गैर–सरकारी संस्थाओं (एनसीसी/एनएसएस/रेड क्रास आदि) के सहयोग से एक्सटेंशन तथा आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजनों को प्रोत्साहित किये जाने में किये गये प्रयासों का आकलन करने के क्रम में मुख्य संकेतक ''सहयोगात्मक वातावरण में किस सीमा तक उद्योग से संपर्क किया गया या प्रायोजक एवं धनराशि उपलब्ध कराया गया है'' ***(परिशिष्ट 1.1 का क्रम सं0 9)*** का वर्ष 2014–20 की अवधि में इन विस्तार गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता का औसत प्रतिशत के आधार पर मूल्याँकन किया जाना था ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रम सं0 18)***। यह संकेतक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्याँकन और प्रमाणन प्रक्रिया के लिये भी एक मुख्य संकेतक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच में चयनित दोनों विश्वविद्यालयों एवं महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के नमूना जाँच में चयनित महाविद्यालयों द्वारा वर्ष 2014–20 की अवधि में उद्योगों/समुदायों आदि के सहयोग से कोई विस्तार गतिविधियां नहीं की गयी थी।

लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच में चयनित चार कालेजों में से एक (करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ) द्वारा वर्ष 2018 एवं 2019 में एक्सटेंशन तथा आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रकार, नमूना जाँच में चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा उद्योग, समुदाय एवं गैर–सरकारी संस्थाओं के सहयोग से एक्सटेंशन तथा आउटरीच कार्यक्रम को प्रोत्साहित नहीं किया गया।

3.9.3.3 अनुसंधान हेतु अनुसंधान नीति एवं अनुश्रवण तंत्र की कमी

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली के प्रस्तर संख्या 3.1 के अनुसार अनुसंधान को प्रोत्साहन देना उच्च शिक्षण संस्थानों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, विशेषकर विश्वविद्यालयों के लिये जिसके बिना कैंपस में अनुसंधान संस्कृति नहीं पनप सकती है। उच्च शिक्षण संस्थानों को इसके लिये उपयुक्त नीतियों एवं प्रथाओं को विकसित करने, पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराने, अनुसंधान में शिक्षकों एवं स्कालर्स की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के साथ ही साथ अनुसंधान के माध्यम से शिक्षकों की किसी भी उपलब्धि को चिन्हित करते हुये, सक्रिय रूप से भागीदारी करनी होगी। इसमें सरकार एवं/या अन्य एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध कराये गये सहयोग एवं संसाधनों के उपयोग में संस्थानों में उत्तरदायित्व एवं प्रशासनिक सहयोग (प्रक्रियात्मक लचीलापन) भी समाहित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के पास उद्योगों/अध्ययनों के विभिन्न क्षेत्रों तथा उनके शैक्षणिक विभागों में अनुसंधान हेतु प्रयास एवं विकास के लिये मार्च 2022 तक स्वयं की कोई नीति नहीं थी। वर्षवार प्रस्तावित अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या, उनकी स्वीकृति, स्वीकृत धनराशि, प्रायोजित करने वाली एजेन्सी, व्यय का विवरण इत्यादि से संबंधित केन्द्रीकृत आंकड़ों का रखरखाव लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया गया था। प्राप्त धनराशि, किया गया व्यय तथा अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति की सूचना केवल संबंधित मुख्य अन्वेषकों (प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स) के पास उपलब्ध थी।

शासन ने बताया कि (जुलाई 2022) उसके पास वर्ष 2021 में अनुसंधान नीति थी।

3.10 रोजगार एवं उच्च अध्ययन के लिए छात्रों का प्रगमन

रोजगार क्षमता में वृद्धि और उच्च अध्ययन में प्रगमन, जिसे छात्र उच्च शिक्षा से उम्मीद करते हैं, को सबसे महत्वपूर्ण परिणामों के रूप में पहचाना गया है। इन परिणामों की उपलब्धि सीधे तौर पर कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता के अलावा, विशेष रूप से करियर काउंसलिंग सेल, प्लेसमेंट सेल, पुरातन छात्र संघों की उपलब्धता और स्नातक छात्रों से सम्बन्धित सूचनाओं का उचित रखरखाव शामिल है। स्नातक करने वाले छात्रों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए इस तरह के सुविधाजनक तंत्र का अस्तित्व और प्रभावी कामकाज आवश्यक है। जॉब प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट में सहायता करने वाले कारक और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दर के बारे में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है।

3.10.1 नियुक्ति प्रकोष्ठ, रोजगार परामर्श प्रकोष्ठ और पुरातन छात्र संघ

3.10.1.1 नियुक्ति प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार[30] सरकारी महाविद्यालयों को अपने परिसर के माध्यम से छात्रों के प्लेसमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक नियुक्ति प्रकोष्ठ का गठन करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वर्ष 2016–17 से विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन ब्यूरो के माध्यम से कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन कर रहा था और इसने वर्ष 2018–19 में एक **नियुक्ति प्रकोष्ठ** खोला। लखनऊ विश्वविद्यालय में, मार्च 2017 में सेंट्रल काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल (सीपीसी) का गठन किया गया था। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय ने वर्ष 2016–20 की अवधि में आयोजित किए गए रोजगार मेले और प्लेसमेंट के लिए आँकड़े उपलब्ध कराये, जिसे **तालिका 3.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.16: महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले

विवरण	आयोजित रोजगार मेलों की संख्या				
	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	कुल
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ					
आयोजित रोजगार मेलों की संख्या	6	5	17	14	42
चयनित छात्र	200	78	301	202	781
मध्यम वेतन (औसत वार्षिक वेतन लाख में)	1.8	2.25	2.4	2.25	

[30] ग्यारहवीं योजना के दौरान केंद्रीय, डीम्ड और राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली का प्रस्तर 5.2, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश ।

लखनऊ विश्वविद्यालय					
आयोजित रोजगार मेलों की संख्या	1	6	3	3	13
चयनित छात्र	672	1,020	720	280	2,692
मध्यम वेतन (औसत वार्षिक वेतन लाख में)	3.50	3.50	3.50	4.70	

(स्रोत : महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 2016–20 की अवधि में आयोजित इन रोजगार मेलों में क्रमशः 781 और 2,692 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ था।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के छह नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में से, जगतपुर पीजी कॉलेज और सकलडीहा पीजी कॉलेज में वर्ष 2017–18 में **नियुक्ति प्रकोष्ठ** बनाए गए थे और जगतपुर पीजी कॉलेज ने वर्ष 2017–18 में आयोजित रोजगार मेले में नौ छात्रों का **प्लेसमेंट** हुआ था।

लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किये गये दो **शासकीय** महाविद्यालयों[31] में भी प्लेसमेंट सेल का गठन नहीं किया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किए गए दो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में **नियुक्ति प्रकोष्ठ** का गठन किया गया था। करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ द्वारा 2017–20 की अवधि में तीन रोजगार मेलों का आयोजन किया गया और 46 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ। नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित दो रोजगार मेलों में वर्ष 2014–16 की अवधि में तीन छात्रों का प्लेसमेंट हुआ।

इस प्रकार, नमूना–जाँच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में **नियुक्ति प्रकोष्ठ** खोलना एक नई **घटना** है और **नियुक्ति प्रकोष्ठ** के माध्यम से **प्राप्त रोजगार की संख्या** इस बात की पुष्टि करते हैं कि विशेष रूप से शासकीय महाविद्यालयों में कैंपस के माध्यम से प्लेसमेंट **की संस्कृति नहीं थी**।

3.10.1.2 रोजगार परामर्श प्रकोष्ठ

रोजगार परामर्श प्रकोष्ठ प्रतियोगी परीक्षा, रोजगार परक प्रशिक्षण आदि को दृढ़ता से प्राप्त करने के लिए **सॉफ्ट स्किल्स** और संचार क्षमता के विकास में छात्रों की सहायता करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिशानिर्देशों में[32] विविध सामाजिक–आर्थिक मुद्दों, विश्वविद्यालयों में आने वाले **विषम आबादी के छात्रों की** भौगोलिक पृष्ठभूमि के साथ–साथ उपयुक्त संस्थागत समर्थन जानकारी की उपलब्धता के माध्यम से पहुँच और प्लेसमेंट के अवसरों की समानता को संबोधित करने में अच्छी तरह से काम करने वाले रोजगार और परामर्श प्रकोष्ठ के महत्व को रेखांकित किया है । लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में, कोई **रोजगार परामर्श प्रकोष्ठ** नहीं बनाया गया था। जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया है, करियर परामर्श का कार्य विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो द्वारा किया जा रहा था। तथापि, लेखापरीक्षा को ऐसी **रोजगार** परामर्श के लिए अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके अतिरिक्त, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के छः नमूना जाँच किये गये महाविद्यालयों में भी **रोजगार परामर्श प्रकोष्ठ** स्थापित नहीं किया गया था।

लखनऊ विश्वविद्यालय में, परामर्श और **नियुक्ति प्रकोष्ठ** का गठन मार्च, 2017 में अपने छात्रों को सफल और बेहतर प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने और उनकी क्षमता और क्षमताओं का निर्माण करने

[31] महाराजा बिजली पासी राजकीय पीजी कॉलेज,आशियाना, लखनऊ और महामाया राजकीय डिग्री कॉलेज, लखनऊ।
[32] ग्यारहवीं योजना के दौरान केंद्रीय, डीम्ड और राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश।

के लिए किया गया था। विश्वविद्यालय ने कहा कि वर्ष 2017–20 की अवधि में 17,081 छात्रों को रोजगार परामर्श प्रदान की गई। तथापि, लेखापरीक्षा के अनुरोध के बावजूद परामर्श और **नियुक्ति प्रकोष्ठ** के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए जिसके कारण इसके उद्देश्यों की उपलब्धि का सत्यापन नहीं किया जा सका।

लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किये गये **शासकीय** महाविद्यालयों में **रोजगार परामर्श प्रकोष्ठ** स्थापित नहीं किया गया था। जैसा कि महाविद्यालयों ने बताया कि, शिक्षकों द्वारा कक्षाओं में ही काउंसलिंग की जाती थी। तथापि, दो नमूना जाँच किये गये अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में इसका गठन किया गया था और परामर्श दिया गया था। इस प्रकार, रोजगार परामर्श को ठीक ढंग से **संस्थागत** नहीं किया गया था।

3.10.1.3 पुरातन छात्र संघ

एक सक्रिय पुरातन छात्र संघ में, शैक्षणिक मामलों, छात्र सहायता के साथ–साथ वित्तीय और गैर–वित्तीय साधनों[33] के माध्यम से संसाधनों को जुटाने में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में पुरातन छात्र संघ का पंजीकरण (दिसंबर 2010) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पुरातन छात्र समिति के नाम से किया गया था। जैसा कि बताया गया, संघ ने वर्ष 2014–20 की अवधि में प्रत्येक वर्ष वार्षिक केंद्रीय पूर्व छात्र बैठक का आयोजन किया। हालाँकि, पुरातन छात्र समिति द्वारा विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

लखनऊ विश्वविद्यालय में पुरातन छात्र संघ का शासी निकाय जनवरी 2018 में ही गठित किया गया था। शासी निकाय की स्थापना के बाद से नौ बैठकें हुई थीं। वर्ष 2017–20 की अवधि में ₹ 7.55 लाख का सदस्यता शुल्क प्राप्त हुआ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किये गये शासकीय महाविद्यालयों (महाराजा बिजली पासी राजकीय पीजी कॉलेज, लखनऊ) में पुरातन छात्र संघ की स्थापना वर्ष 2017–18 में की गई थी और इसकी बैठकें वर्ष 2017–18 और वर्ष 2018–19 की अवधि में हुई थीं लेकिन वर्ष 2019–20 में कोई बैठक नहीं हुई थी। महामाया राजकीय महाविद्यालय, महोना, लखनऊ में पुरातन छात्र संघ का गठन नहीं हुआ था।

करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ में पुरातन छात्र संघ पंजीकृत नहीं था। कालेज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार इसकी दो बैठकें वर्ष 2019–20 की अवधि में हुई थीं। नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ में पुरातन छात्र संघ का गठन किया गया था लेकिन वर्ष 2014–20 की अवधि में कोई बैठक नहीं हुई थी।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के छह नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में से दो (जगतपुर पीजी कॉलेज, वाराणसी और श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज, वाराणसी) में पुरातन छात्र संघ स्थापित किए गए थे, जिनकी वर्ष 2014–20 की अवधि में क्रमशः छः और नौ बैठकें हुई थीं।

इस प्रकार, छात्रों के **नेटवर्क** को रोजगार के बाजार में विस्तारित करने में पुरातन छात्र संघों की बहुत सीमित भूमिका थी। लेखापरीक्षा में **संघ** के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाली कोई गतिविधि नहीं देखी गई।

[33] राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली

3.10.2 उच्च अध्ययन में प्रगति

रोजगार के साथ–साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट और पोस्ट–डॉक्टरेट अध्ययन इत्यादि के लिए उच्च अध्ययन में प्रगति करना एक ऐसा करियर विकल्प है जिसे चुनने की इच्छा छात्र करते हैं। नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों ने अपने छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए भेजने में कितना अच्छा प्रदर्शन किया, इसका आकलन करने के लिए वर्ष 2019–20 की अवधि में उच्च शिक्षा में प्रगति करने वाले छात्रों के प्रतिशत में वृद्धि का उपयोग मुख्य परिणाम संकेतक ***(परिशिष्ट 1.1 का क्रम संख्या 1)*** के रूप में किया गया है। यह उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्याँकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय और उनके नमूना जाँच किए गए महाविद्यालय, करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ को छोड़कर, विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के बाहर उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले या उसी विश्वविद्यालय (2014–20) में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों से सम्बन्धित सूचनाओं का रखरखाव नहीं किया गया था। करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ ने वर्ष 2014–18 की अवधि में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले 20 छात्रों का रिकॉर्ड रखा। सूचनाओं के अभाव में, लेखापरीक्षा इस संकेतक के संबंध में विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन पर टिप्पणी नहीं कर सका।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि रोजगार बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग और सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों जैसे नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर्स रेंज, करियर काउंसलिंग सेल, प्लेसमेंट सेल, नवप्रवर्तन प्रकोष्ठ, इत्यादि आयोजित करके रोजगारोन्मुखी शिक्षा को मजबूत किया गया है। तथापि, लेखापरीक्षा में उठाए गए विशिष्ट मुद्दों पर उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.10.3 प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करना

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं छात्र प्रगति के लिए अपार अवसर प्रदान करती हैं। स्नातक छात्रों को रोजगार के लिए अर्हता प्राप्त करने या उच्च अध्ययन में प्रगति के लिए कई प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में योग्यता उच्च शिक्षण संस्थानों के राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के मूल्याँकन और प्रमाणन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण मानदंड है।

ऐसी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए अपने छात्रों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करने के लिए एक संस्थान की क्षमता का आकलन करने के लिए, राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में वर्ष 2014–20 की अवधि में उत्तीर्ण छात्रों के औसत प्रतिशत का उपयोग लेखापरीक्षा में मुख्य परिणाम संकेतक के रूप में किया गया है ***(परिशिष्ट 1.1 का क्रमांक 2)***।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय की वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट वर्ष 2014–20 की अवधि में कुल स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी और अन्य छात्रों में से प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दर्शाती है। यह आँकड़ा **तालिका 3.17** में दिया गया है।

तालिका 3.17 सार्वजनिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या

वर्ष	सार्वजनिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या (यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, नेट, कैट, गेट आदि)					
	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ			लखनऊ विश्वविद्यालय		
	नामाँकित छात्र	सफल छात्र	प्रतिशत	कुल छात्र	सफल छात्र	प्रतिशत
2014-15	8,577	17	0.20	19,272	65	0.34
2015-16	8,599	0	0.00	20,098	77	0.38
2016-17	8,170	0	0.00	20,908	97	0.46
2017-18	8,178	106	1.30	20,721	74	0.36
2018-19	8,881	80	0.90	16,522	125	0.76
2019-20	8,592	सूचना उपलब्ध नहीं	--	15,562[34]	547	3.51

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

उपरोक्त आंकड़े महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाता है जो वर्ष 2014–15 में 0.20 प्रतिशत, वर्ष 2017–18 में 1.30 प्रतिशत और वर्ष 2018–19 में घटकर 0.90 प्रतिशत हो गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के आंकड़ों में ज्यादातर वृद्धि का रुझान वर्ष 2014–15 में 0.34 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 3.51 प्रतिशत पाया गया।

लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किये गये महाविद्यालयों में नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ तथा महामाया राजकीय महाविद्यालय, महोना, लखनऊ ने राज्य/राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के आंकड़ों का रख–रखाव नहीं किया गया था। करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ ने प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण मात्र तीन छात्रों के आंकड़ों का रख–रखाव किया था। महाराजा बिजली पासी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, लखनऊ ने भी नेट और जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के आँकड़ों का रख–रखाव किया था।

इस प्रकार, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और उसके संघटक महाविद्यालयों ने गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के मामले में, प्रदर्शन में सुधार हो रहा था, लेकिन यह संतोषजनक नहीं था क्योंकि वर्ष 2014–19 की अवधि में प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रतिशत से भी कम छात्र उत्तीर्ण हुए और केवल वर्ष 2019–20 में 3.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3.10.4 विश्वविद्यालय परीक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन

राष्ट्रीय मूल्याँकन और प्रत्यायन परिषद और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ने अपने मूल्याँकन मानदंड में यह चिन्हित किया है कि एक उच्च शिक्षण संस्थान की प्रभावशीलता, छात्र केंद्रित कई पहलुओं के माध्यम से परिलक्षित होती है, जिसमें परीक्षाओं में छात्र का प्रदर्शन, छात्रों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत, उच्च डिवीजनों के साथ स्नातक करने वाले छात्रों का प्रतिशत आदि शामिल हैं।

इस संदर्भ में नमूना जाँच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्याँकन वर्ष 2019–20 की अवधि में छात्रों के औसत उत्तीर्ण प्रतिशत को संकेतक के रूप में परीक्षा परिणाम के आधार पर ***(परिशिष्ट 1.2 के क्रमांक 2)*** किया गया है। यह संकेतक उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्याँकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्याँकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक से लिया गया है।

[34] यह आँकड़ा विश्वविद्यालय के निदेशक, आई क्यू ए सी सेल द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों से सम्बन्धित है।

नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों के डिवीजन–वार परिणामों का भी विश्लेषण किया गया। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट के साथ–साथ उच्च अध्ययन के लिए नामाँकन आम तौर पर प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है जिसमें केवल उत्तीर्ण होना ही सफल होने के लिए पर्याप्त नहीं है।

नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों में वर्ष 2019–20 की अवधि में विज्ञान, कला और वाणिज्य वर्ग के स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों के औसत उत्तीर्ण प्रतिशत और श्रेणीवार परिणाम से संबंधित आँकड़े ***परिशिष्ट 3.6*** में विस्तृत और **तालिका 3.18** में संक्षेप में दर्शाये गये हैं।

तालिका 3.18 वर्ष 2019–20 की अवधि में छात्रों का प्रदर्शन

विवरण	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के नमूना परीक्षित महाविद्यालय	लखनऊ विश्वविद्यालय	लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना परीक्षित महाविद्यालय
	छात्रों की संख्या (प्रतिशत में)	छात्रों की संख्या (प्रतिशत में)	छात्रों की संख्या (प्रतिशत में)	छात्रों की संख्या (प्रतिशत में)
सम्मिलित छात्रों की संख्या	3,538	11,007	4,314	3,477
उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	3,176 (90)	10,750 (98)	3,140 (73)	3,121 (90)
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	1,364 (43)	2,272 (21)	1,525 (49)	319 (9)
द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	1,676 (53)	6,535 (61)	918 (29)	948 (40)[35]
तृतीय श्रेणी/बगैर श्रेणी के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	136 (4)	1,943 (18)	697 (22)	936 (39)

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय)

तालिका 3.18 से यह देखा जा सकता है कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में लगभग 90 प्रतिशत छात्र और लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग 73 प्रतिशत छात्र वर्ष 2019–20 की अवधि में परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में क्रमशः तैंतालिस प्रतिशत और उनचास प्रतिशत छात्र प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण हुए। महाविद्यालयों में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कम संख्या शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में महाविद्यालयों के कमजोर प्रदर्शन का द्योतक है। अग्रेतर, बिना श्रेणी के उत्तीर्ण होने वाले छात्र यह प्रदर्शित करते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाना आवश्यक है।

[35] महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ के आंकड़े को छोड़कर, क्योकि उनके पास पूर्ण आँकड़े नहीं थे।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को नियमित रूप से संशोधित/अद्यतन नहीं किया गया था, जिसके कारण रोजगारपरकता पर ध्यान केन्द्रित किया जाना सुनिश्चित नहीं किया जा सका। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की ओर प्रयास अपर्याप्त था इसके अतिरिक्त, छात्र–शिक्षक अनुपात बहुत अधिक था। नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों में परिणाम विलम्ब से घोषित किए गए थे। अनुसंधान परियोजनाओं में विलम्ब किया गया और उनके परिणामों के बिना उन्हें बीच में ही बंद कर दिया गया। कोई पेटेंट नहीं दिया गया और न ही कोई परामर्श दिया गया। कैंपस प्लेसमेंट सेल के माध्यम से प्लेसमेंट उत्साहजनक नहीं था, विशेषकर शासकीय महाविद्यालयों में।

अनुशंसा 4: पाठ्यक्रमों का समय से संशोधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा रोजगारपरकता पर केन्द्रित पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अनुशंसा 5: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों को शासकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात को बनाये रखना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अनुशंसा 6: व्यक्तिगत एवं संस्थागत उत्कृष्टता हेतु शिक्षकों के कार्य में सुधार एवं सतत विकास हेतु, राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों द्वारा नियमित रूप से प्रासंगिक व्यवसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शिक्षक इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें।

अनुशंसा 7: परीक्षा प्रणाली तथा परिणाम घोषणा में विलम्ब का गहन अनुश्रवण किया जाय।

अनुशंसा 8: परियोजनाओं के गहन अनुश्रवण से विश्वविद्यालयों/राज्य सरकार द्वारा अनुसंधान की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित की जाय।

अनुशंसा 9: राज्य सरकार/विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्लेसमेंट प्रकोष्ठ तथा आजीविका परामर्शी प्रकोष्ठ समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं में गठित हों।

अनुशंसा 10: उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा उच्च अध्ययन तथा छात्रों के नौकरी प्राप्त करने से सम्बन्धित आंकड़ों के एकत्रीकरण तथा अनुरक्षण की मजबूत प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

अध्याय–4

शासन और प्रबन्धन

अध्याय

4 शासन और प्रबन्धन

नेतृत्व और शासन उच्च शिक्षण संस्थानों के सभी पहलुओं को गहनतापूर्वक प्रभावित करते हैं। यद्यपि, सुशासन और प्रबन्धन, स्वयं में उच्च शिक्षा से प्राप्त होने वाले परिणाम नहीं हैं, लेकिन वे ऐसे परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी प्रयासों की प्रभावशीलता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (प्रस्तर 21.310) के अनुसार, अनुभवजन्य साक्ष्य इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि बेहतर ढंग से संचालित संस्थान अत्यधिक स्वायत्त हैं। अग्रेतर, इसमें कहा गया है कि वित्त, संगठनात्मक संरचना, संचालन और स्टाफिंग के क्षेत्रों में स्वायत्तता महत्वपूर्ण है, लेकिन मूल्याँकन और जवाबदेही की आँतरिक प्रणालियों के अनुरूप होना चाहिए।

शासन के विभिन्न तत्वों और तंत्रों के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में शासन और प्रबन्धन की स्थिति का आकलन करने के लिए और किस सीमा तक उन्हें चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्य बनाया गया था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 4: क्या उच्च शिक्षा प्रणाली का शासन और प्रबन्धन पर्याप्त, कुशल एवं प्रभावी था?

अध्याय का संक्षिप्त विवरण:

- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना (1995) की गयी, जिसमें मार्च 2017 से जनवरी 2020 की अवधि में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नहीं थे। इसके कार्यालय में 14 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 10 पद रिक्त थे। उच्च शिक्षा में विकास के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा पर्सपेक्टिव प्लान तैयार नहीं किया गया था।

- राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया था। इसके कारण, राज्य में सरकारी एवं निजी महाविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के गठन के सम्बन्ध में आँकड़ो का अनुश्रवण और रखरखाव के कार्य नहीं किये गये थे, जिसका असर राज्य में महाविद्यालयों की मान्यता पर पड़ा। राज्य में 7,038 उच्च शिक्षण संस्थानों में से केवल 183 को ही राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रदत्त ग्रेडिंग से मान्यता प्राप्त थी।

- शासी निकायों में बहुत से महत्वपूर्ण हितधारकों जैसे कार्यकारी परिषद, सभा, शैक्षणिक परिषद की सीट खाली थीं। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में महाविद्यालय विकास परिषद की स्थापना नहीं की गई थी हालाँकि, इसे लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था लेकिन, वांछित रूप में कार्य नहीं कर रहा था।

- मार्च 2020 तक, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में 341 सम्बद्ध महाविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय में 171 सम्बद्ध महाविद्यालय थे। इस प्रकार, दोनों विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अनुसार 100 महाविद्यालयों की वांछित सीमा से अधिक सम्बद्ध महाविद्यालय थे। लेखापरीक्षा ने महाविद्यालयों व मौजूदा महाविद्यालयों में नए पाठ्यक्रमों को सम्बद्धता देने में विभिन्न कमियां देखीं। विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों का आवधिक निरीक्षण नहीं किया जा रहा था।

- राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सहायता अनुदान 1,636 दिनों तक के विलम्ब से अवमुक्त किया था। नमूना–जाँच किए गए दोनों विश्वविद्यालय

आत्मनिर्भर नहीं थे, तथापि, सरकार के अनुदान पर विश्वविद्यालयों की निर्भरता कम हो रही थी।

- नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों में आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाई कार्य नहीं कर रही थी क्योंकि लेखापरीक्षकों का स्वीकृत पद रिक्त था।

4.1 परिचय

उच्च शिक्षा के परिणामों की उपलब्धि के प्रयासों की प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थान के शासन और प्रबन्धन की परिकल्पना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कारक योगदान करते हैं। महाविद्यालयों की सम्बद्धता, विश्वविद्यालयों पर सम्बद्धता का भार, स्वायत्तता के लिए दिया गया प्रोत्साहन, गुणवत्ता आश्वासन और पर्याप्त वित्त पोषण महत्व प्राप्त करते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त और प्रभावी शासन और प्रबन्धन के लक्ष्यों और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देने वाले इसके कारकों, तंत्रों और प्रणालियों के बीच सम्बन्ध को निम्न प्रस्तुति के माध्यम से समझा जा सकता है:

उच्च शिक्षण संस्थान के शासन और प्रबन्धन संरचनाओं की प्रभावशीलता इसकी मान्यता, रैंकिंग पद्धतियों और वित्तीय प्रबन्धन की समझदारी के माध्यम से इसके मूल्याँकन के परिणामों में परिलक्षित होती है।

4.2 शासन

उच्च शिक्षण संस्थान में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी शासन संरचनाएं और प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। इस खंड में शासन संरचनाओं के अस्तित्व और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई है।

4.2.1 राज्य सरकार के स्तर पर शासन

राज्य सरकार के स्तर पर उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका राज्य की नीतियों/निर्देशों के माध्यम से उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों को शासित करना है। यह शिक्षण और गैर–शिक्षण पदों के लिए स्वीकृति प्रदान करता है और उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा स्व–वित्त पोषित पाठ्यक्रमों के संचालन को मंजूरी देता है। राज्य सरकार द्वारा क्रमशः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से शासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की जाती है।

4.2.2 राज्य स्तरीय शासन

राज्य स्तर पर शासन के लिए संस्थागत तंत्र में राज्य उच्च शिक्षा परिषद और राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना सम्मिलित है। उनकी कार्यप्रणाली से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नलिखित प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

4.2.2.1 *राज्य उच्च शिक्षा परिषद्*

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तर 21.308 में कहा गया है कि राज्य में उच्च शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास का नेतृत्व करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना करना वाँछनीय होगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को राज्य में उच्च शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास के लिए, विश्वविद्यालयों के मध्य संसाधनों को साझा करने, संस्थागत स्तर पर शैक्षणिक और शासन सुधारों का नेतृत्व करने, संस्थानों को वित्त पोषण के लिए सिद्धांत स्थापित करने, उच्च शिक्षा पर डेटा बैंक बनाए रखने और अनुसंधान एवं मूल्याँकन अध्ययन के संचालन के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का गठन भी आवश्यक है।

लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित तथ्य पाये गये–

(i) राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम 1995 के द्वारा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना की थी।

(ii) राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का गठन

राज्य उच्च शिक्षा परिषद् में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और ग्यारह अन्य सदस्य होते हैं। नवंबर 2007 में जन–प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् में दो उपाध्यक्ष नामित करने के लिए, अधिनियम में संशोधन किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य उच्च शिक्षा परिषद् 05 मार्च 2017 से 23 जनवरी 2020 तक अध्यक्ष के बिना कार्य कर रहा था। उपाध्यक्ष भी राज्य उच्च शिक्षा परिषद् में नामाँकित नहीं है। प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत अपर सचिव राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के कार्यालय प्रभारी थे, जिसमें 31 मार्च 2020 तक 14 स्वीकृत पदों में से 10[1]पद रिक्त थे।

(iii) राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के कार्य

राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक होनी थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित ऐसी 24 तिमाही बैठकों के सापेक्ष वर्ष 2014-20 की अवधि में केवल एक बैठक[2] आयोजित की गई थी।

राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का मुख्य कार्य समन्वय स्थापित कर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार मानकों का निर्धारण करना था। राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समेकित कार्यक्रम तैयार करना, उच्च शिक्षा के विकास के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना, पाठ्यक्रम विकास में नवाचारों को प्रोत्साहित करना, परीक्षा के मानकों में सुधार के तरीकों को विकसित करना एवं राज्य सरकार को नए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के स्थापना के मानदंडो के बारे में सलाह

[1] कंप्यूटर ऑपरेटर (1), वरिष्ठ सहायक (1), सहायक लेखा अधिकारी (1), सांख्यिकीय सहायक (1), कनिष्ठ लेखा लिपिक (1), निजी सचिव (1), आशुलिपिक (2) और चपरासी (2)

[2] 25 अगस्त 2015

देना, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों इत्यादि को सहायता अनुदान अवमुक्त करना एवं अनुश्रवण करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य उच्च शिक्षा परिषद् ने मार्च 2020 तक ऐसा कोई पर्सपेक्टिव प्लान तैयार नहीं किया था और न ही उच्च शिक्षा के विकास के लिए नीतिगत निर्णयों पर राज्य सरकार को कोई सलाह दी थी। इसके अलावा, योजना और समन्वय के परिकल्पित कार्य, शैक्षणिक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यों और वित्तीय कार्यों को भी नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि वर्तमान में राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष की नियुक्ति की जा चुकी है और अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया सरकार द्वारा की जा रही है।

4.2.2.2 *राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ*

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 11(ए) के अनुसार, राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ उनके अधिकार क्षेत्र में आ रहे महाविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के क्रियाकलापों का अनुश्रवण करेगा।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् अपनी प्रमाणन प्रक्रिया में राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के अस्तित्व और कार्यप्रणाली को भी महत्व देता है। 'राज्य गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठों की गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियों' पर अपने मैनुअल में, यह राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के गठन का सुझाव देता है जिसका उद्देश्य राज्य में महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में काम करना एवं सम्बन्धित राज्य उच्च शिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के बीच नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् के परामर्श से राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया था। इसके कारण राज्य में शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के गठन से सम्बन्धित आँकड़ों का अनुश्रवण एवं अनुरक्षण सहित समस्त कार्य नहीं किये गये। इसे राज्य में मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की कम संख्या से समझा जा सकता है। वर्ष 2019-20 तक, 7,038 उच्च शिक्षण संस्थानों में से 183 राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से मान्यता प्राप्त थे। जिनमें से 29 उच्च शिक्षा संस्थानों को 'ए' ग्रेड, 127 को 'बी' ग्रेड और 27 को 'सी' ग्रेड प्रदान किया गया।

राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के अनुसार, स्वीकृत पदों के सापेक्ष शिक्षकों की कमी और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद मूल्याँकन शुल्क के लिए धन की अनुपलब्धता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद मूल्याँकन में समस्या का सामना करना पड़ रहा था। परिणामस्वरूप, शिक्षा और सीखने की प्रक्रियाओं को आवश्यक गुणवत्ता आश्वासन नहीं मिल सका।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

4.2.3 संस्थागत स्तर पर शासन

विश्वविद्यालय स्तर पर शासन एक व्यापक तन्त्र के माध्यम से किया जाता है, जिसमें शासी निकाय, गुणवत्ता आश्वासन तंत्र, सम्बद्धता प्रक्रिया इत्यादि सम्मिलित है। इन निकायों/तंत्रों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

4.2.3.1 विश्वविद्यालयों में शासी निकाय

विश्वविद्यालय में शासी निकाय के संचालन से सम्बन्धित अभिलेखों जैसे कि फाईल नोटिंग, बैठक का एजेंडा, बैठकों के कार्यवृत्त आदि की जाँच चयनित विश्वविद्यालयों में की गई थी।

नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालय महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय क्रमशः वर्ष 1921 और वर्ष 1867 में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973[3] के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। अधिनियम (खंड 50) के अनुसार महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने वर्ष 1977 में अपना पहला विधिपत्र तैयार किया और लखनऊ विश्वविद्यालय ने वर्ष 1975 में अपना विधिपत्र तैयार किया था। अधिनियम और विधिपत्र अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न शासी निकायों जैसे सभा, परिषदों, समितियों, बोर्ड, आदि के गठन की व्यवस्था करता है ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों के पहले कानून में प्रदान की गई व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यकारी परिषद, सभा, शैक्षणिक परिषद एवं वित्त समिति और अन्य समितियों का गठन किया गया था। वर्ष 2014-20 की अवधि में विभिन्न प्रशासनिक और शैक्षणिक मामलों में निर्णय लेने के लिए समय–समय पर उनकी बैठकें आयोजित की गईं। महाविद्यालय विकास परिषद का भी गठन किया गया था। विश्वविद्यालयों में स्थापित शासी निकाय की चर्चा अगले प्रस्तरों में की गई है।

4.2.3.2 कार्यकारी परिषद्

कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालयों में प्रमुख कार्यकारी निकाय है। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार कुलपति (अध्यक्ष) और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों और सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों में से अन्य सदस्य शामिल हैं। इसकी बैठक हर दो महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जानी थी ।

कार्यकारी परिषदों की बैठकों और बैठकों में भाग लेने वाले न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों का विवरण **तालिका 4.1** में दिया गया है ।

तालिका 4.1: कार्यकारी परिषद् की आयोजित की गईं बैठकें और भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या

(आँकड़े संख्या में)

कैलेंडर वर्ष	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ		लखनऊ विश्वविद्यालय	
	आयोजित बैठक	सदस्यों ने भाग लिया अधिकतम/न्यूनतम	आयोजित बैठक	सदस्यों ने भाग लिया अधिकतम/न्यूनतम
2014	6	13/17	10	13/22
2015	7	12/20	11	16/18
2016	5	13/17	12	13/23
2017	5	13/18	6	13/19
2018	4	13/16	6	11/14
2019	2	15/19	6	10/20
कुल	**29**		**51**	

(स्रोत : महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है :

[3] अधिनियम को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन और संशोधन) अधिनियम, 1974 के तहत फिर से अधिनियमित किया गया था।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2014 से 2019 तक कैलेंडर वर्ष की अवधि में होने वाली न्यूनतम 36 बैठकों में से केवल 29 बैठकें ही हुई थीं। वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में दो से सात बैठकें आयोजित की गईं और इन बैठकों में 12 से 20 सदस्यों ने भाग लिया (**तालिका 4.1**)। हालाँकि, पाँच सदस्यों[4] की सीटें जून 2021 तक रिक्त थीं।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों से पता चला कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (1) के तहत अधिसूचित विश्वविद्यालयों की कार्यकारी परिषद् में चार प्रधानाचार्यों और चार अन्य शिक्षकों के चयन के प्रावधान के सापेक्ष, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने केवल तीन प्रधानाध्यापकों और दो शिक्षकों का प्राविधान किया। इसके कारण, कार्यकारी परिषद् में एक प्रधानाध्यापक व दो शिक्षकों का कम प्रतिनिधित्व रहा।

लखनऊ विश्वविद्यालय

एक वर्ष में कम से कम छः बैठकों की आवश्यकता के सापेक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 2014-19 की अवधि में प्रत्येक वर्ष छः से 12 बैठकें आयोजित की गई थी। हालाँकि, फरवरी 2021 तक आठ सदस्यों[5] की सीट्स रिक्त थीं।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में कार्यकारी परिषद् की नियमित बैठकें कोविड–19 के कारण नहीं हुई थीं, लेकिन भविष्य में नियमित रूप से इसका आयोजन किया जाएगा।

4.2.3.3 सभा

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 22 के अनुसार, एक सभा का गठन किया जाना था जिसे एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करना था और उसमें निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी–

- विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना
- विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना
- विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना
- कुलाधिपति को ऐसे मामलो में, सलाह देगी जो उसे सलाह के लिए भेजा गया हो, इत्यादि।

सभा में पदेन सदस्य (कुलपति, कार्यकारी परिषद के सदस्य और वित्त अधिकारी), आजीवन सदस्य (अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले सभा और सीनेट के सभी सदस्य), शिक्षकों के प्रतिनिधि, पंजीकृत स्नातकों के सदस्य, छात्रों के प्रतिनिधि, कुलाधिपति के मनोनीत प्रतिनिधि, विधान परिषद् के दो सदस्य और विधान सभा के पाँच सदस्य शामिल होंगे। इसकी बैठकें साल में एक बार होनी थी।

[4] पंजीकृत स्नातक से चार निर्वाचित सदस्य और उद्योगपति में से एक सदस्य।
[5] प्रो–वाइस चांसलर का एक पद, ओबीसी श्रेणी का एक प्रोफेसर, वरिष्ठतम वर्ग का एक प्रोफेसर, सभी चार निर्वाचित सदस्य और उद्योगपति में से एक सदस्य।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ

विश्वविद्यालय में सभा की स्थापना की गयी थी, तथापि, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के अलावा इसकी गतिविधियों को लेखापरीक्षा में नहीं देखा गया। पंजीकृत स्नातकों के 10 सदस्यों, विधान सभा के पाँच सदस्यों और छात्र प्रतिनिधियों जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों के प्रतिनिधित्व का अभाव था। इस प्रकार, जैसा कि अधिनियम में परिकल्पित था, सभा द्वारा वर्ष 2014-20 की अवधि में उचित सलाह प्रदान नहीं की गई थी और विश्वविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण नहीं किया गया था।

लखनऊ विश्वविद्यालय

लेखापरीक्षा को बताया गया कि सभा की बैठक जून 2015 और अप्रैल 2016 में हुई थी और वर्ष 2014–2015 की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 के वार्षिक खातों और वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के आय–व्यय खाते पर सभा का संकल्प पारित किया गया था। यद्यपि वर्ष 2017 के बाद (अगस्त 2021) से कोई बैठक नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2021 तक, कार्यपरिषद् के कई सदस्यों के पद अर्थात 24 में से सात कार्यपरिषद् के सदस्य, शिक्षकों में से 15 सदस्यों में से छह, 15 पंजीकृत स्नातकों में से दो, सभी आठ छात्र प्रतिनिधि, और कुलाधिपति के चार नामाँकित व्यक्ति, रिक्त थे। इस प्रकार, सभा में महत्वपूर्ण हितधारकों के प्रतिनिधित्व का अभाव था।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में सभा का गठन और उसके बाद उसकी बैठकें शीघ्र ही आयोजित की जाएंगी और लखनऊ विश्वविद्यालय वर्तमान में सभा की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया में है।

4.2.3.4 शैक्षणिक परिषद्

शैक्षणिक परिषद् की भूमिका विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं से सम्बन्धित मामलों सहित सभी शैक्षणिक मामलों में कार्यकारी परिषद् को सलाह देना है।

शैक्षणिक परिषद् की आयोजित बैठकों और बैठकों में भाग लेने वाले न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है

तालिका 4.2: शैक्षणिक परिषद् की आयोजित की गईं बैठकें और भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या

(आँकड़े संख्या में)

कैलेंडर वर्ष	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ		लखनऊ विश्वविद्यालय	
	आयोजित बैठक	सदस्यों ने भाग लिया अधिकतम/न्यूनतम	आयोजित बैठक	सदस्यों ने भाग लिया अधिकतम/न्यूनतम
2014	2	60/65	3	33/75
2015	3	49/58	3	40/68
2016	1	64	1	70
2017	3	41/58	2	87/126
2018	2	51/58	2	52/69
2019	1	59	2	44/66

(स्रोतः सम्बन्धित विश्वविद्यालय)

लेखापरीक्षा ने पाया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद् में दिसंबर 2019 तक सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी सात सदस्यों (शिक्षकों) और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सभी पाँच सदस्यों की सीट्स रिक्त थीं।

शासन ने बताया (जून 2022) कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पिछले दो वर्षों से सम्बद्ध महाविद्यालयों के सदस्यों और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शैक्षणिक परिषद् में शामिल किया गया है।

फिर भी वस्तुस्थिति यह है कि सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी सात सदस्यों (शिक्षकों) के तथा शैक्षणिक ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के सभी पाँच सदस्यों की सीटें दिसम्बर 2019 तक रिक्त थीं।

4.2.3.5 वित्त समिति

वित्त समिति द्वारा कार्यकारी परिषद को विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों के प्रशासन से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देना था। विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय अनुमान विचारार्थ वित्त समिति के समक्ष रखे जाते हैं और उसके बाद अनुमोदन के लिए कार्यकारी परिषद् को प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसा कि निर्धारित था, वित्त समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जानी थीं।

वित्त समिति की आयोजित बैठकों और बैठकों में भाग लेने वाले न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों का विवरण **तालिका 4.3** में दिया गया है।

तालिका 4.3: वित्त समिति की आयोजित की गईं बैठकें और भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या

(आँकड़े संख्या में)

कैलेंडर वर्ष	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ		लखनऊ विश्वविद्यालय	
	आयोजित बैठक	सदस्यों ने भाग लिया अधिकतम/न्यूनतम	आयोजित बैठक	सदस्यों ने भाग लिया अधिकतम/न्यूनतम
2014	3	5/5	6	5/7
2015	3	4/6	4	6/8
2016	3	5/6	3	6/7
2017	2	6/6	3	7/8
2018	3	5/5	1	8
2019	2	6/6	2	7/7

(स्रोत : सम्बन्धित विश्वविद्यालय)

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2014 से वर्ष 2019 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में प्रत्येक वर्ष दो से तीन बैठकें आयोजित की गईं और इन बैठकों में चार से छः सदस्यों ने भाग लिया। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक से छः बैठकें हुईं और पाँच से आठ सदस्यों ने बैठकों में भाग लिया।

4.2.3.6 महाविद्यालय विकास परिषद्

परामर्श और मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं को सम्बद्ध महाविद्यालय तक पहुँचाने और कार्यक्रमों की उचित निगरानी के लिए, प्रत्येक सम्बद्ध विश्वविद्यालय को महाविद्यालय विकास परिषद् के बैकअप के साथ महाविद्यालय विकास के डीन का कार्यालय स्थापित करना था। महाविद्यालय विकास परिषद् को महाविद्यालयों में शिक्षा के प्रचार, समन्वय और शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए कदम उठाने थे। महाविद्यालय विकास परिषद् के डीन को सम्बद्ध महाविद्यालयों का भ्रमण करना था, जिससे उन्हें उन तरीकों से अवगत कराया जा सके जिससे महाविद्यालय विकास परिषद् महाविद्यालयों के विकास के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, कुलपति और विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों, सम्बद्ध महाविद्यालयों के सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य उच्च शिक्षा

परिषद्, राज्य सरकार और कार्यकारी परिषद् के एक प्रतिनिधि महाविद्यालय विकास परिषद् का गठन करते हैं। रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक को भी महाविद्यालय विकास परिषद् का सदस्य होना था। महाविद्यालय विकास परिषद् को महाविद्यालयों से सम्बन्धित कार्यक्रमों और गतिविधियों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने वर्ष 2013–14 में महाविद्यालय विकास परिषद् का गठन किया था। महाविद्यालय विकास परिषद् महाविद्यालयों के एकीकृत विकास के लिए नीति बनाने वाले निकाय के रूप में कार्य करने, शैक्षणिक कार्यक्रमों/शैक्षणिक कैलेंडर की निगरानी करने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय को महाविद्यालयों को संवितरण के लिए अवमुक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान समुचित रूप से और शीघ्रतापूर्वक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए महाविद्यालयों को वितरित किया जाता है, इत्यादि के लिए उत्तरदायी था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा सीधे प्राप्त किया जाता है और महाविद्यालय विकास परिषद् को प्राप्त अनुदान के बारे में अवगत नहीं कराया गया था।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में महाविद्यालय विकास परिषद् का गठन नहीं किया गया था, जिसके कारण विश्वविद्यालय अपने परिकल्पित परिणामों के कारण लाभान्वित नहीं हो सका।

4.2.4 आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के निर्माण और मान्यता प्राप्त संस्थानों में वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्थान को प्रदर्शन मूल्याँकन, मूल्याँकन, मान्यता और गुणवत्ता उन्नयन के लिए, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ निर्धारित प्रारूप में उच्च शिक्षण संस्थान की वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद को प्रस्तुत करेगा। वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट के आधार पर, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद उच्च शिक्षण संस्थान को ग्रेड (ए++, ए+, ए, बी++, बी+, बी, सी और डी) प्रदान करता है।

नीतिगत स्तर पर, उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने में, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की भूमिका को बहुत महत्व दिया गया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जारी उच्च शिक्षा में समावेशी और गुणात्मक विस्तार (प्रस्तर 2.2.3–जी) पर रिपोर्ट में कहा गया है कि गुणवत्ता इनपुट को आंतरिक बनाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समर्थित योजना के हिस्से के रूप में पूर्ण विकसित आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के साथ मजबूत किया जाना है।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और उससे सम्बद्ध महाविद्यालय

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना अप्रैल 2010 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए मापदंडों को निर्धारित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने के उद्देश्य से की गई थी। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने वर्ष 2014–20 की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद को वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट जमा किया था। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ को सी ग्रेड की मान्यता दी गई थी (नवंबर 2018) जो नवंबर 2023 तक वैध थी।

वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में 341 सम्बद्ध महाविद्यालयों में से केवल 16 (4.7 प्रतिशत) को मान्यता प्रदान की गई थी (एः 2, बी+:3, बीः 6, सीः 5) शेष 325 महाविद्यालयों

ने मान्यता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से संपर्क नहीं किया। नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में जगतपुर पीजी कॉलेज, वाराणसी की मान्यता (ग्रेड बी) वर्ष 2017 में समाप्त हो गई थी। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि छः नमूना जाँच किए गए शासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में से दो (पं. कमलापति त्रिपाठी राजकीय पीजी कॉलेज, चंदौली और राजकीय डिग्री कॉलेज, नौगढ़, चंदौली) में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया था।

लखनऊ विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालय

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ को तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करनी थी। लखनऊ विश्वविद्यालय और नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के क्रियाकलापों की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है–

लखनऊ विश्वविद्यालय में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन (दिसंबर 2016) कुलपति की अध्यक्षता में किया गया था। प्रत्येक वर्ष आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की एक से दो बैठकें आयोजित की गईं थीं जिनमें सात से आठ सदस्यों[6] ने भाग लिया था। लखनऊ विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रदत्त बी ग्रेड मान्यता मई 2019 में समाप्त हो गई थी। निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ ने कहा कि विश्वविद्यालय मान्यता की प्रक्रिया में था और गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए संस्थागत सूचना बहुत जल्द प्रस्तुत की जाएगी। मार्च 2020 तक, 171 सम्बद्ध महाविद्यालयों में से केवल 27 महाविद्यालय (एः7, बीः 18, सीः 2) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से मान्यता प्राप्त थे। महाराजा बिजली पासी राजकीय पीजी कॉलेज, आशियाना, लखनऊ में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन वर्ष 2017–18 में किया गया था। गठन के बाद से, इसकी बैठकें हर साल दो बार आयोजित की गईं लेकिन इसने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट तैयार नहीं किया। महामाया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज महोना, लखनऊ में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन 2015–16 में किया गया था। इसके गठन के बाद से, इसकी बैठकें 2019–20 को छोड़कर प्रत्येक वर्ष में एक बार नियमित रूप से आयोजित की जाती थीं, लेकिन इसने भी वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट तैयार नहीं किया था।

करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ (एक अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेज) में, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन वर्ष 2015–16 में किया गया था। वर्ष 2017–20 की अवधि में इसकी बैठकें साल में तीन बार आयोजित की गईं और वर्ष 2017–18 में वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट जमा किया गया। नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ (एक अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेज) में, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन वर्ष 2012 में किया गया था। इसकी बैठकें 2014–18 की अवधि में त्रैमासिक आयोजित की गई थीं, लेकिन 2018–19 में इसे बंद कर दिया गया था, और केवल एक बैठक आयोजित की गई थी तथापि, वर्ष 2019–20 की अवधि में आठ बैठकें हुईं। इसने वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट तैयार नहीं किया था। इस प्रकार, लखनऊ विश्वविद्यालय में चार नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में से तीन में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ ने वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट तैयार नहीं की थी।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ स्थापित करने और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से मूल्यांकन कराने के लिए महाविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

[6] फरवरी 2017 को छोड़कर जब 11 सदस्यों ने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की बैठक में भाग लिया।

4.3 सम्बद्धता के माध्यम से शासन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता) विनियमन, 2009 एक महाविद्यालय की सम्बद्धता को सम्बद्ध विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के साथ मान्यता, सम्बद्धता और प्रवेश लेने के रूप में परिभाषित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता) विनियमन, 2009, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ की परिनियामावली और शासन द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के आलोक में, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता हेतु आवेदन करने वाले महाविद्यालय की सुविधाओं के निरीक्षण के लिए मानदण्डों की एक चेकलिस्ट तैयार की गयी थी।

नवंबर 2014 में, शासन द्वारा एक आदेश जारी किया कि सम्बद्धता के प्रस्तावों को विश्वविद्यालय स्तर पर निष्पादित किया जाना था। जब किसी महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के लिए आवेदन किया जाएगा तो विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सहित तीन सदस्यों की एक निरीक्षण टीम का गठन किया जाना था। निरीक्षण के समय, सम्बद्धता चाहने वाले **सम्बन्धित** महाविद्यालय चाहे वह राज्य सरकार द्वारा या निजी प्रबन्धन द्वारा संचालित हों, सम्बद्धता के लिए पूर्व–निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, जैसे भूमि, निधि, पुस्तकालय, किताबें, फर्नीचर, स्टेशनरी आइटम, प्रयोगशाला और मनोरंजन केंद्र आदि की उपलब्धता। समिति द्वारा बताई गई कमियों को महाविद्यालय द्वारा दूर किया जाना था। कमियों को दूर करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति को महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के निरीक्षण के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त होता है। समिति से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, महाविद्यालय के आवेदन को कार्यपरिषद् को प्रस्तुत करने के लिए प्रेषित किया जाता है। यदि कार्यपरिषद् इस बात से सहमत है कि सम्बद्धता नियमों और आदेशों के अनुरूप है तो उसका अनुमोदन कर दिया जाता है। अंततः महाविद्यालयों को दी गई सम्बद्धता के नियमों और शर्तों को दर्शाने वाला एक पत्र जारी किया जाता है।

मार्च 2020 तक, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय के पास क्रमशः पूर्वी उत्तर प्रदेश के पाँच जनपदों और लखनऊ जनपद में 341 और 171 सम्बद्ध महाविद्यालय थे। वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने एक सरकारी महाविद्यालय और 205 स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों तथा लखनऊ विश्वविद्यालय ने 58 स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों को सम्बद्ध किया। वर्ष 2014–15 के प्रारंभ में महाविद्यालयों की वर्षवार संख्या, सम्बद्ध किए गए महाविद्यालयों की संख्या और वर्ष 2014–20 की अवधि में बंद हुए महाविद्यालयों की संख्या एवं वर्ष 2019–20 के अंत में सम्बद्ध महाविद्यालयों की कुल संख्या **तालिका 4.4** में दी गई है।

तालिका 4.4 वर्ष 2014–20 की अवधि में सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या

(आँकड़े संख्या में)

विश्वविद्यालय	वर्ष 2014–15 के प्रारम्भ में सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या			वर्ष 2014–20 की अवधि में सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या			वर्ष 2014–20[7] की अवधि में बन्द हुए महाविद्यालयों की संख्या			वर्ष 2019–20 के अन्त में कुल महाविद्यालयों की संख्या			
	शासकीय महा विद्यालय	शासकीय सहायता प्राप्त महा विद्यालय	स्ववित्त पोषित महा विद्यालय	शासकीय महा विद्यालय	शासकीय सहायता प्राप्त महा विद्यालय	स्ववित्त पोषित महा विद्यालय	शासकीय महा विद्यालय	शासकीय सहायता प्राप्त महा विद्यालय	स्ववित्त पोषित महा विद्यालय	शासकीय महा विद्यालय	शासकीय सहायता प्राप्त महा विद्यालय	स्ववित्त पोषित महा विद्यालय	योग
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	19	23	229	01	0	205	01	10	125	19	13	309	341
लखनऊ विश्वविद्यालय	04	20	102	0	0	58	0	0	13	04	20	147	171

(स्रोत महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय)

[7] एक शासकीय महाविद्यालय, 10 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं 107 स्व–वित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय जो जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया स्थानान्तरित हुए।

नवीन एवं विद्यमान महाविद्यालयों में विषयों की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा वर्ष 2014–20 की अवधि में स्वीकृत किये गये आवेदनों की संख्या **तालिका 4.5** में दी गई है।

तालिका 4.5 प्राप्त आवेदनों की संख्या और स्वीकृत आवेदनों की संख्या।

(आँकड़े संख्या में)

विश्वविद्यालय	सम्बद्धता प्रदान करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या			अनुमोदित किए गए आवेदन प्रत्रों की संख्या
	नये महाविद्यालयों में विषयों हेतु	विद्यमान महाविद्यालयों में विषयों हेतु	कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	189	941	1,130	1,091
लखनऊ विश्वविद्यालय	59	143	202	202

(स्रोत महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय)

लेखापरीक्षा में पाई गई कमियों की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है:

(1) सम्बद्धता मानदंडों का पालन न करना

शासकीय महाविद्यालयों और स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों द्वारा लागू पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता की सिफारिश करने के लिए गठित निरीक्षण टीमों ने लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए 28 स्व–वित्तपोषित कालेजों में से 18 में पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता की सिफारिश की जबकि प्रश्नगत कालेज सम्बद्धता के लिए निर्धारित चार से 29 प्रतिशत मानदंड (28 बिन्दुओं की चेकलिस्ट) को पूरा नहीं करते थे (***परिशिष्ट 4.1***)। अग्रेतर, छः शासकीय महाविद्यालयों को कई मानदण्डों की उपेक्षा करते हुए राज्य सरकार के महाविद्यालय के रूप में सम्बद्धता की मंजूरी दी गई (***परिशिष्ट 4.2***)। सम्बद्धता की मंजूरी के लिए निर्धारित मानदंडों में इस प्रकार की छूट इन महाविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।

(2) अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे के बिना अस्थायी सम्बद्धता को विस्तार

नए पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को मंजूरी देने से पहले अतिरिक्त बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ

सकलडीहा पीजी कालेज, सकलडीहा, चन्दौली में स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र और अंग्रेजी के स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु बुनियादी ढाँचे के निरीक्षण के लिए महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ द्वारा एक दल का गठन (जून 2017) किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कॉलेज में पहले से ही एक कमरे की कमी थी। तथापि, निरीक्षण दल ने कक्षों की कमी[8] के बावजूद आवेदित दोनों पाठ्यक्रमों को अस्थायी रूप से सम्बद्ध करने की अनुशंसा की (जून 2017) जिसके आधार पर कार्य परिषद् द्वारा सम्बद्धता की स्वीकृति (जून 2017) प्रदान कर दी गयी थी। इस प्रकार, अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे को सुनिश्चित किए बिना निरीक्षण दल ने दो नए पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता की सिफारिश की।

लखनऊ विश्वविद्यालय

वर्ष 2015–16 से डॉ. आशा स्मृति महाविद्यालय, देवा रोड, लखनऊ को बी0ए0 के स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रम के लिए अस्थाई सम्बद्धता दी गई थी। स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के लिए गठित

[8] 18 के सापेक्ष 15 कक्ष उपलब्ध थे।

समिति की एक निरीक्षण रिपोर्ट (मई 2019) ने विभिन्न कमियों को इंगित किया, यथा, महाविद्यालय में केवल तीन व्याख्यान कक्ष थे, जबकि बी0ए0 पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक छः कमरे होने चाहिए थे तथा पिछले तीन वर्षों के परीक्षा परिणाम उपलब्ध नहीं थे। महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करते समय, भवन मानचित्रों की अनुपलब्धता, विभागाध्यक्ष के लिए उचित कार्यालय न होना, अग्निशामक उपाय न होना, पुस्तकालय की सुविधा अद्यतन नहीं थी, प्रयोगशालाओं में वाश एरिया/बेसिन न होना, गृह विज्ञान के लिए कोई खाना पकाने का क्षेत्र नहीं था, मनोविज्ञान की लैब सुसज्जित नहीं थी और लड़के और लड़कियों के कॉमन रूम अस्त–व्यस्त थे। इन कारणों से, अनुशंसित स्थायी सम्बद्धता नहीं दी गई थी, परन्तु कुलपति द्वारा महाविद्यालय प्रबन्धन के अनुरोध पर (जून 2019) वर्ष 2019–20 के लिए अस्थायी सम्बद्धता का विस्तार (जून 2019) कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में शर्तों को पूरा किए बिना कर दिया गया था। इस प्रकार, बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बावजूद महाविद्यालय वर्ष 2015–16 से अस्थायी सम्बद्धता के साथ चल रहा था। अग्रेतर, इस महाविद्यालय को सभी कमियों को दूर कर 31 दिसंबर 2019 तक स्थायी सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए कहा गया था। तथापि, लेखापरीक्षा (जून 2020) तक स्थायी सम्बद्धता प्राप्त नहीं हो सकी थी। इस प्रकार, महाविद्यालय द्वारा कमियों के सुधार को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

(3) शिक्षकों को सुनिश्चित किए बिना अस्थायी सम्बद्धता का विस्तार

शासन द्वारा यह स्पष्ट किया (अक्टूबर 2012) गया था कि शिक्षकों का चयन एवं अनुमोदन सम्बद्धता की स्वीकृति की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।

शासन ने जगतपुर पीजी कॉलेज, जगतपुर, वाराणसी में स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य और गृह विज्ञान के स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की अस्थायी सम्बद्धता इस शर्त के साथ प्रदान (अक्टूबर 2012) किया था कि उक्त विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति और अनुमोदन की प्रक्रिया एक माह के अन्दर पूरी कर ली जाएगी। दो साल के लिए सम्बद्धता जुलाई 2012 से प्रभावी बताते हुए प्रदान कर दी गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ द्वारा शिक्षकों की आवश्यक संख्या को सुनिश्चित किए बिना, अप्रैल 2014 में महाविद्यालय की सम्बद्धता के विस्तार के लिए शासन को आवेदन अग्रेषित कर दिया गया। तथापि, यह उल्लेखित कर दिया गया था कि महाविद्यालय ने इस विषय के लिए आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है। इसके बावजूद, शासन ने शैक्षणिक वर्ष 2014–15 हेतु उक्त पाठ्यक्रमों की अस्थायी सम्बद्धता को इस शर्त के साथ बढ़ा दिया (जून 2014) कि कक्षाएं शुरू होने से पहले महाविद्यालय द्वारा कमियों को ठीक कर लिया जायेगा और विश्वविद्यालय को इस तरह के सुधार के सभी अभिलेख एक माह के भीतर उपलब्ध करा देगा। हालाँकि, महाविद्यालय ने छः माह के अंदर शिक्षकों का चयन करने के लिए विश्वविद्यालय को एक हलफनामा प्रस्तुत किया (सितंबर 2014) लेकिन, चयन सितंबर 2015 में किया गया। इस बीच वर्ष 2013–15 की अवधि में प्रश्नगत महाविद्यालय से एम0कॉम0 के 323 छात्र और गृह विज्ञान के 207 छात्र उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार, महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों की उपलब्धता के बिना ही 530 छात्र उत्तीर्ण हुये थे। इस संदर्भ में, महाविद्यालय ने बताया कि स्नातक पाठ्यक्रमों के शिक्षक प्रश्नगत दोनों स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए कक्षाएं ले रहे थे, तथापि, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने अवगत कराया (अगस्त 2021) कि केवल विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षक ही स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में कक्षाएं ले सकते थे। इस प्रकार, न तो महाविद्यालय और न ही विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय में योग्य शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की।

(4) स्थायी सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं किया गया

- सम्बद्धता की शर्त (अगस्त 2001) के अनुसार, महाराजा बिजली पासी राजकीय पीजी महाविद्यालय, लखनऊ से बी0ए0 पाठ्यक्रम के लिए महाविद्यालय को प्रत्येक विषय में द्वितीय वर्ष के लिए कम से कम एक अतिरिक्त व्याख्याता तथा तीसरे वर्ष के लिए भी प्रत्येक विषय में एक अतिरिक्त व्याख्याता की नियुक्ति करनी थी। तथापि, इन शर्तों को पूरा किए बिना, महाविद्यालय को वर्ष 2015 में बी0ए0 पाठ्यक्रमों के लिए स्थायी सम्बद्धता प्रदान की गई थी। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि 30 व्याख्याताओं की आवश्यकता के विरूद्ध केवल 20 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत किए गए थे और दो स्वीकृत पद वर्ष 2019–20 से रिक्त थे।

- महामाया राजकीय महाविद्यालय महोना, लखनऊ को वर्ष 2015 में सात बी0ए0 पाठ्यक्रमों के लिए स्थायी सम्बद्धता दी गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 व्याख्याताओं की आवश्यकता के विरूद्ध 2016 में केवल छः व्याख्याताओं को पदस्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 2018–20 में कम करके पाँच व्याख्याता कर दिए गए थे।

(5) महाविद्यालयों का आवधिक निरीक्षण

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (6) में प्राविधान है कि कार्यपरिषद् प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण समय–समय पर, जोकि पाँच साल की अवधि से अधिक ना हो, के अन्तराल पर, उसके द्वारा अधिकृत एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा करवाएगी, और एक निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जाएगी। इसके अलावा, परिनियामावली के प्रस्तर 12(क)–22 के अनुसार प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त तक विश्वविद्यालय को एक प्रमाण–पत्र अग्रेषित करना था कि वह सम्बद्धता की शर्तों को पूरी कर रहा है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ द्वारा निरीक्षण दल का गठन नहीं किया गया था, जिसके कारण कार्यपरिषद् को अपने सम्बद्ध महाविद्यालयों में उपलब्ध बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं के बारे में अवगत नहीं कराया जा रहा था। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता की वैधता अवधि के प्रत्येक वर्ष में सुनिश्चित की जा रही सम्बद्धता की आवश्यकताओं की पुष्टि करने का प्रमाण–पत्र भी 2014–20 की अवधि में सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध नही कराया गया था।

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् ने महाविद्यालयों के औचक निरीक्षण के लिए एक समिति गठित करने और उसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। तथापि, निरीक्षण समिति गठित नहीं होने के कारण वर्ष 2014–20 की अवधि में महाविद्यालयों का आवधिक निरीक्षण नहीं किया गया तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा नियमित अनुरक्षण, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं आधारभूत सुविधाओं के बारे में कार्यपरिषद् को अवगत नहीं कराया गया।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

जैसा कि उपरोक्त चर्चा की गयी है, नमूना जाँच किये गये दोनों विश्वविद्यालयों में सम्बद्धता प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की कमियाँ पायी गयी, जिन्हें दूर किये जाने की आवश्यकता थी।

4.4 विश्वविद्यालयों पर बोझ कम करना

'उच्च शिक्षा में समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर रिपोर्ट के प्रस्तर 7.1.15 (सी) के अनुसार, महाविद्यालयों की अत्यधिक सम्बद्धता के बोझ से विश्वविद्यालयों को मुक्त करने के लिए केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के प्रभावी संरचनात्मक आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। अधिनियमों के संशोधन के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच कुशल शासन और जवाबदेही के साथ प्रभावी स्वायत्तता की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय में 50 से अधिक सम्बद्ध महाविद्यालय नहीं होने चाहिए जिनमें कुल नामांकन 50,000 छात्रों से अधिक न हो।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के दिशानिर्देशों के अध्याय 6 के अन्तर्गत शासन और प्रशासनिक सुधारों के अनुसार एक विश्वविद्यालय में सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या 100 तक सीमित होनी चाहिए। वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 4.6 महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय में सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या

विश्वविद्यालय का नाम	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–.20
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	310	367	301	318	324	341
लखनऊ विश्वविद्यालय	144	151	160	170	167	171

(स्रोत महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय)

उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वर्ष 2014–15 से वर्ष 2019–20 तक पिछले पाँच वर्षों के भीतर, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों की संख्या में क्रमशः 10 प्रतिशत और 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

समापन गोष्ठी (15 जुलाई 2022) में शासन ने बताया कि अब स्थिति में सुधार हुआ है। पहले एक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या बहुत अधिक थी। वस्तुस्थिति यह है कि दोनों नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों में सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या एक विश्वविद्यालय के साथ 100 महाविद्यालयों के लिए निर्धारित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के मानदंडों से अधिक थी।

4.5 शिक्षणेत्तर कर्मचारी

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त शिक्षणेत्तर पदों की स्थिति **तालिका 4.7** में दी गयी है।

तालिका 4.7 : महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 2019–20 में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की स्थिति

विश्वविद्यालय का नाम	शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के स्वीकृत पद	कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारी	शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पद	रिक्त पदों का प्रतिशत
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	460	244	216	47
लखनऊ विश्वविद्यालय	1,381	1,002	379	27

(स्रोत– महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 47 प्रतिशत (460 स्वीकृत पदो के विरूद्व 216) पद रिक्त थे। नमूना जाँच में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के छः महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 37 प्रतिशत (स्वीकृत 102 पदों में से 38) पद वर्ष 2019–20 की अवधि में ***(परिशिष्ट 4.3)*** रिक्त थे।

शासन ने बताया कि (जुलाई 2022) कर्मियों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जानी है जिसके लिए 847 कर्मचारियों की भर्ती के लिए डोजियर आयोग को भेज दिया गया है।

4.6 वित्तीय प्रबन्धन

उत्तर प्रदेश शासन राज्य के बजट से महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय को शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन के लिए अनुदान सहायता के रूप में धनराशि प्रदान करता है। राज्य के बजट के अलावा महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और ऐसी अन्य योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त होती है। विश्वविद्यालयों द्वारा स्व–वित्त पाठ्यक्रमों की फीस भी प्राप्त की जाती है।

4.6.1 राज्य बजट के अन्तर्गत निधि

वर्ष 2014–20 की अवधि में राज्य में उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय ₹ 13,847.97 करोड़ था। लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि राज्य के कुल व्यय की तुलना में इस पर व्यय 0.56 (2015–16) से 0.76 प्रतिशत (वर्ष 2014–15) के बीच था। वर्ष 2019–20 में यह व्यय (₹ 2.676.02 करोड) राज्य के कुल व्यय का 0.67 प्रतिशत था।

वर्ष 2014–2020 की अवधि में उच्च शिक्षा विभाग पर वर्षवार बजट प्राविधान एवं वास्तविक व्यय **तालिका 4.8** में दिया गया है।

तलिका 4.8 : वर्ष 2014–20 की अवधि में उच्च शिक्षा विभाग का वर्षवार बजट प्राविधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य का कुल व्यय	शिक्षा विभाग का कुल बजट प्राविधान (उच्च शिक्षा)	वास्तविक व्यय (राज्य के कुल व्यय का प्रतिशत)	राज्य का जी. एस.डी.पी.	उच्च शिक्षा पर कुल व्यय जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत में
2014–15	2,51,804.43	2,406.95	1,914.79 (0.76)	10,11,790	0.19
2015–16	3,18,412.23	2,388.83	1,795.19 (0.56)	11,37,808	0.16
2016–17	3,49,232.60	2,947.51	2,429.39 (0.70)	12,88,700	0.19
2017–18	3,34,876.62	2,655.81	2,120.44 (0.63)	14,16,006	0.15
2018–19	4,09,784.50	3,806.20	2,912.14 (0.71)	15,84,764	0.18
2019–20	3,99,426.75	3,093.65	2,676.02 (0.67)	16,87,818	0.16
योग	**20,63,537.13**	**17,298.95**	**13,847.97(0.67)**		

(स्रोत : सम्बंधित वर्षो के विनियोग लेखे)

उपरोक्त **तालिका 4.8** से देखा जा सकता है कि वर्ष 2014–20 की अवधि में उच्च शिक्षा पर बजट प्राविधान का 80 प्रतिशत उपयोग किया गया था। इस प्रकार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2014–20 की अवधि में ₹ 13,848.00 करोड़ व्यय किया गया जो राज्य के कुल व्यय का

0.56 प्रतिशत (2015–16) और 0.76 प्रतिशत (वर्ष 2014–15) के बीच था। यह व्यय वर्ष 2014–20 की अवधि में राज्य के जीएसडीपी का 0.15 प्रतिशत से 0.19 प्रतिशत था।

4.6.2 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत निधि

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सितम्बर 2013 में प्रारम्भ हुआ जिसका उद्देश्य राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार करना और उनकी मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाना था जिससे गतिशील, माँग संचालित, गुणवत्ता के प्रति जागरूक, कुशल एवं अग्रगामी और स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय, और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर त्वरित आर्थिक और तकनीकी विकास के प्रति वो उत्तरदायी बन सके। इस योजना में राज्य के केवल सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है जिसमें मुक्त विश्वविद्यालयों एवं चिकित्सा, कृषि, पशु चिकित्सा आदि से सम्बन्धित संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस योजना के लिए केन्द्र–राज्य वित्त पोषण 60:40 के अनुपात में है।

4.6.3 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अवमुक्त निधि

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य परियोजना निदेशक को प्राप्त निधियाँ और उक्त निधियों को राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी महाविद्यालयों को जारी किये जाने की स्थिति **तालिका 4.9** में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.9 राज्य के विश्वविद्यालयों और शासकीय महाविद्यालयों को निर्गत की गई धनराशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा राज्य परियोजना निदेशक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को अवमुक्त की गई निधि			राज्य परियोजना निदेशक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना द्वारा अवमुक्त की गई निधि			
				राज्य विश्वविद्यालयों को अवमुक्त की गई निधि		सरकारी विद्यालयों को अवमुक्त की गई निधि	
	भारत सरकार अंश	राज्य का अंश	कुल	अवमुक्त की गई निधि	उपभोग की गई निधि	अवमुक्त की गई निधि	उपभोग की गई निधि
2014-15	25.86	13.93	39.79	19.29	19.29	20.50	20.50
2015-16	1.54	0.83	2.37	0.37	0.37	2.00	2.00
2016-17	71.97	28.79	100.76	54.91	54.91	45.85	45.85
2017-18	73.36	4.00	77.36	50.04	50.04	27.32	27.32
2018-19	2.14	68.77	70.91	42.09	42.09	28.82	28.82
2019-20	46.33	29.57	75.90	45.68	20.90	30.22	25.50
योग	**221.20**	**145.89**	**367.09**	**212.38**	**187.60**	**154.71**	**149.99**

(स्रोतः राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का कार्यालय, लखनऊ)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार के अंश से प्राप्त धनराशि, राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को बहुत विलम्ब से अवमुक्त की गई थी। विलम्ब के विवरण पर अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

4.6.4 राज्य सरकार द्वारा निधियाँ अवमुक्त करने में विलम्ब

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्यों को केन्द्रीय अंश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, अपने अंश के साथ–साथ, केन्द्रीय अंश, राज्य उच्च शिक्षा परिषद (यहाँ राज्य

परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के समर्पित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान बचत बैंक खाते में योगदान कर देना चाहिये।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि राज्य सरकार ने राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को केन्द्रीय अंश सहित अपने राज्य के अंश को 1,636 दिनों तक के विलम्ब से जारी किया। अवमुक्त धनराशि का विवरण **तालिका 4.10** में दिया गया है।

तालिका 4.10: राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निधि जारी करने में विलम्ब

वर्ष	केन्द्रांश		राज्य द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश सहित		अनुदान अवमुक्त करने में विलम्ब (दिनों में)
	धनराशि *(₹ करोड़ में)*	राज्य सरकार को अनुदान अवमुक्त करने की तिथि	धनराशि *(₹ करोड़ में)*	राज्य परियोजना निदेशक को अवमुक्त करने की तिथि	
2014-15	26.00	06.01.2015	40.08	09.03.2015 से 16.07.2019	46 से 1636
	3.25	04.02.2015	5.01	10.03.2015 से 05.11.2015	18 से 258
2016-17	115.78	07.09.2016	165.75	10.11.2016 से 4.10.2017	48 से 376
2017-18	6.00	21.12.2017	10.00	12.03.2018	65
	95.43	28.02.2018	188.95	27.03.2018 से 26.08.2019	11 से 528
2019-20	57.13	16.05.2019	91.96	29.07.2019	58
	5.88	30.08.2019	9.89	26.12.2019	102
	4.20	27.09.2019	5.29	11.03.2020 से 30.03.2020	150 से 169

(स्रोत : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का कार्यालय)

इस प्रकार, शासन ने राज्यांश सहित भारत सरकार के अंश को अवमुक्त करने के लिये निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया।

शासन ने बताया (जुलाई 2020) कि राज्य का अंश राज्य के बजट में आवंटन करने के बाद अवमुक्त किया जा रहा था। समापन बैठक (15 जुलाई 2022) में कहा गया कि निष्पादन एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में समय लगा।

4.6.5 विश्वविद्यालय संसाधन

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय अपने द्वारा अर्जित राजस्व से अपने खर्च को पूरा करने के लिये आत्मनिर्भर नहीं है। वर्ष 2014–20 की अवधि में, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय की कुल प्राप्तियाँ क्रमशः ₹ 531.56 करोड़ और ₹ 1,358.78 करोड़ थीं। इनमें से, वर्ष 2014–20 की अवधि की अवधि में शासन ने महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ को ₹ 118.65 करोड़ (22 प्रतिशत) और लखनऊ विश्वविद्यालय को ₹ 357.10 करोड़ (26 प्रतिशत) प्रदान किया।

वर्ष 2014–20 की अवधि की अवधि में प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध निधियों, व्यय किये गये धनराशि और अव्ययित निधियों का वर्षवार विवरण **तालिका 4.11** में दिया गया है।

तालिका 4.11: प्राप्त निधियाँ, व्यय और अव्ययित निधियाँ वर्ष 2014–20

(₹ करोड़ में)

विश्वविद्यालय का नाम	आरम्भिक अवशेष	अवमुक्त धनराशि					कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय	अव्ययित धनराशि (प्रतिशत)
		राज्य सरकार	केंद्र सरकार	निजी आय	अन्य स्रोत	अर्जित ब्याज			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	96.95	118.65	30.53	344.57	20.39	17.42	628.50	432.57	195.94 (31)
लखनऊ विश्वविद्यालय	100.28	357.10	122.13	579.65	263.22	36.68	1,459.06	1,286.49	172.57 (12)

(स्रोत : महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

4.6.6 सरकारी अनुदानों पर निर्भरता

वर्ष 2014–15 और वर्ष 2019–20 में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा सरकारी अनुदान से व्यय और कुल व्यय **तालिका 4.12** में दिया गया है।

तालिका 4.12: वर्ष 2014–15 और वर्ष 2019–20 की अवधि में सरकारी अनुदानों पर निर्भरता

(₹ करोड़ में)

विश्वविद्यालय का नाम	2014–15		2019–20	
	कुल व्यय	शासकीय अनुदान से कुल व्यय का (प्रतिशत में)	कुल व्यय	शासकीय अनुदान से कुल व्यय का (प्रतिशत में)
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	56.07	17.26 (31)	80.07	15.91 (20)
लखनऊ विश्वविद्यालय	162.84	44.54 (27)	223.70	49.92 (22)

(स्रोत : महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

जैसा कि **तालिका 4.12** से स्पष्ट है, सरकारी अनुदानों पर विश्वविद्यालयों की निर्भरता कम हो रही थी।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि राज्य विश्वविद्यालयों के अपने स्रोत हैं, जैसे प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्क। शासन विश्वविद्यालयों को सीमित धनराशि प्रदान करता है।

4.6.7 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निधियों पर अर्जित ब्याज

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार करना और उनकी मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाना है। शासनादेश (मार्च 2015) के अनुसार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निधि पर अर्जित ब्याज को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निदेशालय के बैंक खाते में जमा/हस्तांतरित किया जाना था।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि क्रमशः ₹ 76.78 लाख और ₹ 75.68 लाख राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निदेशालय के बैंक खाते में स्थानान्तरित नहीं की गई थी।

शासन ने लेखापरीक्षा में उठाए गये विषय पर उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2022)।

4.6.8 वार्षिक लेखाओं का रख–रखाव

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का प्रस्तर–55 विश्वविद्यालयों द्वारा वार्षिक लेखा तैयार करने और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का प्राविधान करता है, जो उसकी लेखापरीक्षा करवाएगा। अक्टूबर 2019 से विश्वविद्यालयों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा लेखा परीक्षा को समाप्त कर दिया गया है। निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2018–19 तक लेखापरीक्षा की गयी थी। दोनों विश्वविद्यालयों ने अपने अधिनियमों में लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में संशोधन (मई 2022) नहीं किया है।

लेखा परीक्षा ने पाया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने 54 बैंक खाते[9] बना रखे थे, लेकिन वर्ष 2014–19 की अवधि के लिये महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ द्वारा वार्षिक खाते तैयार नहीं थे। लेखा परीक्षा के बाद, यद्यपि, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने इन वार्षिक खातों को वर्ष 2020 में तैयार किया लेकिन कार्य परिषद्, सभा और शासन को प्रस्तुत नहीं किया।

लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोद्भवन (एक्रूअल) आधार पर तीन अलग–अलग वार्षिक खाते (बैलेंस शीट, प्राप्ति एवं भुगतान खाते और आय–व्यय खाते) रखता है और जनरल फंड्स, कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्राफ्ट और स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के लिये एक समेकित खाता रखता है। तथापि, वर्ष 2014–20 की अवधि में वार्षिक लेखों को तैयार करने एवं अंतिम रूप देने में प्रत्येक वर्ष विलम्ब किया गया था और राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं किये गये थे जैसा कि **तालिका 4.13** में वर्णित है।

तालिका 4.13: वार्षिक लेखों का वर्ष और लेखा तैयार करने की तिथि

वर्ष	लेखों का वर्ष	लेखे तैयार करने की नियत तिथि	लेखे तैयार करने की वास्तविक तिथि	लेखे तैयार करने में विलम्ब (माह में)
1	2014-15	जून 2015	09.03.2016	8
2	2015-16	जून 2016	17.03.2017	8
3	2016-17	जून 2017	24.03.2018	8
4	2017-18	जून 2018	29.03.2019	8
5	2018-19	जून 2019	09.05.2020	10
6	2019-20	जून 2020	अप्राप्त	अप्राप्त

(स्रोत : लखनऊ विश्वविद्यालय)

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने बताया (जुलाई 2022) कि बैंक खातों की संख्या 54 से घटाकर 22 कर दी गई है और वार्षिक खातों पर कार्यपरिषद् की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है। यह भी कहा गया कि राज्य में स्थापित विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान हैं और वे अपने स्तर पर आवंटित धन का उपयोग करते हैं और अपने वार्षिक खातों का रखरखाव करते हैं। राज्य सरकार द्वारा भी समय.समय पर निधियों के उपयोग की समीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

[9] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये तीन बैंक खाते, सामान्य निधि के लिये 13 बैंक खाते, राष्ट्रीय सेवा योजना के लिये तीन बैंक खाते और स्व–वित्त पाठ्यक्रमों के लिये 35 बैंक खाते।

4.6.9 असमायोजित अग्रिम भुगतान

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एकाउण्ट कोड खंड–IV में निहित प्राविधानों के अनुसार विभाग के प्रमुख/आहरण और संवितरण अधिकारी का कर्तव्य था कि यह सुनिश्चित किया जाये की अस्थायी अग्रिमों का लेखा जल्द से जल्द प्रतिपादित किया जाये तथा यदि कोई अवशेष हो, जिसके लिए अस्थायी अग्रिम आहरित किए गए थे, उसे क्रय को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात तुरंत वापस किया जाये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में शेष अस्थायी अग्रिम वर्ष 2014–15 के अंत में ₹ 26.75 करोड़ से बढ़ कर वर्ष 2019–20 में ₹ 54.58 करोड़ हो गया था।

मार्च 2020 के अंत में लखनऊ विश्वविद्यालय में शेष अस्थायी अग्रिम ₹ 22.59 करोड़ था। वर्ष 2009 से बहुत पहले से शेष अग्रिमों में भवनों के निर्माण के लिए अग्रिम, सॉफ्टवेयर विकास और एसएफसी इत्यादि के लिए अग्रिम सम्मिलित थे।

शासन बताया (जुलाई 2022) कि नवंबर 2018 और जनवरी 2022 में इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ द्वारा बताया गया कि शेष अग्रिमों को कम करने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई है। वर्ष 2019–20 में ₹ 54.58 करोड़ के अग्रिम को मार्च 2022 तक घटाकर ₹ 48.22 करोड़ कर दिया गया है और वर्ष 2022–23 की अवधि में इसे और कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

4.6.10 वित्तीय प्रबन्धन को नियंत्रित करना

वित्तीय प्रबन्धन को नियंत्रित करने से तात्पर्य है कि एक संगठन किस तरह से वित्तीय जानकारी एकत्र करता है, प्रबन्धन करता है, अनुश्रवण करता है एवं उसे नियंत्रित करता है और इसमें, वित्तीय लेनदेन पर नजर रखना, निष्पादन का प्रबन्धन, डेटा नियंत्रण एवं अनुपालन, संचालन सम्मिलित है। लखनऊ विश्वविद्यालय के लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

4.6.10.1 रोकड़ बही

लखनऊ विश्वविद्यालय के माह मार्च 2019 के सामान्य निधि खाते की रोकड़ बही की संवीक्षा में रोकड़ बही के रखरखाव में निम्न विसंगतियां पायी गयीं–

- लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राप्तियों की प्रविष्टियाँ इसकी रोकड़ बही में नहीं की गई थी जिसके कारण सामान्य निधि बैंक खातों में क्रेडिट के स्रोत और बैंक खातों में शेष राशि के साथ उनका मिलान लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

- रोकड़ बही में भुगतानों की प्रविष्टियाँ, चेक नंबर/नकद भुगतान एवं भुगतान के अन्य विवरणों की संगत प्रविष्टियों के बिना लिखी गई थीं। जिसके कारण रोकड़ बही के माध्यम से जारी किए गए चेकों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

- लेखापरीक्षा की नमूना जाँच अवधि (2014–19) में, लखनऊ विश्वविद्यालय में रखी गई रोकड़ बहियाँ न तो दैनिक/मासिक रूप से बंद की गई थीं और न ही कैशियर द्वारा हस्ताक्षरित या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की गई थी। रोकड़ बही में माह के अंत में प्राप्तियों, व्यय एवं शेष के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र नहीं लिखा गया था। जिसके कारण रोकड़ बही में प्रविष्टियों की प्रमाणिकता एवं शेष राशि की लेखापरीक्षा में पुष्टि नहीं की जा सकी।

- लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2014–20 की अवधि में एक वर्ष में तीन से सात बैंक खातों को जोड़कर अभी तक 46 से 74 बैंक खातों[10] का रखरखाव किया गया था एवं मासिक लेनदेन पूरा होने के बाद इन बैंक खातों का बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया था। विश्वविद्यालय ने एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म[11] को नियुक्त किया था जिसने सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 11 से 23 महीने की देरी से मासिक समाधान विवरण तैयार किया।

लखनऊ विश्वविद्यालय के यूको बैंक शाखा में परीक्षा निधि बैंक खाता संख्या 00600200000149 से वर्ष 2017–19 (दिसम्बर 2017 से अप्रैल 2019) की अवधि में ₹ 1.40 करोड़ ***(परिशिष्ट 4.4)*** के धोखाधड़ी के 14 प्रकरण विश्वविद्यालय द्वारा मार्च 2019 में बैंक समाधान तैयार करने के बाद ही देखे गए थे और एक प्राथमिकी (संख्या 0481, अक्टूबर 2019) दर्ज की गई थी। इन कपटपूर्ण आहरणों का प्रबन्धन, विश्वविद्यालय को जारी किए गए चेकों का क्लोन बनाकर किया गया था।

उपरोक्त वर्णित रोकड़ बही के लेखन में कई कमियों के साथ–साथ बैंक शेष का समय पर समाधान करने में विफलता के कारण इन कपटपूर्ण आहरणों का समय पर पता लगाने में विफलता हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सूचित किया (अगस्त 2020) कि उक्त धनराशि यूको बैंक द्वारा विश्वविद्यालय के बैंक खाते में फिर से जमा कर दी गई है (जून 2020)।

शासन ने बताया (जुलाई 2020) कि विश्वविद्यालय स्तर पर आहरण, उपभोग और भुगतान किया जाता है यद्यपि, शासन द्वारा समय–समय पर उनकी समीक्षा की गयी। समापन बैठक (15 जुलाई 2022) में कहा गया कि बैंक खातों की संख्या अब कम कर दी गई है और विश्वविद्यालय द्वारा अब बैंक समाधान तैयार किया जा रहा है।

4.7 आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा

शासन ने विश्वविद्यालयों को नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था (अक्टूबर 2019)। तथापि, नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों में आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाई कार्य नहीं कर रही थी क्योंकि लेखापरीक्षकों का स्वीकृत पद रिक्त था। इसके परिणामस्वरूप आंतरिक नियंत्रण कमजोर रहा।

समापन बैठक (जुलाई 2022) में विशेष सचिव ने विश्वविद्यालयों द्वारा कर्मचारियों को रोकड़ बही के रखरखाव का प्रशिक्षण देने की सलाह दी।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उच्च शिक्षा प्रणाली का शासन एवं प्रबन्धन पर्याप्त नहीं था और निधि अवमुक्त करने में देरी, बड़ी संख्या में रिक्तियों एवं अयोग्य संस्थानों को सम्बद्धता दिये जाने से प्रभावित था। राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए की गई थी, जिसमें मार्च 2017 से जनवरी 2020 की अवधि में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नहीं थे। इस कार्यालय के 14 स्वीकृत पदों में से 10 पद रिक्त थे। राज्य में राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया था। विश्वविद्यालयों के शासी निकायों में महत्वपूर्ण पदों पर रिक्तियाँ थीं, जिससे उनकी प्रभावशीलता कम हो गयी थी। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में महाविद्यालय विकास परिषद् की स्थापना नहीं की गयी थी। यद्यपि, यह लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था, परन्तु वाँछित रूप में कार्य नहीं कर रहा था। महाविद्यालयों को बिना मानदंडों को पूरा किये सम्बद्धता दी गयी थी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। सम्बद्ध

[10] 2014–15: 46, 2015–16: 49, 2016–17: 63, 2017–18: 67, 2018–19: 74 एवं 2019–20: 67
[11] मे0 हबीबुल्लाह एण्ड कं0

महाविद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विकास के लिए केंद्रीय अंश सहित अपना अंश 1,636 दिनों की देरी से अवमुक्त किया। नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों के वार्षिक लेखे राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों में लेखापरीक्षकों का स्वीकृत पद रिक्त होने के कारण आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाई कार्य नहीं कर रही थी।

अनुशंसा 11: राज्य एवं विश्वविद्यालयों के शासी निकायों में रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए।

अनुशंसा 12: विश्वविद्यालयों को सम्बद्धता प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए जिससे केवल सभी नियामक आवश्यकताओं का पालन करने वाले महाविद्यालयों को ही सम्बद्धता प्रदान किया जाना सुनिश्चित हो।

वि. कु. मोहन्ती

(बिजय कुमार मोहन्ती)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I)
उत्तर प्रदेश

प्रयागराज
दिनांक 25 नवम्बर 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 6 दिसम्बर DEC 2022

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट 1.1

(सन्दर्भः प्रस्तर 1.3; पृष्ठ सं. 2)

उच्च शिक्षा के परिणामों की लेखापरीक्षा में परिणामों के मुख्य संकेतकों की सूची

संकेतक संख्या	संकेतक का नाम	अंश का संकेतक	हर का संकेतक	सूत्र
1.	वर्ष 2019–20 (वर्तमान वर्ष) की अवधि में उच्च अध्ययन (पिछला स्नातक बैच) में छात्रों के प्रगति के प्रतिशत में वृद्धि	उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर छात्रों की कुल संख्या	विश्वविद्यालय परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अन्तिम वर्ष के छात्रों की कुल संख्या	
2.	वर्ष 2014–20 की अवधि में राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्रतिशत (नेट/स्लेट/गेट/जीमैट/कैट/जीआरई/टीओईएफएल/सिविल सेवा/राज्य सरकार की परीक्षा)	एक वर्ष में सार्वजनिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	वर्ष के दौरान नामांकित छात्रों की कुल संख्या	औसत प्रतिशत = (6 वर्ष के प्रतिशत का योग)/6
3.	वर्ष 2014–20 की अवधि में कार्यक्रमों का प्रतिशत जहाँ पाठ्यक्रम संशोधित किया गया था।	वर्ष 2014–19 की अवधि में पाठ्यक्रम संशोधित करने वाले कार्यक्रमों की संख्या	वर्ष 2014–20 की अवधि में विश्वविद्यालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	
4.	वर्ष 2014–20 की अवधि में रोजगार/उद्यमिता/कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित करने वाले पाठ्यक्रमों का औसत प्रतिशत	किसी विशेष वर्ष में रोजगार या उद्यमिता या कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित करने वाले पाठ्यक्रमों की संख्या	सभी पाठ्यक्रमों में कोर्स की संख्या	औसत प्रतिशत = (6 वर्ष के प्रतिशत का योग)/6
5.	वर्ष 2014–20 की अवधि में मूल्य वर्धित पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों का प्रतिशत	एक वर्ष के दौरान मूल्य वर्धित पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों की संख्या	विशेष वर्ष में छात्रों की संख्या	औसत प्रतिशत = (6 वर्ष के प्रतिशत का योग)/6
6.	वर्ष 2014–20 की अवधि में सभी कार्यक्रमों के कुल पाठ्यक्रमों में प्रस्तावित किये गये नये पाठ्यक्रमों का प्रतिशत।	वर्ष 2014–20 की अवधि में प्रारम्भ किये गये नये पाठ्यक्रमों की संख्या।	वर्ष 2014–20 की अवधि में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की संख्या	
7.	वर्ष 2019–20 (वर्तमान वर्ष) की अवधि में शिक्षण प्रबन्धन प्रणाली(एलएमएस), ई–लर्निंग संसाधनों आदि के साथ प्रभावी शिक्षण के लिये आईसीटी का उपयोग करने वाले शिक्षकों का प्रतिशत	वर्ष 2019–20 की अवधि में आईसीटी का उपयोग करने वाले शिक्षकों की संख्या	वर्ष 2019–20 की अवधि में शिक्षकों की कुल संख्या।	
8.	उद्योग–शिक्षा जुड़ाव की क्या सीमा है?	वर्ष 2014–19 की अवधि में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, अन्य विश्वविद्यालयों, उद्योगों आदि के साथ कार्यात्मक समझौता ज्ञापनों की संख्या		
9.	वर्ष 2014–20 की अवधि में एक सहयोगी वातावरण में उद्योगो से किस सीमा तक परामर्श या प्रयोजन और वित्त पोषण प्रदान किया गया?	विगत पाँच वर्ष में उद्योग, समुदाय, गैर सरकारी संगठनों (एनसीसी/ एनएसएस/ रेड क्रास आदि) के सहयोग से विस्तार एवं आउटरीच कार्यक्रमों की संख्या।		

(स्रोतः राष्ट्रीय मुल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के दिशानिर्देश)

परिशिष्ट 1.2

(सन्दर्भः प्रस्तर 1.3; पृष्ठ सं. 2)

उच्च शिक्षा के परिणामों की लेखापरीक्षा में इनपुट–परिणामों के संकेतकों की सूची

संकेतक संख्या	संकेतक का नाम	अंश का संकेतक	हर का संकेतक	सूत्र
1.	वर्ष 2014–20 (वर्तमान वर्ष) की अवधि में नौकरी पाने वाले आउटगोइंग छात्रों का प्रतिशत	एक वर्ष में नौकरी पाने वाले आउटगोईंग छात्रों की संख्या	उस वर्ष के आउटगोईंग छात्रों की संख्या	औसत प्रतिशत = (6 वर्ष के प्रतिशत का योग)/6
2.	वर्ष 2019–20 (वर्तमान वर्ष) की अवधि में औसत पास छात्रों का प्रतिशत	विश्वविद्यालय की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अन्तिम वर्ष के छात्रों की कुल संख्या	अन्तिम वर्ष में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या	–
3.	वर्ष 2014–20 की अवधि में हस्तांतरणीय तथा जीवन कौशल प्रदान करने वाले मूल्य वर्धित पाठ्यक्रमों की संख्या	वर्ष 2014–20 की अवधि में हस्तांतरणीय तथा जीवन कौशल प्रदान करने वाले मूल्य वर्धित पाठ्यक्रमों की संख्या	–	–
4.	वर्ष 2019–20 (वर्तमान वर्ष) की अवधि में फील्ड प्रोजेक्ट/इन्टर्नशिप करने वाले छात्रों का प्रतिशत	वर्ष 2019–20 की अवधि में फील्ड प्रोजेक्ट तथा इन्टर्नशिप करने वाले छात्रों की संख्या	संस्थान में वर्ष 2019–20 की अवधि में नामांकित छात्रों की कुल संख्या	–
5.	वर्ष 2019–20 (वर्तमान वर्ष) की अवधि में उन कार्यक्रमों का प्रतिशत जिनमें सीबीसीएस लागू किया गया है	वर्ष 2019–20 की अवधि में कार्यक्रमों की संख्या जिनमें सीबीसीएस लागू किया गया।	वर्ष 2019–20 की अवधि में प्रस्तावित किये गये कुल कार्यक्रम	–
6.	वर्ष 2019–20 (वर्तमान वर्ष) की अवधि में निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता	वर्ष 2019–20 की अवधि में किसी विशेष कार्यक्रम में नामांकित छात्रों की संख्या	विशेष रूप से वर्ष 2019–20 की अवधि में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या (अंशकालिक शिक्षकों सहित)	–
.7	वर्ष 2014–20 की अवधि में पूर्णकालिक पीएचडी शिक्षकों का औसत प्रतिशत	एक वर्ष में पूर्णकालिक पीएचडी शिक्षकों की संख्या	उस वर्ष में पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	औसत प्रतिशत= (6 वर्ष के प्रतिशत का योग)/6
8.	वर्ष 2014–20 की अवधि में पूर्णकालिक शिक्षकों का प्रतिशत जिन्होनें सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से राज्य, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त किया हो।	विगत पाँच वर्ष की अवधि में राज्य/राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त करने वाले पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	विगत पाँच वर्ष की अवधि में पूर्णकालिक शिक्षकों की औसत संख्या	–
9.	वर्ष 2014–20 की अवधि में सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने तथा व्यावसायिक संस्थाओं की सदस्यता शुल्क के लिये वित्तीय सहायता प्रदान किये गये शिक्षकों का औसत प्रतिशत।	एक वर्ष की अवधि में सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने तथा व्यावसायिक संस्थाओं की सदस्यता शुल्क के लिये वित्तीय सहायता प्रदान किये गये शिक्षकों की संख्या	उस वर्ष में पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	औसत प्रतिशत= (6 वर्ष के प्रतिशत का योग)/6

10.	वर्ष 2014–20 की अवधि में व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों जैसे कि अभिविन्यास कार्यक्रम, नवीनीकरण पाठ्यक्रम, सीमित अवधि पाठ्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम में भाग लेने वाले शिक्षकों का औसत प्रतिशत।	एक वर्ष में ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या	उस वर्ष में पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	औसत प्रतिशत= (6 वर्ष के प्रतिशत का योग)/6
11.	वर्ष 2019–20 (वर्तमान वर्ष) की अवधि में उन पाठ्यक्रमों का प्रतिशत जिनमें खुली किताब परीक्षा आयोजित की गयी थी	पाठ्यक्रमों की संख्या जिनमें खुली किताब परीक्षा आयोजित की गयी	कुल पाठ्यक्रमों की संख्या	
12	वर्ष 2014–20 की अवधि में अंको मे परिवर्तन हेतु पुनर्मूल्यांकन के लिये आवेदनों का औसत प्रतिशत	पुनर्मूल्यांकन प्रकरणों की संख्या जिनमें एक वर्ष में नम्बर बदले	एक वर्ष में पुनर्मूल्यांकन हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	औसत प्रतिशत= (6 वर्ष के प्रतिशत का योग)/6
13.	प्रश्नपत्रों का प्रतिशत जिनमें सुधार परीक्षा से अंक बढ़े	सुधार परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदन किये गये प्रश्नपत्रों की संख्या	प्रश्नपत्रों की संख्या जिनमें सुधार परीक्षा से अंक बढ़े	–
14.	प्रश्नपत्रों का प्रतिशत जिनमें बैक पेपर परीक्षा से अंक बढ़ानें हेतु संकेतकों के रूप में पहचान की गयी	बैक पेपर परीक्षा के लिये आवेदन किये गये प्रश्नपत्रों की संख्या	प्रश्नपत्रों की संख्या जिनमें बैक पेपर परीक्षा से अंक बढ़े	
15.	वर्ष 2014–20 की अवधि में किसी संस्थान को दिये गये पेटेंट पुरस्कार की संख्या।	वर्ष 2014–20 की अवधि में किसी संस्थान को दिये गये पेटेंट पुरस्कार की संख्या।	–	–
16.	वर्ष 2014–20 की अवधि में यूजीसी वेबसाइट में अधिसूचित प्रति शिक्षक शोधपत्रों की संख्या।	वर्ष 2014–20 की अवधि में यूजीसी द्वारा अधिसूचित पत्रिकाओं में प्रकाशनों की संख्या।	वर्ष 2014–20 की अवधि में पूर्णकालिक शिक्षकों की औसत संख्या।	–
17.	वर्ष 2014–20 की अवधि में उन्नत अध्ययन/शोध हेतु अन्तर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित शिक्षकों की संख्या।	वर्ष 2014–20 की अवधि में उन्नत अध्ययन/शोध हेतु अन्तर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित शिक्षकों की संख्या।	–	–
18.	वर्ष 2014–20 की अवधि में सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन और कार्यक्रमो जैसे स्वच्छ भारत, एड्स जागरूकता, लिंग आदि मुद्दों के विस्तार गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्रों का औसत प्रतिशत।	एक विशेष वर्ष में ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या	उस वर्ष के नामांकित छात्रों की कुल संख्या	औसत प्रतिशत प्रतिशत= (6 वर्ष के प्रतिशत का योग)/6
19.	वर्ष 2014–20 की अवधि में लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि	एक विशेष वर्ष में राज्य में सभी प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान राज्य की 18–23 आयु वर्ग की जनसंख्या	–

20.	वर्ष 2014–20 की अवधि में अखिल भारतीय अनुपात/लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीवार सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि	एक विशेष वर्ष में सभी प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों में श्रेणीवार प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या	वर्ष के दौरान विशेष श्रेणी के 18–23 आयु वर्ग की जनसंख्या	–
21.	वर्ष 2014–20 की अवधि में सरकार द्वारा छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्रों को औसत प्रतिशत।	एक विशेष वर्ष में सरकार द्वारा छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्रों की संख्या	उस वर्ष के छात्रों की संख्या	औसत प्रतिशत प्रतिशत=(6 वर्ष के प्रतिशत का योग)/6
22.	वर्ष 2019–20 (वर्तमान वर्ष) की अवधि में आईसीटी सुविधाओं जैसे स्मार्ट कक्षा, एलएमएस आदि से सुसज्जित कक्षायें तथा सेमिनार हाल का प्रतिशत	आईसीटी सुविधायुक्त कक्षाओं तथा सेमिनार हाल की संख्या	संस्थान में कक्षाओं तथा सेमिनार हाल की कुल संख्या	–
23.	वर्ष 2014–20 (वर्तमान वर्ष) की अवधि में वेतन के अतिरिक्त बुनियादी ढांचे में वृद्धि हेतु बजट आवंटन का औसत प्रतिशत	एक वर्ष में वेतन के अतिरिक्त बुनियादी ढांचे में वृद्धि हेतु बजट आवंटन	उस वर्ष के दौरान वेतन के अतिरिक्त कुल खर्च	औसत प्रतिशत प्रतिशत=(6 वर्ष के प्रतिशत का योग)/6

(स्रोत: राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् के दिशानिर्देश)

परिशिष्ट 1.3

(सन्दर्भः प्रस्तर 1.6; पृष्ठ सं. 5)

चयनित इकाईयां

क्र0सं0	चयनित विश्वविद्यालय
1.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी
2.	लखनऊ विश्वविद्यालय

क्र0सं0	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के चयनित शासकीय महाविद्यालय
1.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र (आईडीः सी–13727)
2.	पं0 कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चन्दौली (आईडीः सी–13590)
3.	राजकीय महाविद्यालय, नौगढ़, चन्दौली (आईडीः सी–50991)

क्र0सं0	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के चयनित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय
1.	सकलडीहा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चन्दौली (आईडीः सी–13560)
2.	जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी (आईडीः सी–13541)
3.	श्री अग्रसेन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुलानाला, वाराणसी (आईडीः सी–13717)

क्र0सं0	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के चयनित स्ववित्तपोषित निजी सम्बद्ध महाविद्यालय
1.	माँ चन्द्रावती महाविद्यालय सेमरा चुनार, मिर्जापुर (आईडीः सी–54431)
2.	शान्ती शिखा निकेतन महिला महाविद्यालय, वाराणसी (आईडीः सी–47322)
3.	चौधरी महादेव सिंह महाविद्यालय, सोनभद्र (आईडीः सी–52208)
4.	कम्प्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, निबियाबाछावन, वाराणसी (आईडीः सी–13716)
5.	संकट मोचन उच्च शिक्षा एवं तकनीकी महाविद्यालय, वाराणसी (आईडीः सी–47321)
6.	विन्ध्य गुरूकुल महिला महाविद्यालय, मिर्जापुर (आईडीः सी–59097)
7.	स्व0 सूबेदार सिंह स्मृति महिला महाविद्यालय, कटेसरकलां, चौबेपुर वाराणसी (आईडीः सी–51075)
8.	विन्ध्य कन्या महाविद्यालय, उरमौरा, रार्बट्सगंज, सोनभद्र (आईडीः सी–13600)
9.	पं0 महावीर प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय, मिर्जापुर (आईडीः सी–13517)
10.	अरूण कुमार केशरी महिला महाविद्यालय, मधुपुर, सोनभद्र (आईडीः सी–13675)
11.	स्वामी अड़गड़ानन्द जी महिला महाविद्यालय बाराहन, मंगलपुर, चन्दौली (आईडीः सी–51098)
12.	हलफल महाविद्यालय (आईडीः सी–54084)
13.	ज्ञानन्दा एकादमी उच्च शिक्षा संस्थान (आईडीः सी–56246)
14.	स्व. डा. श्री कुबेर सिंह महाविद्यालय, मिर्जापुर (आईडीः सी–52719)
15.	महाराजा जोधाराज सिंह महाविद्यालय, सन्त रविदास नगर, भदोही (आईडीः सी–51106)
16.	जमुना राम मेमोरियल महाविद्यालय (आईडीः सी–57200)
17.	बाबू राम उजागीर सिंह महाविद्यालय, मिर्जापुर (आईडीः सी–51158)
18.	रामललित सिंह महिला महाविद्यालय (आईडीः सी–57848)
19.	पं. शान्ति भूषण महाविद्यालय, गजोखर, पारासार, वाराणसी (आईडीः सी–51148)
20.	एस.के. महिला महाविद्यालय, मिर्जापुर (आईडीः सी–51161)
21.	विन्ध्य महिला महाविद्यालय, मिर्जापुर (आईडीः सी–51154)
22.	आदर्श जनता महाविद्यालय, कोलना, चुनार, मिर्जापुर (आईडीः सी–13567)
23.	श्री जमुना प्रसाद मौर्या शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, खेवाली, वाराणसी (आईडीः सी–51077)

24.	माँ गायत्री महिला महाविद्यालय, हिंगुटारगढ़, चन्दौली (आईडीः सी–52718)
25.	हरदेव महाविद्यालय, पगही, धानापुर, चन्दौली (आईडीः सी–51094)
26.	चौधरी रामदास महिला महाविद्यालय, चन्दौली (आईडीः सी–51099)
27.	बनारस इन्सीट्यूट ऑफ टीचर्स एजूकेशन, निबाह, छिवरापुर, वाराणसी (आईडीः सी–13658)
28.	सर्वजीत सिंह महाविद्यालय, कौलरिया, सोनभद्र (आईडीः सी–51135)

क्र0सं0	लखनऊ विश्वविद्यालय के चयनित शासकीय महाविद्यालय
1.	महामाया राजकीय महाविद्यालय, महोना
2.	महाराजा बिजली पासी शासकीय महाविद्यालय, आशयिना

क्र0सं0	लखनऊ विश्वविद्यालय के चयनित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय
1.	नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेन्द्रनगर
2.	करामत हुसैन मुस्लिम महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फैजाबाद रोड, लखनऊ

क्र0सं0	लखनऊ विश्वविद्यालय के चयनित स्ववित्तपोषित निजी सम्बद्ध महाविद्यालय
1.	श्री शारदा इन्सीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, प्लाट सं.–677, चन्दसराय
2.	रजत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कामता पंचवटी, चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ
3.	डा. आशा स्मृति महाविद्यालय, देवा रोड, चिनहट, लखनऊ
4.	राम प्रसाद बिस्मिल मेमोरियल महाविद्यालय, बिस्मिल नगर, काकोरी
5.	टी.डी.एल. प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन विज्ञान महाविद्यालय, कासिमपुर बिरवा
6.	श्री कृष्णा दत्त एकेडमी, वृन्दावन योजना
7.	डा. राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल बालिका महाविद्यालय, राजाजीपुरम लखनऊ
8.	जाकिस्त शिक्षा संस्थान, रामपुर बेहटा
9.	बिमटेक महाविद्यालय, बक्शी का तालाब
10.	ए.के.जी. महाविद्यालय, बीका मऊ, बक्शी का तालाब
11.	सीबी गुप्ता बीएसएस महाविद्यालय, चन्द्राबल, लखनऊ
12.	सुरजन देबी अनसुइया देवी महाविद्यालय, गंगागंज, लखनऊ

परिशिष्ट 2.1

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.2.4.3; पृष्ठ सं. 12)

भौगोलिक क्षेत्रवार जिलों के नाम

क्रम संख्या	भौगोलिक क्षेत्र (जिलों की संख्या)	जिलों का नाम
1.	पूर्वी क्षेत्र (28 जिले)	अयोध्या, अम्बेडकरनगर, अमेठी, आजमगढ़, बलिया, बलरामपुर, भदोही (संत रविदास नगर), बस्ती, बहराइच, चंदौली, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, गाजीपुर, जौनपुर, कुशीनगर, कौशाम्बी, मिर्जापुर, मऊ, महाराजगंज, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, सुल्तानपुर, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, वाराणसी
2.	पश्चिमी क्षेत्र (30 जिले)	आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, बिजनौर, बदायूं, बरेली, बागपत, बुलंदशहर, इटावा, एटा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हाथरस, हापुड़, कन्नौज, कासगंज, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, मथुरा, मैनपुरी, पीलीभीत, रामपुर, शामली, सहारनपुर, संभल, शाहजहांपुर
3.	मध्य क्षेत्र (10 जिले)	बाराबंकी, फतेहपुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव
4.	बुंदेलखंड क्षेत्र (7 जिले)	बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा

(स्रोतः सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 2019 योजना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार)

परिशिष्ट 2.2

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.5.1; पृष्ठ सं. 29)

नमूना जांच किए गए शासकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा वसूला जाने वाला वार्षिक शुल्क (2014–20)

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से सम्बद्ध नमूना जांच किए गए महाविद्यालय

महाविद्यालय का नाम	नियमित पाठ्यक्रम						स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम					
	बी.ए.	बी.एस.सी.	बी. काम.	एम.ए.	एम. एस.सी	एम. काम.	बी.ए.	बी एससी	बी.काम.	एम.ए.	एम.एस. सी	एम.काम.
जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी	2290	लागू नहीं	लागू नहीं	3194–4194	लागू नहीं	लागू नहीं	1550–7050	6550–12500	6550–12000	6500–28000	लागू नहीं	13100–18000
श्री अग्रसेन कन्या, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी	2609–3944	लागू नहीं	लागू नहीं	2908–3753	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	11617–21800	9620–15600	8000–17600	लागू नहीं	23000
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र	1900–2841	2410–3591	1900–2841	2050–5171	2420–5441	5441	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सकलडीहा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सकलडीहा, चन्दौली	2200–3747	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	9100–13500	लागू नहीं	लागू नहीं
पं0 कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चन्दौली	1730–2944	लागू नहीं	लागू नहीं	1898–3304	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
राजकीय डिग्री कालेज, नौगढ, चन्दौली	1742–3012	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध नमूना जांच किए गए महाविद्यालय

पाठ्यक्रम	करामत हुसैन मुस्लिम बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ	नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ	महाराज बिजली पासी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ	महामाया राजकीय महाविद्यालय, लखनऊ
बी.ए.	2950–7000	2605–6160	2300–6372	2070–5912
बी.एस.सी.	18600–25000	4065–14660	5040–8242	4742–8120
बी.काम.	19500–22000	11200–21300	3365–7272	5862–6912
एम.काम.	–	14500–15000	–	–
एम.ए.	18000–23000	6885–12620	2300–5873	–

(स्रोतः नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षा संस्थान)

परिशिष्ट 3.1

(सन्दर्भ: पैराग्राफ 3.4.1.2; पृष्ठ सं0 46)

वर्ष 2019–20 में नमूना जाँच किये गये विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात

विश्वविद्यालय का नाम	डेटा का प्रकार	कुल छात्रो की संख्या			शिक्षकों की संख्या			छात्र–शिक्षक अनुपात		
		कला	वाणिज्य	विज्ञान	कला	वाणिज्य	विज्ञान	कला	वाणिज्य	विज्ञान
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	**ए**	**5825**	**672**	**956**	**108**	**13**	**18**	**54:1**	**52:1**	**53:1**
पं0 कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंदौली	बी	719	विधा अनुपलब्ध	विधा अनुपलब्ध	09	विधा अनुपलब्ध	विधा अनुपलब्ध	80:1	विधा अनुपलब्ध	विधा अनुपलब्ध
राजकीय महाविद्यालय, नौगढ़ चंदौली	बी	320	विधा अनुपलब्ध	विधा अनुपलब्ध	03	विधा अनुपलब्ध	विधा अनुपलब्ध	107:1	विधा अनुपलब्ध	विधा अनुपलब्ध
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा, सोनभद्र	बी	1821	696	612	07	04	02	260:1	174:1	306:1
योग		**2860**	**696**	**612**	**19**	**04**	**02**	**151:1**	**174:1**	**306:1**
श्री अग्रसेन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी	सी	4273	1212	843	79	36	07	54:1	34:1	120:1
जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी	सी	3869	1423	1455	46	09	16	84:1	158:1	91:1
सकलडीहा स्नातकोत्तर महाविद्यालय सकलडीहा, चंदौली	सी	2049	विधा अनुपलब्ध	विधा अनुपलब्ध	30	विधा अनुपलब्ध	विधा अनुपलब्ध	68:1	विधा अनुपलब्ध	विधा अनुपलब्ध
योग		**10191**	**2635**	**2298**	**155**	**45**	**23**	**66:1**	**59:1**	**100:1**
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	**ए**	**3059**	**1099**	**1545**	**169**	**28**	**126**	**18:1**	**39:1**	**12:1**
महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ	बी	827	180	108	18	02	05	46:1	90:01	22:1
महामाया राजकीय स्नातक महाविद्यालय, लखनऊ	बी	497	70	72	05	02	05	99:1	35:1	14:1
योग		**1324**	**250**	**180**	**23**	**4**	**10**	**58:1**	**63:1**	**18:1**
करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ	सी	2598	172	232	42	04	16	62:1	43:1	15:1
नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ	सी	1523	720	487	41	12	19	37:1	60:1	26:1
योग		**4121**	**892**	**719**	**83**	**16**	**35**	**50:1**	**56:1**	**21:1**

(स्रोतः नमूना जॉच उच्च शिक्षण संस्थान)

परिशिष्ट 3.2

(सन्दर्भ : पैराग्राफ 3.4.3, 3.4.4 और 3.4.5 पृष्ठ सं0 48, 49 और 50)

पी0एच0डी0 के साथ पूर्णकालिक शिक्षकों, पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षको और अन्य राज्य के शिक्षको की संख्या

(संख्या आकड़े में)

वर्ष	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी					लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ				
	पूर्णकालिक शिक्षक	पी0एच0डी0 के साथ पूर्णकालिक शिक्षक	प्रतिशत	पुरस्कार, मान्यता, फेलोशिप आदि प्राप्त करने वाले	अन्य राज्य के शिक्षक	पूर्णकालिक शिक्षक	पी0एच0डी0 के साथ पूर्णकालिक शिक्षक	प्रतिशत*	पुरस्कार, मान्यता, फेलोशिप आदि प्राप्त करने वाले	अन्य राज्य के शिक्षक
2014-15	130	120		0	07	310	309		0	21
2015-16	121	111		0	04	302	298		1	25
2016-17	118	109		0	02	324	324		0	27
2017-18	113	101		0	04	321	321		2	25
2018-19	123	113		0	02	317	316		1	27
2019-20	105	95		0	02	309	303		0	27
योग	**710**	**649**		**0**	**21**	**1883**	**1871**		**04 (1.27 *प्रतिशत*)**	**152**
औसत	**118**	**108**	**91.52**		**4 (2.97 *प्रतिशत*)**	**314**	**312**	**99.36**		**25 (8 *प्रतिशत*)**

*(स्रोतः नमूना जॉच उच्च शिक्षण संस्थान) *पी0एच0डी0 के साथ पूर्णकालिक शिक्षकों की प्रतिशतता*

परिशिष्ट 3.3

(सन्दर्भ : पैराग्राफ 3.5; पृष्ठ सं0 51)

व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षक

विश्वविद्यालय का नाम	पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या						व्यवसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या						औसत (प्रतिशत)
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी	130	121	118	113	123	105	16	10	11	26	35	34	22 (19)
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से सम्बद्ध नमूना जाँच के महाविद्यालय													
पं0 कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंदौली	08	08	09	08	08	09	01	05	03	00	01	03	10 (5)
राजकीय महाविद्यालय, नौगढ़ चंदौली	02	03	03	02	03	03	00	00	00	01	00	01	
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा, सोनभद्र	18	20	15	15	13	13	06	05	04	08	05	06	
श्री अग्रसेन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी	106	104	104	106	106	122	01	00	01	02	08	00	
जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी	63	64	68	66	69	71	00	00	00	00	00	00	
सकलडीहा स्नातकोत्तर महाविद्यालय सकलडीहा, चंदौली	18	18	18	26	26	30	00	00	00	00	00	00	
योग	**215**	**217**	**217**	**223**	**225**	**248**	**8**	**10**	**8**	**11**	**14**	**10**	
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	310	302	324	321	317	309	53	54	29	51	55	49	49 (16)
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध नमूना जाँच के महाविद्यालय													
महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ	27	27	25	23	25	25	03	09	01	09	09	22	21 (19)
महामाया राजकीय महाविद्यालय, लखनऊ	07	07	10	12	12	12	02	03	08	03	05	03	
करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ	21	22	25	34	33	40	00	00	04	05	06	15	
नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ	46	45	45	42	45	48	04	05	00	04	00	03	
योग	**101**	**101**	**105**	**111**	**115**	**125**	**9**	**17**	**13**	**21**	**20**	**43**	**21 (19)**

(स्रोतः नमूना जाँच उच्च शिक्षा संस्थान)

परिशिष्ट 3.4

(सन्दर्भः पैराग्राफ 3.9.1, पृष्ठ सं0 58)

अनुसंधान गतिविधियों के लिये अनुदान की प्राप्ति और उसके उपयोग की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	अनुसंधान परियोजना का नाम	अनुसंधान का उद्देश्य	स्वीकृति का दिनांक	निधिदाता संस्थान (शासकीय और अशासकीय)	स्वीकृत धनराशि (₹ लाख में)	अवमुक्त धनराशि (₹ लाख में)	परियोजनाओं के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	परियोजनाओं के पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	व्यय धनराशि (₹ लाख में)
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी										
1	मनोविज्ञान	व्यक्तित्व और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कार्य के रूप में किशोरों की खुशीः व्यवहार सम्बंधी साक्ष्य	व्यक्तित्व और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कार्य के रूप में किशोरों की खुशीः व्यवहार सम्बंधी साक्ष्य	31.08.2012	यू0जी0सी0	1.20	0.73	31.12.2013	03.01.2018	0.73
2	समाजशास्त्र	उ0प्र0 में मुसलमानों पर मदरसा शिक्षा के प्रभाव का एक अध्ययन (वाराणसी)	उ0प्र0 में मुसलमानों पर मदरसा शिक्षा के प्रभाव का एक अध्ययन (वाराणसी)	22.06.2012	आई0सी0एस0 एस0आर0	8.09	7.53	24.04.2014	31.12.2016	7.53
3	राजनीति विज्ञान	ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका	ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका	25.06.2013	आई0सी0एस0 एस0आर0	6.85	6.37	14.04.2014	30.07.2016	6.37
4	मनोविज्ञान	भारतीय किशोरों के बीच इंटरनेट के उपयोग के मनो–सामाजिक सम्बंधों की खोज	भारतीय किशोरों के बीच इंटरनेट के उपयोग के मनो–सामाजिक सम्बंधों की खोज	14.09.2015	यू0जी0सी0	6.96	6.42	30.06.2018	चल रहे	5.28
5	समाजकार्य	उ0प्र0 के वाराणसी जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों की स्थिति का आकलन	उ0प्र0 के वाराणसी जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों की स्थिति का आकलन	17.12.2015	आई0सी0एस0 एस0आर0	6.40	5.12	24.03.2018	05.04.2019	5.12
6	मनोविज्ञान	स्मार्टफोन का उपयोग, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कथित अकेलापन और भारतीय किशोरों की जीवन शैली	स्मार्टफोन का उपयोग, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कथित अकेलापन और भारतीय किशोरों की जीवन शैली	15.06.2019	आई0सी0एस0 एस0आर0	10.00	4.00	14.06.2021	चल रहे	2.00
7	राजनीति विज्ञान	भारतीय समाज में महिलाओं की बदलती स्थिति; उ0प्र0 के सोनभद्र जिले का जातिवार सामाजिक–राजनीतिक अध्ययन	भारतीय समाज में महिलाओं की बदलती स्थिति; उ0प्र0 के सोनभद्र जिले का जातिवार सामाजिक–राजनीतिक अध्ययन	07.11.2019	आई0सी0एस0 एस0आर0	4.00	1.60	06.11.2020	चल रहे	0.88
योग						43.50	31.77			27.91

क्र0 सं0	विभाग का नाम	अनुसंधान परियोजना का नाम	अनुसंधान का उद्देश्य	स्वीकृति का दिनांक	निधिदाता संस्थान (शासकीय और अशासकीय)	स्वीकृत धनराशि (₹ लाख में)	अवमुक्त धनराशि (₹ लाख में)	परियोजनाओं के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	परियोजनाओं के पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	व्यय धनराशि (₹ लाख में)
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ										
1	अंग्रेजी	हिन्दी भाषी उत्तर भारत के प्रतिनिधि लोक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद, पाठ, सन्दर्भ और अर्थ का पुनः मानचित्रण	हिन्दी के लोक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद,	04.03.2011	यू0जी0सी0	5.66	3.45	31.03.2013	30.06.2013	2.29
2	अर्थशास्त्र	उत्तर प्रदेश में वृद्व जनसंख्या की वृद्धि एवं संरचना	आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिये निहितार्थ	11.03.2013	यू0जी0सी0	7.51	6.93	30.09.2015	05.12.2018	6.86
3	अर्थशास्त्र	उत्तर प्रदेश में घटते सी0एस0आर0 और लिंग असंतुलन के दुष्परिणामों का मानचित्रण का एक केस स्टडी	सी0एस0आर0 में गिरावट के कारणों को जानने के लिये	26.02.2019	एन0सी0डब्लू0	9.74	3.90	26.02.2021	अगस्त 2021	3.19
4	अर्थशास्त्र	पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को समझना और ओ0डी0ओ0पी0 योजना की भूमिका	पिछड़ेपन को कम करने में ओ0डी0ओ0पी0 योजना की भूमिका जानने के लिये	11.04.2019	आई0सी0एस0 एस0आर0	13.00	5.20	अप्रेल 2021	अगस्त 2021	4.07
5	अर्थशास्त्र	निचले असम में कृषि भूमि से लखनऊ में बंजर झुग्गी बस्ती में प्रवास की खोजपूर्ण जाँच	बयूटा से लखनऊ प्रवास के कारणों को जानने के लिये	30.03.2017	आई0सी0एस0 एस0आर0	7.00	5.69	08.03.2018	08.03.2018	5.60
6	अर्थशास्त्र	भारत में कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव	कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिये	04.07.2016	आई0सी0एस0 एस0आर0	6.00	6.00	31.12.2017	31.12.2017	6.00
7	अर्थशास्त्र	उत्तर प्रदेश में कृषि जोखिम और बीमा की स्थिति।	जिला स्तर पर उ0प्र0 कृषि एवं बीमा की स्थिति के जोखिम कारक का आकलन।	11.03.2019	आई0सी0एस0 एस0आर0	4.80	3.36	15.04.2020	प्रतीक्षित	3.35
8	अर्थशास्त्र	भारतीय कृषि का संरचनात्मक परिवर्तन।	उ0प्र0 कृषि की स्थिति	24.10.2017	आई0सी0ए0आर0–एन0आई0ए0पी0	40.56	35.97	31.03.2021	31.03.2021	35.95
9	अर्थशास्त्र	लखनऊ जिले के विशेष संदर्भ में स्वच्छ भारत अभियान का विश्लेषण।	लखनऊ में स्वच्छ भारत अभियान के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिये।	20.03.2019	आई0सी0एस0 एस0आर0	4.00	2.80	15.04.2020	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, टिप्पणी प्रतीक्षित	2.80

क्र0 सं0	विभाग का नाम	अनुसंधान परियोजना का नाम	अनुसंधान का उद्देश्य	स्वीकृति का दिनांक	निधिदाता संस्थान (शासकीय और अशासकीय)	स्वीकृत धनराशि (₹ लाख में)	अवमुक्त धनराशि (₹ लाख में)	परियोजनाओं के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	परियोजनाओं के पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	व्यय धनराशि (₹ लाख में)
10	संस्कृत	सामाजिक–सांस्कृतिक विचारकों का एक विश्वकोष, उनकी सोच प्रक्रिया और संस्कृत साहित्य में वर्णित विचार।	संस्कृत साहित्य में वर्णित विचार, सामाजिक–सांस्कृतिक विचारकों का एक विश्वकोष, उनकी सोच प्रक्रिया और विचार।	07.09.2012	यू0जी0सी0	6.26	4.39	31.12.2014	31.12.2014	4.39
11	दर्शनशास्त्र	जे0 कृष्णमूर्ति का दर्शन और इसकी समकालीन प्रासंगिकता	जे0 कृष्णमूर्ति का दर्शन और इसकी समकालीन प्रासंगिकता	03.08.2014	यू0जी0सी0	6.50	4.66	30.09.2016	26.05.2016	3.88
12	दर्शनशास्त्र	कई नीलसन और विटगेन्स्टाइनियन संघवाद	नयी विवेचना का विश्लेषण।	01.10.2014	शासकीय आई0सी0पी0आर0 नयी दिल्ली	2.00	1.80	30.09.2016	30.09.2016	1.52
13	व्यवहारिक अर्थशास्त्र	उ0प्र0 की असमानता समायोजित मानव विकास	उ0प्र0 की असमानता समायोजित मानव विकास	23.03.2017	आई0सी0एस0एस0 आर0 नई दिल्ली	0.99	0.99	23.03.2018	23.03.2018	लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।
14	व्यवहारिक अर्थशास्त्र	उ0प्र0 के वित्त के मूल्यांकन पर अध्ययन	उ0प्र0 के वित्त के मूल्यांकन पर अध्ययन	08.11.2018	प्रंदहवा वित्त आयोग, भारत सरकार	4.50	4.50	मई-19	मई-19	लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।
15	वाणिज्य	उत्कृष्टता केन्द्र	उत्तर प्रदेश के अर्ध शहरी क्षेत्र में उद्यमिता विकास	23.03.2019	उ0प्र0 सरकार	16.00	16.00	31.03.2021	चल रहे	6.78
16	भौतिक विज्ञान	इंडो जर्मन प्रोजेक्ट	फार्मास्युटिकल में बहुरूपता की विशेषता के लिये नये उपकरण का मार्ग प्रशस्त करना	02.09.2013	डी0एस0टी0	8.10	3.65	01.09.2015	01.09.2015	2.95
17	भौतिक विज्ञान	इन्डो–ब्राजील प्रोजेक्ट	सक्रिय दवा सामग्री के नये ठोस चरण का विकास मूल्यांकन और लक्षण चित्रण।	16.07.2014	डी0एस0टी0	34.27	31.98	15.07.2017	15.12.2017	31.81
18	भौतिक विज्ञान	यू0जी0सी0 अनुसंधान पुरस्कार	कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्वांटम रसायनिक तकनीकों का उपयोग करके सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयवों का कठोर लक्षण वर्णन और ठोस अवस्था में बहुरूपता का अध्ययन	01.02.2014	यू0जी0सी0	40.66	40.66	31.01.2016	31.01.2016	40.66

क्र0 सं0	विभाग का नाम	अनुसंधान परियोजना का नाम	अनुसंधान का उद्देश्य	स्वीकृति का दिनांक	निधिदाता संस्थान (शासकीय और अशासकीय)	स्वीकृत धनराशि (₹ लाख में)	अवमुक्त धनराशि (₹ लाख में)	परियोजनाओं के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	परियोजनाओं के पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	व्यय धनराशि (₹ लाख में)
19	भौतिक विज्ञान	इसरो प्रोजेक्ट	एस्ट्रोफिजिकल आइस में प्रीबायोटिक अणुवों और एमीनो एसिड का निर्माणः आरम्भ में आणविक क्लस्टर और स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन।	12.08.2015	आई0एस0आर0ओ0	22.03	21.08	11.08.2018	11.08.2018	20.07
20	भौतिक विज्ञान	अंडोप्ड और डोप्ड जेड एनओ नैनो सामग्री के रूपात्मक और सापेक्ष आर्दता/गैस संवेदनशीलता का अध्ययन।	शुद्ध जेडएनओ और डोप्ड जेडएनओ की सतह आकारिकी के संश्लेषण और अध्ययन और आर्दता गैस संवेदन के लिये	22.03.2013	यू0जी0सी0	10.60	10.27	31.03.2016	31.03.2017	10.27
21	भौतिक विज्ञान	पालिमर के तनु घोल के थर्मोडायनेमिक, रियोलाजिकल और ध्वनिक गुण।	पालिमर का अध्ययन	14.05.2015	उ0प्र0 सी0एस0टी0	6.16	5.96	21.07.2017	21.07.2017	5.96
22	भौतिक विज्ञान	नेमेटिक और कोलेस्टरिक लिक्विड क्रिस्टल के डाइइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो–आप्टिक और स्वीचिंग गुणों पर डोपिंग डायक्रोनिक डाई का प्रभाव	एन0एल0सी0 के स्विचिंग गुण	03.07.2016	उ0प्र0 सी0एस0टी0	10.50	10.50	3 years	22.01.2019	10.50
23	भौतिक विज्ञान	फोटो उन्मुखीकरण का उपयोग करते हुये डोप किये गये नये फेरोइलक्ट्रिक और एन्टी फेरोइलक्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल पर आधारित फोटोनिक उपकरणों का विकास	फोटोनिक डिवाइस का निर्माण	20.04.2015	भारत– पोलिश संयुक्त परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	10.00	10.00	02 years	09.10.2017	10.00
24	भौतिक विज्ञान	डी0ए0ई0–बी0आर0एन0एस0	क्वांटम प्लाज्मा के साथ लेजर पल्स का इंटरेक्शनः स्पिन अप और स्पिन डाउन एक्सचेंज इंटरेक्शन	12.07.2016	बी0ए0आर0सी0 (शासकीय)	28.48	21.39	20-21	31.03.21	17.21
25	भौतिक विज्ञान	डी0एस0टी0–आर0एफ0बी0आर0	पेटवाट लेजर के साथ अल्ट्रा उज्जवल प्लाज्मा आधारित गामा किरण स्रोत	25.07.2017	शासकीय	14.05	14.05	25.07.2019	25.07.2019	8.77
26	भौतिक विज्ञान	यू0जी0सी0	उच्च घनत्व पतित प्लाज्मा में लेजर पल्स द्वारा सामूहिक उत्तेजना	21.04.2016	यू0जी0सी0	26.47	26.47	30.06.2018	30.06.2018	26.47

क्र0 सं0	विभाग का नाम	अनुसंधान परियोजना का नाम	अनुसंधान का उद्देश्य	स्वीकृति का दिनांक	निधिदाता संस्थान (शासकीय और अशासकीय)	स्वीकृत धनराशि (₹ लाख में)	अवमुक्त धनराशि (₹ लाख में)	परियोजनाओं के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	परियोजनाओं के पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	व्यय धनराशि (₹ लाख में)
27	भौतिक विज्ञान	एस0ई0आर0बी0, डी0एस0टी0 नयी दिल्ली	नैनो–हाइड्राक्सीपटाइट (एन0एच0 ए0पी0) का संश्लेषण और धातु/ आक्साइड के साथ इसके उपन्यास कंपोजिटःअस्थि प्रत्यारोपण अनुप्रयोगों के लिये संरचनात्मक यांत्रिक और जैविक गुणों का एक अध्ययन	20.02.2019	विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड	34.94	21.90	19.02.2022	चल रहे	18.32
28	भौतिक विज्ञान	आई0एन0ओ0 परियोजना के लिये विश्वविद्यालय समूहों द्वारा अनुसंधान एवं विकास प्रयास	भारत में विश्व स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना	13.11.2013	शासकीय	36.89	36.00	12.11.2018	31.03.2020	24.00
29	भौतिक विज्ञान	स्टार्ट–अप अनुदान यू0जी0सी0	लेजर का उपयोग करके आयन बीम पीढ़ी कोलाइंडिंग प्लाज्मा प्लम्स का उत्पादन	12.2017	शासकीय	10.00	9.85	31.03.2020	31.03.2020	8.85
30	भौतिक विज्ञान	स्टार्ट–अप अनुदान यू0जी0सी0	उत्तेजिक नाभिक में छिपी नियमितता और समरूपता की खोज	9.2017	शासकीय	10.00	9.83	31.03.2020	31.03.2020	7.83
31	भौतिक विज्ञान	आई0यू0ए0सी0/यू0एफ0आर0 /यू0जी0सी0	स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन एन0बी0 और एम0ओ0	1.2019	शासकीय	5.79	1.37	31.03.2022	चल रहे	1.01
32	भौतिक विज्ञान	स्टार्ट–अप अनुदान यू0जी0सी0	अनुपलब्ध	11.2017	शासकीय	10.00	10.00	31.03.2020	31.03.2020	7.99
33	भौतिक विज्ञान	डी0एस0टी0–इंस्पायर फैकल्टी एवार्ड	मल्टीफेरोइस आक्साइड में फेरोइलेक्ट्रिक ध्रुवीकरण की चुंबकीय टयूनेबिलिटी	20.07.2015	शासकीय	19.00	19.00	19.07.2020	चल रहे	12.68
34	रसायन विज्ञान	डाई–सेंसिटाइज्ड सोलर सेल्स(डीएसएससीएस) में ऐन्टेना के रूप में फेरोसीन का शोषण	डाई सेंसिटाइज्ड सोलर सेल्स के लिये नये फेरोसिन आधारित सेंसिटाइजर विकसित करना	10.05.2013	डी0एस0टी0 नई दिल्ली	26.45	24.75	09.05.2016	09.05.2016	24.73
35	रसायन विज्ञान	डाई–सेंसिटाइज्ड सोलर सेल्स(डीएसएससीएस) में सम्भावित सह–संवेदी के रूप में संक्रमण धातु इमाइन और डाइथियोलेट संक्रमण।	डाई संवेदी सौर कोशिकाओं के लिये नये सह–संवेदी और सह–अवशोषित विकसित करना	15.06.2017	सी0एस0आई0आर0 नयी दिल्ली	12.00	11.75	14.06.2020	14.06.2020	11.75

क्र0 सं0	विभाग का नाम	अनुसंधान परियोजना का नाम	अनुसंधान का उद्देश्य	स्वीकृति का दिनांक	निधिदाता संस्थान (शासकीय और अशासकीय)	स्वीकृत धनराशि (₹ लाख में)	अवमुक्त धनराशि (₹ लाख में)	परियोजनाओं के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	परियोजनाओं के पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	व्यय धनराशि (₹ लाख में)
36	रसायन विज्ञान	अल्ट्रासोनिक और रियोलाजिकल तकनीकों का उपयोग करके हाइड्रोफोबिक पालिमर और हाइड्रोफिलिक स्टार्च ग्रेन्यूल्स के बीच इंटरफेसियल इंटरैक्शन के अध्ययन द्वारा बायोडिग्रेडेबल पालिमर (पीएलए,टीपीएस और पीजीए) की बायोडिग्रेडेबिलिटी में सुधार	बायोडिग्रेडेबल पालिमर के लिये नई सामग्री विकसित करने के लिये	2016	सी0एस0टी0 यू0पी0	6.80	6.80	16.11.2019	06.01.2019	6.80
37	रसायन विज्ञान	डा0 डी0एस0कोठारी पी0डी0एफ0	कार्बनिक संश्लेषण में टेल्यूरियम की उपयोगिता	14.09.2014	यू0जी0सी0	0.70	0.70	23.08.2015	23.08.2015	0.70
38	रसायन विज्ञान	डा0 डी0एस0कोठारी पी0डी0एफ0	कार्बनिक संश्लेषण में टेल्यूरियम की उपयोगिता	19.03.2015	यू0जी0सी0	7.04	7.04	23.08.2015	23.08.2015	7.04
39	वनस्पति विज्ञान	राइस लीफ सेनेसेंस प्रोसेस के दौरान रेगुलेटरी मैकेनिज्म के लिये गाबा– ट्रांसएमिनेज जीन प्रमोटर का कैरेक्टराइजेशन	चावल की पत्ती बुढ़ापा प्रक्रिया के दौरान नियामक तंत्र	25.03.2019	डी0एस0टी0 नई दिल्ली	31.02	20.12	3.2022	चल रहे	15.59
40	वनस्पति विज्ञान	कृषि पर्यावरण में नये उभरते सुदूषक, धात्विक नैनो–कण।	अनाज फसलों में कृषि पर्यावरण वर्गीकरण, सहिष्णुता और आणविक अनुकूलन में उत्कृष्टता के नये उभरते प्रदूषक धातु नैनोकणों का केन्द्र	09.03.2019	शासकीय	20.00	20.00	31.03.2020	31.03.2020	17.75
41	वनस्पति विज्ञान	इन विट्रो राइजोजेनेसिस और रूट ट्रांसफार्मेशन	इन विट्रो राइजोजेनेसिस और इसके मेटाबोलाइट्स के लक्षण वर्णन के लिये लुप्तप्राय हिमालयी औषधीय जड़ी बूटी सेलेनियम में जड़ परिवर्तन	04.12.2018	शासकीय	18.30	12.20	04.12.22	चल रहे	12.20
42	वनस्पति विज्ञान	प्रेरितएन्टीवायरल प्रतिरोधक पपीता से जुड़े जीन की क्लोनिंग अनुक्रमण और अभिव्यक्ति	सी0ए0पी0–34 के शामिल होने के बाद एंटीवायरल प्रोटीन की अभिव्यक्ति के लिये रणनीति का विकास	08.04.2017	शासकीय	32.58	27.60	07.04.2020	30.06.2020	27.27

क्र0 सं0	विभाग का नाम	अनुसंधान परियोजना का नाम	अनुसंधान का उद्देश्य	स्वीकृति का दिनांक	निधिदाता संस्थान (शासकीय और अशासकीय)	स्वीकृत धनराशि (₹ लाख में)	अवमुक्त धनराशि (₹ लाख में)	परियोजनाओं के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	परियोजनाओं के पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	व्यय धनराशि (₹ लाख में)
43	वनस्पति विज्ञान	यू0जी0सी0 डी0एस0कोठारी फेलोशिप	जड़ माइकोबायोटा को समृद्ध करके अनाज फसलों में पोषक तत्व उपयोग दक्षता में सुधार करना।	16.05.2018	यू0जी0सी0	21.87	21.87	15.05.2021	15.07.2021	21.87
44	वनस्पति विज्ञान	महिलाओं के लिये यू0जी0सी0 पी0डी0एफ0	नवीन जैव–प्रौद्योगिकीय उपकरणों के माध्यम के रूप में और इसके विषाक्त प्रभाव का उपचार	11.04.2016	यू0जी0सी0	33.73	33.73	31.12.2021	चल रहे	33.73
45	वनस्पति विज्ञान	डी0एस0टी0–एस0ई0आर0बी0 (टेरे अनुदान) चावल के पौधों में जड़ विकास और जिंक की उपलब्धता में नाइट्रिक आक्साइड की भूमिका को समझना।	जड़ विकास में नाइट्रिक आक्साइड की भूमिका और चावल के पौधों में जिंक की उपलब्धता को समझना।	18.10.2019	डी0एस0टी0–एस0ई0आर0बी0 (टेरे ग्रांट)	8.25	लेखा–परीक्षा को उपलब्ध नही कराया गया।	31.10.22	चल रहे	2.49
योग						**691.20**	**596.16**			**533.95**

(स्रोतः नमूना जॉच उच्च शिक्षण संस्थान)

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ : प्रस्तर 3.9.1 : पृष्ठ संख्या 58)

अनुसंधान परियोजनाओं पर निष्फल व्यय

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि	व्यय	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
1.	अंग्रेजी	हिन्दी भाषी उत्तर भारत के प्रतिनिधि लोक नाट्य का अग्रेंजी भाषा में अनुवाद	5.66	2.29	लगभग 40 प्रतिशत व्यय के साथ परियोजना अधूरी बंद कर दी गयी। लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि परियोजना को बिना किसी निष्कर्ष पर पहुँचे ही मध्य में ही बंद कर दिया गया क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधित परियोजना अन्वेषक की आवश्यकता के अनुरूप द्वितीय किश्त देने के लिये तैयार नहीं था (मार्च, 2016)। इस प्रकार परियोजना अन्वेषक के पास अवशेष धनराशि ₹ 1.17 लाख (नवम्बर, 2016) का समर्पण करना आवश्यक था।
2.	संस्कृत	संस्कृत साहित्य के सामाजिक–सांस्कृतिक विचारकों का एनसाइक्लोपीडिया	6.26	4.39	यह परियोजना लगभग 70 प्रतिशत धनराशि व्यय के साथ बिना अनुसंधान निष्कर्षों के पब्लिकेशन के बंद कर दी गयी। लेखापरीक्षा को संवीक्षा के लिये परियोजना के अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अभिलेख संबंधित परियोजना अन्वेषक के पास हैं और वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा विभाग के पास कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हे कि विभाग के पास परियोजना अन्वेषकों के पास उपलब्ध परियोजना अभिलेखों के रख–रखाव का कोई तंत्र नहीं था।
3.	दर्शनशास्त्र	जेके कृष्णमूर्ति का दर्शन और इसका समसामयिक संदर्भ	6.50	3.88	लगभग 60 प्रतिशत व्यय के साथ बिना अनुसंधान निष्कर्ष के पब्लिकेशन के परियोजना पूर्ण की गयी।
4.	भौतिकी	पेविंग द वे फॉर ए न्यू टूल टू कैरेक्टेराइज द पॉलीमॉरफिज्म इन फार्मास्यूटिकल कम्पाउन्ड यूजिंग टीएच स्पेक्ट्रोस्कोपी कम्बाईन्ड विद थियोरिटिकल मॉडेलिंग	8.10	2.95	इंडो–जर्मन परियोजना 36 प्रतिशत व्यय के साथ बंद कर दी गयी लेकिन स्वीकृति और वास्तविक व्यय में अंतर के संबंध में कोई विशिष्ट कारण लेखापरीक्षा को इसके द्वारा पूछे जाने पर भी नहीं बताया गया। धनराशि के उपभोग की लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो वर्ष तक वर्ष में दो बार भारतीय और जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा दोनो देशों के मध्य आदान–प्रदान यात्रा (एक्सचेंज विजिट) की गयीं थीं लेकिन मार्च 2015 तक भारतीयों पक्ष से इसपर स्वीकृत लागत तक व्यय ₹ 2.60 लाख था जबकि जर्मन पक्ष का व्यय ₹ 0.35 लाख (छः प्रतिशत) था।
5.	भौतिकी	अल्ट्रा ब्राईट प्लाज्मा बेस्ड गामा रेज सोर्सेज विद पेटावेट लेजर	14.05	8.77	परियोजना को 62 प्रतिशत व्यय के बाद पूण मान लिया गया। स्वीकृति से काफी कम पर परियोजना की पूर्णता पर पूछे जाने पर अवगत कराया गया कि मानव संसाधन की अनुशंसा में काफी समय लगा इस प्रकार, मानव संसाधनों का पूण उपयोग नहीं किया जा सका और रूस को औपचारिक स्वीकृति देने में विलम्ब तथा स्वीकृत दो यात्राओं में से केवल एक यात्रा ही परियोजना के अंतर्गत की जा सकी,। इसीलिये परियोजना के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।
6.	अर्थशास्त्र	असम के निचले इलाकों के कृषि भूमि से लखनऊ में झुग्गी तक प्रवासन की खोजपूर्ण जाँच	7.00	5.60	इण्डियन काउन्सिल ऑफ सोशल साईन्स एन्ड रिसर्च (आईसीएसएसआर) की परियोजना 80 प्रतिशत धनराशि व्यय करने के बाद पूर्ण मान ली गयी। स्वीकृति से काफी कम पर परियोजना की पूर्णता का कारण पूछे जाने पर संबंधित अनुसंधान अन्वेषक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतिपूर्ति हेतु बीजकों के भुगतान हेतु लेखा कार्यालय में विलम्ब हुआ, इसलिये हम अवशेष धनराशि का दावा नहीं कर सके और परियोजना की समयावधि भी खत्म हो गयीं।
कुल			**47.57**	**27.88**	

(स्रोत : लखनऊ विश्वविद्यालय)

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भः पैराग्राफ 3.10.4; पृष्ठ संख्या 68)

वर्ष 2019–20 के दौरान परीक्षा में छात्रों का प्रदर्शन

विवरण	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में छात्रों की सं0 (प्रतिशत में)								लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में छात्रों की सं0 (प्रतिशत में)					
	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	अग्रसेन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी	जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी	पं0 कमलापति त्रिपाठी स्नातकोत्तर महाविद्यालयवाराणसी	राजकीय महाविद्यालय नवगढ़ चन्दौली	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र	सकलडीहा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चन्दौली	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुल नमूना जांच किये गये महा विद्यालय	लखनऊ विश्व विद्यालय	महाराजा विजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ##	महामाया राजकीय महाविद्यालय, लखनऊ	करामत हुसैन मुस्लिम महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ	नवयुग कन्या महा विद्यालय, लखनऊ	लखनऊ विश्व विद्यालयके कुल नमूना जांच किये गये महाविद्यालय
परीक्षा में शामिल कुल छात्र	3538	2448	6648	248	90	946	627	11007	4314	1091	623	912	851	3477
कुल उत्तीर्ण छात्र	3176 (90)	2386	6648	211	76	847	582	10750 (98)	3140 (73)	969	561	777	814	3121 (90)
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र	1364 (43)	663	1440	25	01	84	59	2272 (21)	1525 (49)	51	58	101	109	319 (9)
द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र	1676 (53)	1394	3789	173	56	651	472	6535 (61)	918 (29)	अभिलेख नहीं	407	339	202	948 (40) ##
तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र	136 (4)	329	1419	13	19	112	51	1943 (18)	697 (22)	अभिलेख नहीं	96	337	503	936 (39) ##

पूर्ण आंकड़ों का रखरखाव न करने एवं लेखापरीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ के आंकड़ों को छोड़कर।
(स्रोतः नमूना जाँच उच्च शिक्षण संस्थान)

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भः पैराग्राफ 4.3; पृष्ठ संख्या 82)

चेकलिस्ट आइटम और स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय जो चेकलिस्ट आइटम को पूरा नहीं कर रहे हैं

क्र0 सं0	चेकलिस्ट आइटम	कॉलेजों का नाम
1	सोसायटी/ट्रस्ट की प्रमाणित बैलेंस शीट या सोसायटी/ट्रस्ट की वार्षिक आय का मूल प्रमाण पत्र।	स्वामी अरगड़ानन्द महिला महाविद्यालय, बरहन, चंदौली एंव विन्ध्य गुरुकुल महिला महाविद्यालय, चुनार, मिर्जापुर.
2	सोसायटी/न्यास के मानदंडों के अनुसार जमा राशि का बैंक विवरण	स्वामी अरगड़ानन्द महिला महाविद्यालय, बरहन, चंदौली, एवं चौधरी रामदास महिला महाविद्यालय, तियरा, चंदौली.
3	महाविद्यालय में पूर्व संचालन पाठ्यक्रमों का विवरण एवं विगत तीन वर्षों का परिणाम	ज्ञानंदा उच्च शिक्षा अकादमी, विंध्याचल, मिर्जापुर; विंध्य महिला महाविद्यालय, कनक सराय, कछवा, मिर्जापुर; चौधरी रामदास महिला महाविद्यालय, तियरा, चंदौली; महाराजा जोधराज सिंह महाविद्यालय, सरायहोला, संत रवि दास नगर; स्वामी अरगडानन्द जी महिला महाविद्यालय, बरहान, चंदौली; एस.के. महिला महाविद्यालय, तिलठी चीला, मिर्जापुर; बाबू राम उजागीर सिंह महाविद्यालय, मिर्जापुर; हलफल महाविद्यालय, जलापुर चंदौली; मां चंद्रावती महाविद्यालय, सेमरा भुरकुरा चुनार मिर्जापुर एवं स्वर्गीय सूबेदार सिंह महिला महाविद्यालय, चौबेपुर, वाराणसी .
4	कक्षा संचालन की अनुमति का प्रमाण पत्र	स्वामी अरगड़ानन्द महिला महाविद्यालय, बरहान, चंदौली; ज्ञानंदा उच्च शिक्षा अकादमी, विंध्याचल, मिर्जापुर; सर्वजीत सिंह महाविद्यालय, कोइलारिया, घोरावल, सोनभद्र; विंध्य महिला महाविद्यालय, कनक सराय, कछवा, मिर्जापुर; पं0 महावीर प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय, विजयपुर, मिर्जापुर; विंध्य महिला महाविद्यालय, उर्मौरा, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र एवं चौधरी रामदास महिला महाविद्यालय, तियारा, चंदौली।
5	प्रबंधन समिति के गठन और अनुमोदन की स्थिति	स्वामी अरगड़ानन्द जी महिला महाविद्यालय, बरहान, चंदौली; ज्ञानंदा उच्च शिक्षा अकादमी, विंध्याचल, मिर्जापुर; हरदेव महाविद्यालय, पगही धानापुर, चंदौली; विंध्य महिला महाविद्यालय, कनकसराय, कछवा, मिर्जापुर एवं चौधरी रामदास महिला महाविद्यालय, तियारा, चंदौली .
6	सभी पाठ्यक्रमों विषयों के लिए नियुक्त शिक्षक का बैंक विवरण और वेतन भुगतान/ वेतन हस्तांतरण प्रमाण पत्र के लिए बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र	स्वामी अरगड़ानंद जी महिला महाविद्यालय, बरहान, चंदौली; ज्ञानंदा उच्च शिक्षा अकादमी, विंध्याचल, मिर्जापुर एवं महाराजा जोधराज सिंह महाविद्यालय, सरायहोला, संत रवि दास नगर।
7	सामूहिक नकल नहीं होने के आरोप का प्रमाण पत्र	स्वामी अरगड़ानन्द जी महिला महाविद्यालय, बरहान, चंदौली; बाबू राम उजागीर सिंह महाविद्यालय, मिर्जापुर; ज्ञानंदा उच्च शिक्षा अकादमी, विंध्याचल, मिर्जापुर; हलफल महाविद्यालय, जलालपुर खदेसरा, चंदौली; मां चंद्रावती महाविद्यालय, सेमरा भुडकुड़ा, चुनार, मिर्जापुर; महाराजा जोधराज सिंह महाविद्यालय, सराय होला, संत रवि दास नगर; विंध्य महिला महाविद्यालय, कनक सराय, कछवा, मिर्जापुर; मां गायत्री महिला महाविद्यालय, हिमतारगढ़, चंदौली; पंडित महावीर प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय, विजयपुर, मिर्जापुर; चौधरी रामदास महिला महाविद्यालय, तियारा, चंदौली; एस.के. महिला महाविद्यालय, तिल्थी चीला, मिर्जापुर।
8	अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता का अद्यतन प्रमाण पत्र	स्वामी अरगड़ानन्द जी महिला महाविद्यालय, बरहान, चंदौली; महाराजा जोधराज सिंह महाविद्यालय, सराय होला, संत रवि दास नगर एवं विंध्य महिला महाविद्यालय, कनक सराय, कछवा, मिर्जापुर।
9	भवन निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय भवन कोड 2005 के अनुसार जारी प्रमाण पत्र	विंध्य गुरुकुल महिला महाविद्यालय, गोसाईपुर, चुनार, मिर्जापुर।
10	संबद्धता प्रस्ताव की सीडी	बाबू राम उजागीर सिंह महाविद्यालय, मिर्जापुर; हरदेव महाविद्यालय, पगही, धनापुर, चंदौली; सर्वजीत सिंह महाविद्यालय, कोइलारिया, घोरावल, सोनभद्र; आदर्श जनता महाविद्यालय, कोलना, चुनार, मिर्जापुर; चौधरी महादेव प्रसाद महाविद्यालय, चतरा, सोनभद्र; विंध्य बालिका महाविद्यालय, उर्मौरा, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र; चौधरी रामदास महिला महाविद्यालय, तियारा, चंदौली; एस.के. महिला महाविद्यालय, तिलठी चीला, मिर्जापुर।
11	महाविद्यालय के स्थापना के समय से संचालित पाठ्यक्रम/विषयों में अनापत्ति की स्थिति स्थापित की जा रही है।	ज्ञानंदा उच्च शिक्षा अकादमी, विंध्याचल, मिर्जापुर।

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भः पैराग्राफ 4.3; पृष्ठ संख्या 82)

चेकलिस्ट आइटम और शासकीय महाविद्यालय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय जो चेकलिस्ट आइटम को पूरा नहीं कर रहे हैं

क्र0 सं0	चेकलिस्ट आइटम	महाविद्यालयों का नाम
1.	मूल नजरी नक्शा और सड़क की माप, भूमि पर राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र,	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र
2.	शहरी क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों के मामले में नगर पालिका के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र	पं. कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चंदौली, राजकीय पीजी महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र
3	आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही हैं, के संबंध में शपथ पत्र।	पं. कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चंदौली, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र
4	पीजी स्तर के विषय के लिए यूजीसी की धारा 2 (एफ) के तहत पंजीकरण की स्थिति	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र
5	अस्थायी संबद्धता के संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र	पं. कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चंदौली,
6	शिक्षकों की नियुक्ति/विश्वविद्यालय की स्वीकृति	जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगतपुर, वाराणसी
7	सामूहिक नकल नहीं होने के आरोप का प्रमाण पत्र	पं. कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चंदौली, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नवगढ़, चंदौली
8	अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता का वर्तमान प्रमाण पत्र	पं. कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चंदौली, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नवगढ़, चंदौली
9	भवन निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय भवन कोड 2005 के अनुसार जारी प्रमाण पत्र	पं. कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चंदौली, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नवगढ़, चंदौली
10	डिग्री कॉलेज की वेब साइट	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नवगढ़, चंदौली
11	संबद्धता प्रस्ताव की सीडी	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नवगढ़, चंदौली

(स्रोतः नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षा संस्थान)

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ : पैराग्राफ 4.5, पृष्ठ संख्या 86)

नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों का विवरण

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पद (संख्या)
1.	पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चंदौली	12	03	1. कार्यालय अधीक्षक (01) 2. लैब असिस्टेंट (02)
2.	राजकीय महाविद्यालय, नौगढ़, चंदौली	5	02	1. लाइब्रेरियन (01) 2. चपरासी (01)
3.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र	19	15	1. लैब सहायक (01) 2. कनिष्ठ लिपिक (01) 3. दफ्तरी (01) 4. पुस्तक उठाने वाला (01) 5. पुस्तकालय परिचारक (01) 6. परिचारक (03) 7. चौकीदार/स्वच्छकार (01) 8. माली (01) 9. गैस मैन (01) 10. पशु पकड़ने वाला (01) 11. लैब परिचारक (03)
4.	श्री अग्रसेन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी	18	07	1. लाइब्रेरियन (01) 2. कार्यालय अधीक्षक (01) 3. आशु–लिपिक (01) 4. पुस्तकालय परिचारक (02) 5. चौकीदार/ माली (01) 6. स्वच्छकार (01)
5.	जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी	16	06	1. लाइब्रेरियन (01) 2. लिपिक (01) 3. दफ्तरी (01) 4. पुस्तकालय परिचारक (01) 5. लैब परिचारक (01) 6. स्वच्छकार (01)
6.	सकलडीहा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सकलडीहा वाराणसी	32	05	1. चपरासी (03) 2. लिपिक (01) 3. पुस्तकालय परिचारक (01)
योग		**102**	**38**	

(स्रोत : नमूना जांच उच्च शिक्षण संस्थान)

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ : पैराग्राफ 4.6.10.1 पृष्ठ संख्या 92)

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा ज्ञात उसके बैंक खाते से कपटपूर्ण आहरण

वर्ष	आहरण की तिथि	फर्म का नाम	चेक संख्या	धनराशि रू0 में
2017–18	05.12.2017	के0के0 कान्सट्रक्शन, लखनऊ	231992	9,98,274
	20.12.2017	के0के0 कान्सट्रक्शन, लखनऊ	976251	9,98,682
	05.03.2018	के0के0 कन्सट्रक्शन, लखनऊ	976111	9,98,176
2018–19	04.04.2018	के0के0 कन्सट्रक्शन, लखनऊ	976023	9,99,570
	17.04.2018	दिव्या इलेक्ट्रिकल्स, लखनऊ	976226	9,97,864
	29.05.2018	दिव्या इलेक्ट्रिकल्स, लखनऊ	976119	9,98,570
	29.05.2018	दिव्या इलेक्ट्रिकल्स, लखनऊ	976158	9,98,620
	15.06.2018	दिव्या इलेक्ट्रिकल्स, लखनऊ	976160	9,98,775
	20.06.2018	दिव्या इलेक्ट्रिकल्स, लखनऊ	976161	9,99,695
	29.10.2018	शाह एजेन्सी, लखनऊ	976276	9,96,595
	07.11.2018	श्री विश्वकर्मा सर्विस	976287	9,98,360
	19.12.2018	शाह एजेन्सी, लखनऊ	976308	9,98,210
	09.02.2019	मीना एण्ड सन्स, लखनऊ	976307	9,98,566
2019–20	22.04.2019	मॉ वैष्णो इन्टरप्राइजेज, लखनऊ	976310	9,98,110
योग				**1,39,78,067**

(स्रोतः लखनऊ विश्वविद्यालय)

संक्षेप की शब्दावली

संक्षिप्तीकृत शब्द	पूर्ण रूप
बीए	कला स्नातक
बीकॉम	वाणिज्य स्नातक
बीएससी	विज्ञान स्नातक
सीबीसीएस	विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली
सीडीसी	पाठ्यक्रम परिवर्द्धन समिति
सीईडीसी	सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
ईओसी	समान अवसर प्रकोष्ठ
ईडब्ल्यूएस	कमजोर वर्ग
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी
आईक्यूएसी	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
एमए	कला परास्नातक
एमकॉम	वाणिज्य परास्नातक
एमएससी	विज्ञान परास्नातक
एनएएसी	राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्
एनआईआरएफ	राष्ट्रीय संस्थागत श्रेणी तंत्र
पीएचडी	डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी
रूसा	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
टीआरईई	टीचिंग, रीचिंग, एम्बोल्डेनिंग, ईवॉल्विंग

सर्वाधिकार सुरक्षित
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीएजी.जीओवी.इन

डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीएजी.जीओवी.इन/एजी1/उत्तर-प्रदेश